



क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना

कोडरा ग्रांट ग्राम पंचायत

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार

सिद्धार्थ नगर





कललडडेत सुडरुडु गुररड डुंकररडत कररुडडुऑनर



कुडरुडु गुररुडु गुररड डुंकररडत

डरुडरुवरण, वन एवं जलवायु डरुडरुवरुतन वलडरग
उतुतर डुरदश सरकरर



प्रकाशन

पर्यावरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश (डीओई) (DOE) एवं उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
ईमेल: doeuplko@yahoo.com वेबसाइट: upenv.upsdc.gov.in

तकनीकी सहयोग

वसुधा फाउंडेशन
गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (जीईएजी)

मार्गदर्शन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
श्री मनोज सिंह, आईएएस, अपर मुख्य सचिव
श्री आशीष तिवारी, आईएफएस, सचिव

जिला प्रशासन

डॉक्टर राजा गणपति आर., आईएएस, जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), सिद्धार्थ नगर
श्री जयेंद्र कुमार, आईएएस, मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ), सिद्धार्थ नगर

वसुधा फाउंडेशन

श्री श्रीनिवास कृष्णास्वामी, सीईओ
श्री रमन मेहता, कार्यक्रम निदेशक
डॉ. एस. सतपथी, विशेषज्ञ सलाहकार

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप

डॉ. शिराज़ वजीह, अध्यक्ष

लेखक

वसुधा फाउंडेशन

सुश्री वसुन्धरा सिंह, सुश्री शिविका सोलंकी, सुश्री रिनी दत्त

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप

श्री विजय कुमार पांडे एवं श्री के. के. सिंह

शोध समर्थन

वसुधा फाउंडेशन

डॉ. प्रीति सिंह, श्री नवीन कुमार, सुश्री मोनिका चक्रवर्ती, सुश्री फातिमा सैला

कोडरा ग्रांट ग्राम पंचायत

श्री अरशद जमाल, ग्राम प्रधान

क्षेत्रीय शोध समर्थन

शोहरतगढ़ पर्यावरण सोसायटी (एसईएस)

श्री धर्मेन्द्र कुमार, श्री प्रभाकर मिश्रा, श्री संदीप श्रीवास्तव

डिज़ाइन एवं लेआउट

वसुधा फाउंडेशन

श्री ससाधर राँय, श्री रोहिण कुमार, श्री संतोष कुमार सिंह, सुश्री स्वाति बंसल, सुश्री प्रिया कालिया



डा0 राजा गणपति आर0
(आई0ए0एस0)



पत्रांक-3402
जिलाधिकारी
जनपद-सिद्धार्थनगर
उत्तर प्रदेश
दिनांक-21/10/2024

—:संदेश:—

ग्राम पंचायतों को जलवायु सजग ग्राम पंचायत बनाने हेतु समर्पित क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत-कोडरा ग्रांट, विकास खण्ड-नौगढ जनपद सिद्धार्थनगर की कार्ययोजना हेतु संदेश लिखते हुए मुझे बहुत सम्मान का अनुभव हो रहा है। जैसा कि हम जलवायु के परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों को देख रहे हैं, हमारे लिए जमीनी स्तर पर तत्काल और व्यापक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। हमारी ग्राम पंचायतें समुदाय के निकटतम शासन की एक आवश्यक इकाई होने के कारण जलवायु संबंधी चुनौतियों को कम करने और सतत् विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हमारे समुदाय, हमारी पारिस्थितिकी तंत्र और हमारी अर्थव्यवस्था आपस में जुड़े हैं और हमारे लिए ऐसी रणनीतियों को अपनाना आवश्यक है जो जलवायु से जुड़े जोखिमों को कम करती हो।

ग्राम पंचायत हेतु तैयार यह कार्ययोजना जलवायु पर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा जो पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट पंचायत बनाने के लिए एक मार्ग दर्शक के रूप में कार्य करेगी।

मैं इस क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना निर्माण के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन नई दिल्ली, स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी.) गोरखपुर को धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि निर्मित कार्ययोजना ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने में सहयोगी होगी।

॥ शुभकामनाओं सहित ॥


भवदीय

(डा0 राजा गणपति आर0)

पत्रांक-3401

जयेंद्र कुमार
(आई0ए0एस0)



मुख्य विकास अधिकारी
जनपद-सिद्धार्थनगर,
उत्तर प्रदेश
दिनांक:-21/10/2024

:: संदेश ::

जिस प्रकार हम और हमारी ग्राम पंचायतें जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रही हैं उसमें यह कार्ययोजना सहयोगी होगी। स्मार्ट और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देकर हमारा लक्ष्य एक ऐसा मॉडल तैयार करना है जो न केवल हमारे पर्यावरण की रक्षा करे बल्कि समुदाय के समग्र कल्याण को भी बढ़ावा दें।

यह कार्ययोजना ग्राम पंचायतों में संवाद, सहयोग और क्रियान्वयन को प्रेरित करेगी। इसके साथ ही हम सब मिलकर जलवायु नीतियों को प्रभावी रूप से लागू कर सकते हैं तथा स्थायी लक्ष्यों को अपना सकते हैं और एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जो न केवल पर्यावरणीय रूप से मजबूत हो बल्कि समाजिक रूप से भी न्याय संगत हो।

मैं क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत-कोडरा ग्रान्ट, विकास खण्ड-नौगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर की कार्ययोजना विकसित करने में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश के तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन नई दिल्ली स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी.) गोरखपुर उत्तर प्रदेश के समर्पित प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

एक बार पुनः क्लाइमेट कार्य योजना तैयार करने में अमूल्य योगदान के लिये मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ तथा योजना के सफल क्रियान्वयन और समुदाय एवं पर्यावरण पर इसके सकारात्मक प्रभाव की आशा करता हूँ।

॥ शुभकामनाओं सहित ॥

भवदीय
(जयेंद्र कुमार)

अरशद जमाल

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत-कोडरा ग्रान्ट,

वि०ख०-नौगढ़, जनपद-सिद्धार्थनगर

मो०न०-9415173144

पत्रांक:-मेमो

प्रेषक,

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत कोडरा ग्रान्ट, विकास खण्ड-नौगढ़,

जनपद-सिद्धार्थनगर

दिनांक-20.09.2024



आभार

सर्वप्रथम आप सभी को प्रधान, ग्राम पंचायत कोडरा ग्रान्ट, जनपद-सिद्धार्थनगर की ओर से सादर नमस्कार और अभिनंदन। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी स्वास्थ्य होंगे। मैं अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की ओर हेतु बढ़ाये गये प्रथम कदम /प्रयास को आपसे साझा करते हुए रोमांचित हूँ।

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों हर दिन अधिक स्पष्ट होती जा रही है और हमारे समुदाय और भावी पीढ़ियों की भलाई के लिये उन पर कार्य करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस विषय की गम्भीरता को समझते हुए सभी ग्रामवासियों की सर्वसहमति से हमने अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया। सर्वप्रथम आवश्यक था ग्राम पंचायत में जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं और मुद्दों की पहचान करना जिसके लिये सामुदायिक सहभागिता के साथ ग्राम सभा की बैठक एवं समूह केन्द्रित चर्चा के आयोजन के अतिरिक्त व्यक्तिगत चर्चा की गयी और आंकड़ों को एकत्र किया गया। आंकड़े एकत्र करने की प्रक्रिया को पंचायत में क्रियान्वित करने के लिये मैं स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी), गोरखपुर एवं शोहरतगढ़ एनवायरनमेंट सोसाइटी सिद्धार्थनगर के द्वारा आंकड़े एकत्र करने में हमारे सभी ग्रामवासियों के समर्थन और सक्रिय भागीदारी के लिये हृदय से धन्यवाद। हम सभी साथ मिलकर हमारी पंचायत में एक पर्यावरण अनुकूल वातावरण बनायेंगे जो न केवल हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेगा अपितु प्रत्येक ग्रामीण के जीवन की समग्र गुणवत्ता को भी बढ़ायेगा।

इसके साथ ही मैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश और तकनीकी सहयोगी पार्टनर वसुधा फाउंडेशन, नई दिल्ली, का भी आभारी हूँ जिन्होंने एकत्र किये गये आंकड़ों को कार्ययोजना का स्वरूप दिया तथा मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया।

मैं सभी ग्रामवासियों अपनी पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिये हाथ मिलाकर आगे बढ़ने का आग्रह करता हूँ। आइये हम सभी एक सकारात्मक बदलाव की ओर आगे बढ़े और दूसरों के लिये उदाहरण स्थापित करें।

धन्यवाद !

(प्रधान)

अरशद जमाल

अरशद जमाल 20/09/24

ग्राम पंचायत-कोडरा ग्रान्ट



विषय-वस्तु

1	कार्यकारी सारांश	1
2	ग्राम पंचायत प्रोफ़ाइल	5
	▪ कोडरा ग्रांट ग्राम पंचायत एक नजर में	5
	▪ जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफ़ाइल	6
	▪ प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ	7
	▪ कार्यरत महिलाएं	8
	▪ कृषि	9
	▪ प्राकृतिक संसाधन	9
	▪ कोडरा ग्रांट में सुविधाएं	10
3	कार्बन फुटप्रिंट	11
4	व्यापक मुद्दे	12
5	प्रस्तावित मुद्दाव	13
	1. सतत कृषि	14
	2. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प	20
	3. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना	25
	4. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	29
	5. सतत और उन्नत गतिशीलता	34
	6. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच	38
	7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना	49
6	विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियों की सूची	53
7	अनुकूलन, सह-लाभ और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव	59
8	आगे की राह	65
9	अनुलग्नक	66

चित्र

चित्र 1:	कोडरा ग्रांट ग्राम पंचायत, सिद्धार्थ नगर जिले का भूमि-उपयोग मानचित्र	6
चित्र 2:	कोडरा ग्रांट में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान, 1990-2019	7
चित्र 3:	कोडरा ग्रांट में वार्षिक वर्षा (मिमी), 1990- 2019	7
चित्र 4:	कोडरा ग्रांट में पारिवारिक स्तर पर आय के प्राथमिक स्रोत	7
चित्र 5:	कोडरा ग्रांट में पारिवारिक स्तर पर आय का वितरण	8
चित्र 6:	कोडरा ग्रांट में राशन कार्ड वाले परिवार	8
चित्र 7:	कोडरा ग्रांट में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न महिलाओं की संख्या	8
चित्र 8:	कोडरा ग्रांट में केवल कृषि पर निर्भर परिवार	9
चित्र 9:	कोडरा ग्रांट में सकल फ़सल क्षेत्र का फ़सलवार वितरण	9
चित्र 10:	2022 में कोडरा ग्रांट में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट	11
चित्र 11:	2022 में कोडरा ग्रांट के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी	11



कार्यकारी सारांश

सिद्धार्थ नगर जिले की कोडरा ग्रांट ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी मैदानी कृषि-जलवायु क्षेत्र में स्थित है। कोडरा ग्रांट की क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर पर जलवायु गतिविधियों को मजबूत करने और पंचायत को वर्ष 2035 तक जलवायु स्मार्ट/लचीला बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह कार्ययोजना ग्राम पंचायत को विशिष्ट दिशा प्रदान करती है जिससे पंचायत लचीलापन, अनुकूलन क्षमता बढ़ाने, कमजोरियों और संबंधित जोखिमों को कम करने के साथ ही ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, अतिरिक्त राजस्व सृजन, समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास, बेहतर स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैसे अन्य सह-लाभ प्राप्त कर पाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा तैयार क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजनाओं के विकास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के मसौदे को अपनाकर यह कार्ययोजना तैयार की गई है। कोडरा ग्रांट के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) इस प्रकार से तैयार की गई है कि इसे कोडरा ग्रांट ग्राम पंचायत की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी से और प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सकता है।

यह कार्ययोजना प्रमुख जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं, उत्तर पूर्वी मैदानी कृषि-जलवायु क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं, जलवायु परिवर्तनशीलता, ग्राम पंचायत के कार्बन फुटप्रिंट विश्लेषण और प्राकृतिक संसाधनों की वर्तमान स्थिति से संबंधित प्रमुख मुद्दों को सम्मिलित करती है। कार्ययोजना में क्षेत्रीय सर्वेक्षणों, समूह केन्द्रित चर्चाओं और संबंधित सरकारी विभागों और एजेंसियों के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों तथा कोडरा ग्रांट ग्राम पंचायत के समुदाय के सदस्यों के सुझावों को भी सम्मिलित किया गया है। इससे आधार रेखा बनाने और कोडरा ग्रांट के प्रमुख मुद्दों की पहचान करने में जैसा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के दौरान बताया गया है, ग्राम

दृष्टिकोण

प्राथमिक सर्वेक्षण उपकरण का विकास

सर्वेक्षण और प्राथमिक आंकड़े को एकत्र करना: पंचायत में सर्वेक्षण का कार्य ग्राम प्रधान और समुदाय के सदस्यों के सहयोग से किया गया। ग्रामीण सहभागी आंकलन की गतिविधियों यथा समूह केन्द्रित चर्चा, गाँव का भ्रमण (ट्रांसेक्ट वॉक), सामाजिक तथा संसाधन मानचित्रण आदि की सहायता एवं निवासियों और समुदाय के सदस्यों के सहयोग से आंकड़े एकत्र किए गए।

आंकड़ों का विश्लेषण और योजना तैयार करना:

- ग्राम पंचायत की रूपरेखा तैयार करना: सर्वेक्षण प्रश्नावली पर प्राप्त जानकारी के आधार पर एक विस्तृत ग्राम पंचायत रूपरेखा विकसित की गई। इस रूपरेखा में जनसांख्यिकी, जलवायु परिवर्तनशीलता, प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ, प्राकृतिक संसाधन और कोडरा ग्रांट में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी सम्मिलित हैं।
- मुख्य मुद्दों की पहचान: सर्वेक्षण प्रश्नावली और खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (HRVCA) में प्राप्त जानकारी के माध्यम से प्रमुख जलवायु, विकासात्मक और पर्यावरणीय मुद्दों की एक विस्तृत सूची की पहचान की गई।
- अनुमानित कार्बन फुटप्रिंट: कोडरा ग्रांट में प्रमुख गतिविधियों* के लिए कार्बन फुटप्रिंट का अनुमान लगाया गया।
- प्रस्तावित गतिविधियाँ: पहचाने गए/चिन्हित पर्यावरणीय और जलवायु मुद्दों के आधार पर कोडरा ग्रांट के लिए गतिविधियाँ तैयार की गईं। इन गतिविधियों/संस्तुतियों में उत्तर पूर्वी मैदान की मौजूदा कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखा गया है। इसके अतिरिक्त, कोडरा ग्रांट की क्षेत्रवार अनुकूलन आवश्यकताओं और शमन क्षमता का निर्धारण किया गया है।

कार्ययोजना तैयार किए जाने के दौरान सहभागी दृष्टिकोण अपनाया गया। इससे जलवायु विषय पर कार्य करने के लिए समुदाय की क्षमता में वृद्धि होगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर स्वामित्व और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा मिलेगा।

* गतिविधियों में शामिल हैं- बिजली की खपत, आवासीय खाना पकाना, डीजल पंप के उपयोग से उत्पन्न उत्सर्जन, परिवहन, फ़सल अवशेष जलाना, पशुधन उत्सर्जन, उर्वरक उत्सर्जन, धान की खेती और घरेलू अपशिष्ट जल।

1 ग्राम पंचायत कार्ययोजना में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, शमन एवं खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (HRVCA) के पहलू सम्मिलित हैं।

पंचायत में तीन राजस्व गांव, 22 बस्तियां और 1,934 परिवार हैं, जिनकी कुल² आबादी 12,167 है। मुख्य आर्थिक गतिविधियों में कृषि और पशुपालन सम्मिलित हैं। एक आधारभूत मूल्यांकन से पता चलता है कि कोडरा ग्रांट ग्राम पंचायत का कार्बन फुटप्रिंट ~5,199 tCO₂e है।³

कोडरा ग्रांट ग्राम पंचायत में तत्काल कार्यवाही हेतु पहचाने गए कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र निम्न हैं:

- सूक्ष्म सिंचाई प्रथाओं और जलवायु अनुकूल फ़सलों (सूखा प्रतिरोधी फ़सलें - गेहूं और धान) को उगाने सहित अन्य सतत कृषि गतिविधियों को अपनाना
- ग्राम पंचायत में पाइप से जलापूर्ति के कवरेज को बढ़ाना
- परिवहन के लिए स्थायी विकल्पों को अपनाना
- नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) और सौर-संचालित पंप, ऊर्जा कुशल पंप और सोलर रूफटॉप स्थापना जैसे ऊर्जा कुशल समाधानों का उपयोग करना

संवेदनशील क्षेत्रों, समूह केन्द्रित चर्चाओं और क्षेत्र सर्वेक्षणों से उभरने वाले मुद्दों और ग्राम पंचायत में चल रही गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए, अनुसंशाएँ प्रस्तावित की गई हैं। गतिविधियों में जल, कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, हरित स्थानों को बढ़ाना, सतत अपशिष्ट प्रबंधन, उन्नत गतिशीलता और आजीविका और हरित उद्यमिता के विषयगत क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है।

इन अनुसंशाओं के अंतर्गत गतिविधियों को 3 चरणों में विभाजित किया गया है- चरण I (2024-27), चरण II (2027-30) और चरण III (2030-35)। चरण-वार लक्ष्यों को ग्राम पंचायतों के विवेक के अनुसार वार्षिक लक्ष्यों में वितरित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, चरण-वार लक्ष्य, संभावित लागत, केंद्रीय और राज्य योजनाओं का समर्थन करने के साथ-साथ सुझाई गई गतिविधियों के लिए वित्तपोषण के रास्ते भी बताए गए हैं।

कोडरा ग्रांट के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) इस प्रकार से तैयार की गई है कि इसे कोडरा ग्रांट ग्राम पंचायत की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना के साथ आसानी से और प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सकता है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) निम्नलिखित द्वारा कोडरा ग्रांट जीपीडीपी को पूरक और संपूरित करेगी:

- जलवायु परिपेक्ष के साथ मौजूदा विकास पहलों और गतिविधियों को व्यापक आधार देना।
- जीपीडीपी में प्रस्तावित विकास गतिविधियों के साथ जलवायु परिवर्तन पर चल रहे राष्ट्रीय और राज्य कार्यक्रमों का समन्वय करना।

इस कार्ययोजना में हस्तक्षेप और वार्षिक लक्ष्यों को कोडरा ग्रांट की ग्राम पंचायत विकास योजना की योजनाबद्ध गतिविधियों के साथ जोड़ते हुए लागू किया जा सकता है। जीपीडीपी के अंतर्गत कुछ कार्यक्रमों के लिए निर्धारित मौजूदा आवंटित बजट का उपयोग इस योजना में प्रस्तावित जलवायु अनुकूलन और शमन गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसी योजनाओं के माध्यम से किए गए जल निकाय कायाकल्प से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन लाभ भी होंगे। इसी प्रकार, ग्यारहवीं अनुसूची (जीपीडीपी के आधार पर) के 'गैर-पारंपरिक ऊर्जा' विषय के अंतर्गत निर्धारित धनराशि का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा तैनाती को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

2 जनगणना 2011 आंकड़ों के अनुसार: कुल जनसंख्या - 7,387

3 ग्राम पंचायत के भीतर बिजली की खपत के कारण स्कोप 2 उत्सर्जन शामिल हैं (UPPCL से प्राप्त डेटा और CEA से प्राप्त ग्रिड उत्सर्जन कारक)

इस योजना के कार्यान्वयन के माध्यम से कम किए गए कुल उत्सर्जन का अनुमान प्रति वर्ष 7,833 टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (tCO₂e) है और अगले 20-25 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 1,93,000 tCO₂ तक बढ़ सकती है। तीन चरणों में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुमानित लागत लगभग ₹64 करोड़ (11 वर्षों के लिए) है, जिसमें सामुदायिक निवेश, सार्वजनिक वित्त, निजी वित्त और संभावित कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंडिंग सम्मिलित है। इसमें से आवश्यक धनराशि का 30-35 प्रतिशत (लगभग ₹21 करोड़) केंद्रीय और राज्य योजनाओं/मिशनो/कार्यक्रमों से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि शेष लागत सीएसआर और निजी फंड से प्राप्त की जा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संभावित रूप से सीएसआर को शामिल करने और निजी वित्त जुटाने के लिए 'पंचायत-निजी-भागीदारी' का एक अभिनव दृष्टिकोण अपनाया है।




वर्ष 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट और सतत ग्राम पंचायत

जलवायु संबंधी गतिविधियों को विकास कार्यों में शामिल करना




क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ



कोडरा ग्रांट

कोडरा ग्रांट ग्राम पंचायत एक नजर में†

	स्थान	ब्लॉक - नौगढ़ , जनपद - सिद्धार्थ नगर	भूमि उपयोग*	कृषि भूमि - 609.7 हेक्टेयर वन भूमि - 25.45 हेक्टेयर ग्राम सभा भूमि - 6.62 हेक्टेयर शेष भूमि - 64.48 हेक्टेयर (आवासीय क्षेत्र और जल निकायों के क्षेत्र को जोड़ते हुए)
	कुल क्षेत्रफल	706.25 हेक्टेयर		
	संयोजन	3 राजस्व गांव और 22 बस्तियां	कृषि-जलवायु क्षेत्र	<ul style="list-style-type: none"> उत्तर पूर्वी मैदानी जलवायु परिस्थितियां: उच्च वर्षा के साथ आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु न्यूनतम तापमान: 4.9 °C अधिकतम तापमान: 44.2 °C औसत वार्षिक वर्षा: 1,240 mm मिट्टी: रेतीली दोमट मिट्टी जो मक्का जैसी फसलों और सब्जियों के लिए उपयुक्त है संवेदनशीलता: मानसून के दौरान बाढ़ का खतरा होता है
	कुल जनसंख्या⁴	12,167		
	पुरुषों की संख्या	6,248	जिले की समग्र भेद्यता⁸	मध्यम
	महिलाओं की संख्या	5,919	जिले के क्षेत्रीय भेद्यता	<ul style="list-style-type: none"> आपदा प्रबंधन संवेदनशीलता: बहुत अधिक ग्राम्य विकास संवेदनशीलता: बहुत अधिक स्वास्थ्य संवेदनशीलता: बहुत अधिक ऊर्जा संवेदनशीलता: बहुत अधिक वन संवेदनशीलता: अधिक कृषि संवेदनशीलता: मध्यम जल संवेदनशीलता: बहुत कम
	कुल परिवार⁵	1,934		
	पंचायत अवसंरचना	6-(पंचायत भवन, 1 प्राथमिक विद्यालय, 1 जूनियर हाई स्कूल, 1 हाई स्कूल, स्वास्थ्य उप-केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र)		
	प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां	कृषि और पशुपालन		
	जल संसाधन	2 तालाब (0.40 हे०) 1 नहर बाणगंगा नदी		

† योजना के विकास के लिए किए गए क्षेत्र सर्वेक्षण के आंकड़ों से प्राप्त (फरवरी, 2023)


4 दूसरे दौरे में किए गए आंकड़े संग्रहण के अनुसार; जनगणना 2011 आंकड़ों के अनुसार: कुल जनसंख्या - 7,387; पुरुष - 3,539; महिला- 3,848

5 दूसरे दौरे में किए गए आंकड़े संग्रहण के अनुसार - 1,907 पक्के घर और 27 (मिट्टी, भूसा, टिन) कच्चे घर

6 प्राथमिक क्षेत्र सर्वेक्षण से प्राप्त आदानों पर आधारित

7 कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश

8 उत्तर प्रदेश एसएपीसीसी 2.0



स्रोत: स्पेस बेसड इनफार्मेशन सपोर्ट फॉर डिस्ट्रिक्टलाइज्ड प्लानिंग
<https://bhuvan-panchayat3.npsc.gov.in/>

चित्र 1: कोडरा ग्रांट ग्राम पंचायत, सिद्धार्थ नगर जिले का भूमि-उपयोग मानचित्र

जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफाइल

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)⁹ से प्राप्त जलवायु परिवर्तनशीलता आंकड़ों (तापमान और वर्षा) से ज्ञात होता है कि 1990 की तुलना में 2019 में वार्षिक औसत न्यूनतम तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस अधिक था (चित्र 2 देखें)। इसी समयावधि के दौरान, वार्षिक वर्षा में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई देती है जिसका अर्थ कम दिनों में तीव्र वर्षा होना हो सकता है (चित्र 3 देखें)। हालाँकि, आईएमडी आंकड़ें पंचायत स्तर पर तापमान परिवर्तनशीलता को सम्मिलित नहीं करते हैं और इसके अतिरिक्त, ऐसे दिन भी हैं जिनके लिए आंकड़ें उपलब्ध नहीं थे।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि 1991 से 2023 के बीच समग्र रूप से एशिया सम्पूर्ण विश्व की भूमि और महासागर के सापेक्ष औसत से अधिक तेजी से गर्म हुआ है और 2010-2020 के दशक में दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से में गर्म दिनों में स्पष्ट वृद्धि हुई है।¹⁰ इसी तरह के निष्कर्षों की पुष्टि जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी)¹¹ और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार (एमओईएस) के द्वारा भी की गयी है।¹²

इसके अतिरिक्त, क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केन्द्रित चर्चा से मौसम परिवर्तन के विषय में समुदाय के विचारों के बारे में पता चलता है, उनके द्वारा बताया गया कि 2010-2020 के दशक में, ग्राम पंचायत में गर्मियों के दिनों की संख्या में औसतन 15 से 20 दिनों की वृद्धि देखी गई है। सर्दियों के दिनों की संख्या में लगभग 10 से 20 दिनों की कमी हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि बारिश के दिनों की संख्या में भी लगभग 20 से 30 दिनों की कमी आई है।¹³

ग्राम पंचायत हेतु किए गए जलवायु परिवर्तनशीलता विश्लेषण में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) आंकड़ों के साथ-साथ ग्राम पंचायत में प्रचलित जलवायु परिवर्तनशीलता के संतुलित दृष्टिकोण को सामने लाने के लिए सामुदायिक धारणा दोनों को ध्यान में रखा गया है।


9 दैनिक तापमान (अधिकतम और न्यूनतम) के आंकड़ें और दैनिक बारिश के आंकड़ें गोरखपुर पीबीओ निगरानी स्टेशन से प्राप्त किए गए हैं।

10 एशिया में 2023 में जलवायु की स्थिति <https://library.wmo.int/records/item/68890-state-of-the-climate-in-asia-2023>


11 AR6 संश्लेषण रिपोर्ट: जलवायु परिवर्तन 2023 (ipcc.ch)<https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/>

12 भारतीय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन का आकलन: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) की एक रिपोर्ट | <https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-4327-2>

13 योजना के विकास के लिए किए गए क्षेत्र सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ें




चित्र 2: कोडरा ग्रंट में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान, 1990-2019



चित्र 3: कोडरा ग्रंट में वार्षिक वर्षा (मिमी), 1990- 2019


प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ

ग्राम पंचायत में कृषि और पशुपालन आय के प्राथमिक स्रोत हैं, जिससे लगभग 73 प्रतिशत परिवार जुड़े हुए हैं (चित्र 4 देखें)। इसके बाद 19 प्रतिशत परिवार गैर-कृषि मजदूरी से जुड़े हुए हैं। शेष परिवार सेवा क्षेत्र, स्थानीय व्यवसायों, जल कृषि आदि में संलग्न हैं।




चित्र 4: कोडरा ग्रंट में पारिवारिक स्तर पर आय के प्राथमिक स्रोत

प्राथमिक सर्वेक्षण की सहायता से परिवारों की वार्षिक आय की जानकारी ली गयी जिसमे बड़ी संख्या में परिवारों (74 प्रतिशत) की आय प्रति वर्ष ₹50,000 से कम है, इसके सापेक्ष बहुत छोटी संख्या में परिवार (3 प्रतिशत) ₹5,00,000 से अधिक कमाते हैं (चित्र 5 देखें)।



चित्र 5: कोडरा ग्रांट में पारिवरिक स्तर पर आय का वितरण


राशन कार्ड संबंधी आंकड़ें बताते हैं कि ग्राम पंचायत में लगभग 79 प्रतिशत परिवार सार्वजनिक वितरण योजनाओं (पीडीएस) से लाभ प्राप्त कर रहे हैं और उनके पास राशन कार्ड हैं। कुल राशन कार्डधारी परिवारों में से 166 परिवारों के पास अंत्योदय¹⁴ कार्ड है (चित्र 6 देखें)।



चित्र 6: कोडरा ग्रांट में राशन कार्ड वाले परिवार

कार्यरत महिलाएं

क्षेत्र सर्वेक्षण आंकड़ों के अनुसार कोडरा ग्रांट ग्राम पंचायत में कुल 225 महिलाएं काम करती हैं। ये महिलाएँ अधिकतर कृषि संबंधी कार्यों और गैर-कृषि मजदूरी से जुड़ी हुई हैं। आजीविका के अन्य स्रोतों में पशुपालन सम्मिलित है। महिलाओं की एक छोटी संख्या व्यवसाय और सेवा क्षेत्र से जुड़ी हुई है जैसे पढ़ाना, बैंक और अन्य सरकारी नौकरियां (चित्र 7 देखें)। ग्राम पंचायत में 60 परिवार (~ 3 प्रतिशत) ऐसे हैं जिनकी मुखिया महिला¹⁵ हैं। क्षेत्र सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि पंचायत में 15 स्वयं सहायता समूह हैं जो अधिकतर पशुपालन और कृषि गतिविधियों से जुड़े हुए हैं।




चित्र 7: कोडरा ग्रांट में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न महिलाओं की संख्या

14 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल <https://nfsa.up.gov.in/Food/citizen/ReportNikayWise.aspx?val=NCMxNDkjUiMwMDE5OTIjMDU5NTYx>

15 महिला मुखिया वाले परिवार वे परिवार हैं जिनमें केवल महिलाएं कामकाजी हैं।


कृषि

ग्राम पंचायत में लगभग 41 प्रतिशत परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं, जैसा चित्र 4 में प्रस्तुत है। यह परिवार विभिन्न व्यवस्थाओं के अंतर्गत कृषि कार्यों से जुड़े हैं¹⁶ (चित्र 8 देखें)।



चित्र 8: कोडरा ग्राम में केवल कृषि पर निर्भर परिवार

कोडरा ग्राम में शुद्ध बोया गया क्षेत्र ~ 610 हेक्टेयर है¹⁷ जबकि सकल फसल क्षेत्र ~783 हेक्टेयर है। चित्र 9 ग्राम पंचायत में सकल फसल क्षेत्र का फसलवार वितरण दर्शाता है। यहां उगाई जाने वाली प्रमुख खरीफ फसल धान (~13,573 क्विंटल) है। यहां उगाई जाने वाली प्रमुख रबी फसलें गेहूं (~11,752 क्विंटल) और सरसों (~227 क्विंटल) हैं। सिंचाई के मुख्य स्रोत नहर का पानी, ट्यूबवेल और वर्षा जल है। ग्राम पंचायत में 2 ग्रिड से जुड़े इलेक्ट्रिक पंप और 318 डीज़ल पंपों का उपयोग किया जाता है।



चित्र 9: कोडरा ग्राम में सकल फसल क्षेत्र का फसलवार वितरण

इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत की लगभग 32 प्रतिशत आबादी पशुपालन से जुड़ी हुई है। कोडरा ग्राम में कुल पशुधन आबादी 2,515 (15 गाय, 500 भैंस और 2,000 बकरियां) है और साथ ही, 4,500 मुर्गियां हैं। ग्राम पंचायत में मत्स्यपालन भी किया जाता है।

प्राकृतिक संसाधन

क्षेत्र सर्वेक्षण के अनुसार कोडरा ग्राम में 4 जल निकाय हैं जिनमें 0.40 हेक्टेयर में फैले दो तालाब, एक नहर (छोटी करौती) और बाणगंगा नदी सम्मिलित हैं। ग्राम पंचायत में लगभग 6.62 हेक्टेयर ग्राम सभा भूमि है। ग्राम पंचायत में सामाजिक वन वृक्षारोपण के रूप में 27 हेक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण कार्य किए जा रहे हैं। इन्हें राष्ट्रीय कृषि वानिकी पर उप-मिशन और वर्षा सिंचित क्षेत्र कार्यक्रम के माध्यम से लागू किया गया है। वर्तमान में, इन बागानों में जामुन और अर्जुन के पेड़ उगाए जाते हैं।¹⁸ कोडरा ग्राम में उगाए जाने वाले पेड़ों में आम, सागौन और शीशम आदि सम्मिलित हैं।

16 ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्राम पंचायत में कई परिवार एक से अधिक कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए, छोटी भूमि के मालिकों का बड़े खेतों में दिहाड़ी मजदूरी करना। इसे अतिरिक्त, बड़े खेत के मालिक अनुबंध कृषि से भी जुड़े हो सकते हैं।

17 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आदानों के अनुसार

18 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान/समुदाय से प्राप्त आदानों के अनुसार

कोडरा ग्रांट में सुविधाएं

बिजली तथा रसोई गैस (एलपीजी)

- बिजली कनेक्शन: 81% परिवार
- रसोई गैस कनेक्शन: 90% परिवार



पानी

- घरेलू उपयोग और ग्राम पंचायत स्तर की आपूर्ति के लिए जल का मुख्य स्रोत - भूजल
- 390 घरों में पाइप द्वारा जलापूर्ति होती है



अपशिष्ट पदार्थ

- पंचायत खुले में शौच से मुक्त अर्थात ओडीएफ़ है
- घरेलू शौचालय कवरेज: 53%



आवागमन और बाज़ार तक पहुंच

- राज्य हाईवे (SH 1A)
- राष्ट्रीय हाईवे (NH 730) - 7 किलोमीटर
- निकटतम रेलवे स्टेशन, सिद्धार्थ नगर - 8 किलोमीटर
- निकटतम बैंक - 8 किलोमीटर
- सरकारी राशन की दुकान - 0.5 किलोमीटर




शैक्षिक संस्थान

- प्राथमिक विद्यालय - 1 किलोमीटर
- जूनियर हाई स्कूल - 1 किलोमीटर
- हाई स्कूल - 1 किलोमीटर

स्वास्थ्य संस्थान


- उप-स्वास्थ्य संस्था - 1 किलोमीटर
- ग्राम पंचायत के अंदर आंगनवाड़ी केंद्र
- जिला अस्पताल - 9 किलोमीटर



हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों से कार्बन फुटप्रिंट (दूसरे शब्दों में, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन) महत्वपूर्ण नहीं है, यह अभ्यास ग्राम पंचायत की संपूर्ण आधार रेखा विकसित करने के लिए किया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कार्ययोजना का उद्देश्य कार्बन न्यूट्रल ग्राम पंचायत नहीं, अपितु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकसित करना है। हालांकि, संस्तुतियों में उत्सर्जन में कमी के लाभ को सम्मिलित किया गया है जो कहीं न कहीं ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल या हवा में कार्बन से होने वाले प्रदूषण को लगभग समाप्त करने में मदद करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस अभ्यास में ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) अनुमान सम्मिलित नहीं किया गया है।


इसके अतिरिक्त, कार्बन फुटप्रिंट LiFE मिशन के सिद्धांतों के अनुरूप सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए गतिविधियाँ प्रदान करने में भी सहायता करता है। कुल मिलाकर, 2022 में, कोडरा ग्रांट ग्राम पंचायत ने विभिन्न गतिविधियों से ~5,199 टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (tCO₂e) उत्सर्जित किया है (चित्र 10 देखें)।

कृषि, ऊर्जा और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों में गतिविधियों का कोडरा के कार्बन फुटप्रिंट में योगदान दिया। कृषि क्षेत्र के उत्सर्जन में धान की खेती, कृषि क्षेत्रों में उर्वरक का उपयोग, पशुधन और खाद प्रबंधन से उत्सर्जन और फसल अवशेष जलाने के कारण होने वाला उत्सर्जन शामिल है। ऊर्जा क्षेत्र का उत्सर्जन बिजली की खपत¹⁹, खाना पकाने के लिए लकड़ी और रसोई गैस (एलपीजी) के उपयोग, सिंचाई के लिए डीजल पंपों का उपयोग, पावर बैकअप के लिए जनरेटर का उपयोग और परिवहन के विभिन्न साधनों में जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल/डीजल) के उपयोग के कारण होता है। घरेलू अपशिष्ट जल के कारण होने वाले उत्सर्जन को अपशिष्ट क्षेत्र में शामिल किया गया है।



चित्र 10: 2022 में कोडरा ग्रांट में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट

कुल उत्सर्जन में ऊर्जा क्षेत्र का हिस्सा 52 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में आवासीय खाना पकाने से सबसे अधिक उत्सर्जन होता है (895 tCO₂e), जिसके बाद परिवहन (~747 tCO₂e), बिजली की खपत (~638 tCO₂e), डीजल पंप (~334 tCO₂e) और आवासीय जनरेटर (~109 tCO₂e) आते हैं। कुल उत्सर्जन में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 38 प्रतिशत है, जिसमें धान की खेती (~1,245 tCO₂e) और पशुधन (559.5 tCO₂e) से उत्सर्जन ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन का प्रमुख कारण है। कुल उत्सर्जन में अपशिष्ट क्षेत्र की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत है।



चित्र 11: 2022 में कोडरा ग्रांट के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी

19 बिजली की खपत से हुए उत्सर्जन को स्कोप 2 उत्सर्जन की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि बिजली उत्पन्न करने के लिए (कोयला) दहन ग्राम पंचायत के बाहर होता है

ग्राम पंचायत के व्यापक मुद्दों की पहचान ग्राम पंचायत के एकत्र किए आंकड़ों और पंचायत की एक बेसलाइन तैयार करने के लिए आंकड़ों के विश्लेषण, कृषि-जलवायु क्षेत्र की अंतर्निहित विशेषताओं, जिसमें ग्राम पंचायत स्थित है, के साथ-साथ क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय के सदस्यों से प्राप्त जानकारी और समूह केन्द्रित चर्चा के आधार पर की गयी है।

जहां भी संभव हो सका है, इस जानकारी की पुष्टि उपलब्ध सरकारी आंकड़ों/स्रोतों से की गई है। हालाँकि, कुछ मुद्दे पूरी तरह से समुदाय की जानकारी पर आधारित हैं क्योंकि इनके लिए ग्राम पंचायत स्तर के आंकड़ें पुष्टि के लिए उपलब्ध नहीं थे। ग्राम पंचायत में पहचाने गए मुद्दों का सारांश नीचे दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विस्तृत मुद्दे एवं गतिविधियां अनुभाग के संबंधित विषयों में सूचीबद्ध हैं।

- मौसम की अवधि में बदलाव और अनियमित वर्षा से ग्राम पंचायत में अन्य प्रभावों के साथ-साथ बुआई का समय, कटाई का समय और फ़सलों की सिंचाई की आवश्यकताएँ भी प्रभावित हो रही हैं
- जुलाई से सितम्बर माह में बार-बार सूखा पड़ता है जिससे कुछ बस्तियों में जलभराव की समस्या हो जाती है
- इस ग्राम पंचायत में अगस्त से अक्टूबर तक सूखे जैसी स्थिति हो जाती है
- अस्थायी कृषि और पशुपालन पद्धतियाँ
- सीमित स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाएं
- जल निकायों का खराब रखरखाव
- खाना पकाने, कृषि और परिवहन आवश्यकताओं के लिए जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल/डीजल) और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में जागरूकता की कमी
- स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता का अभाव।

प्रत्येक विषयगत मुद्दे में कई गतिविधियों/संस्तुतियों को शामिल किया गया है, जिसमें शमन और अनुकूलन दोनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो पिछले अनुभाग में पहचाने गए प्रमुख मुद्दों को संबोधित करते हैं। गतिविधियों/संस्तुतियों को चरणबद्ध लक्ष्यों और लागत अनुमानों²⁰ (जहाँ तक संभव हो) के साथ वर्णित किया गया है। लक्ष्यों को तीन चरणों में बांटा गया है: चरण - I (2024-25 से 2026-27); चरण - II (2027-28 से 2029-30); और चरण - III (2030-31 से 2034-35)।

प्रत्येक चरण के अंतर्गत लक्ष्यों का प्रभावी और निगरानीपूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए वार्षिक लक्ष्यों (वर्ष-दर-वर्ष लक्ष्य) में विभाजित किया जा सकता है। साल-दर-साल लक्ष्य विकसित करने के प्रारूप को 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)' दस्तावेज़ से संदर्भ लेते हुए तैयार किया जा सकता है। मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) एक चरण-दर-चरण दृष्टिकोण है जिसका उपयोग ग्राम प्रधानों, समुदाय के सदस्यों या किसी अन्य हितधारकों द्वारा अपने संबंधित ग्राम पंचायतों हेतु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना विकसित करने के लिए किया जा सकता है।

पहचाने गए वित्तपोषण के विकल्पों/तरीकों में केंद्रीय या राज्य योजनाएं, ग्राम पंचायत की विभिन्न टाइड और अनटाइड निधि या कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) हस्तक्षेप के माध्यम से निजी वित्त की पहचान की गई है। विस्तृत गतिविधियां निम्नलिखित अनुभाग में हैं।

कार्ययोजना में मुझाव निम्नलिखित विषयों पर आधारित हैं:

1. सतत कृषि
2. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प
3. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना
4. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
5. सतत और उन्नत गतिशीलता
6. स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच
7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

इसके अतिरिक्त, गतिविधियों का हिस्सा न बनाते हुए, पंचायतों द्वारा विचार के लिए संभावित पहलों/प्रयासों/नवाचरों की एक सूची भी सूचीबद्ध की गई है। इन पहलों/प्रयासों/नवाचरों को भारत के कुछ हिस्सों में ग्राम पंचायतों द्वारा सफलतापूर्वक लागू किया गया है और इन्हें यहां दोहराया भी जा सकता है। हालाँकि, ये पहल/प्रयास/नवाचार उत्तर प्रदेश सरकार की वर्तमान में संचालित किसी भी योजना/कार्यक्रम में शामिल नहीं है, इसलिए इन पहलों/प्रयासों/नवाचरों के लिए धन का वहन समुदायों द्वारा या सीएसआर और निजी स्रोतों की खोज से किया जाएगा। इस कारण से इन्हें मुख्य गतिविधियों में सम्मिलित नहीं किया गया है।

20 लागत का अनुमान निम्नलिखित के आधार पर लगाया गया है, जैसे: ग्राम पंचायत के मुख्य सदस्यों से प्राप्त जानकारियां, या प्रासंगिक योजनाओं और नीतियों के अनुसार अनुमानित लागत, या आवश्यक आदानों की प्रति इकाई की अनुमानित लागत या विभिन्न विभागों की दरों की अनुसूची।

सतत कृषि



संदर्भ एवं मुद्दे²¹

- कोडरा ग्रांट में कृषि क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल ~610 हेक्टेयर है और सकल फ़सल क्षेत्र लगभग 783 हेक्टेयर है।
- ग्राम पंचायत में 41 प्रतिशत परिवार कृषि पर निर्भर हैं और ~32 प्रतिशत परिवार आय के स्रोत के रूप में पशुपालन पर निर्भर हैं।
- खरीफ़ और रबी सीज़न में उगाई जाने वाली प्रमुख फ़सलें धान (~366 हेक्टेयर), गेहूँ (~396 हेक्टेयर) और सरसों (~20 हेक्टेयर) हैं।
- ग्राम पंचायत में 2018, 2020 और 2022 में अगस्त²² के माह में 3 बार सूखा पड़ा जिससे फ़सल को नुकसान और पानी का संकट हुआ था।
- पिछले 5 वर्षों में, बाढ़, सूखा, फ़सल कीट और बीमारियों के कारण फ़सल को नुकसान हुआ है।
- ग्राम पंचायत में बहुत कम किसानों ने फ़सल और पशुधन बीमा करवाया है क्योंकि उपलब्ध सरकारी बीमा योजनाओं के बारे में जानकारी का अभाव है। नुकसानों और जोखिमों को कम करने के लिए क्षमता निर्माण पहलों की आवश्यकता है जिससे किसानों को फ़सल और पशुधन बीमा योजनाओं को अपनाने के विषय में सहायता मिले।
- कोडरा ग्रांट में किसान प्रति वर्ष ~54 टन यूरिया, ~45 टन डीएपी, और अन्य नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का उपयोग करते हैं जिससे प्रति वर्ष ~106 टन CO₂e का ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन होता है। किसान कीटनाशकों और खरपतवारनाशी जैसे अन्य रासायनिक आदानों पर भी निर्भर हैं। कोडरा ग्रांट में प्राकृतिक खेती नहीं की जाती है।
- जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण में बताया गया है, कृषि में जल की मांग में वृद्धि हुई है, जिसके कारण बेहतर सिंचाई तकनीकों के उपयोग पर जोर दिये जाने की आवश्यकता है।
- जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण में बताया गया है, ग्राम पंचायत में किसान उत्पादक संगठन और बीज बैंक नहीं हैं जिस कारण किसान तीव्र मौसमी आपातकालीन स्थितियों के दौरान जोखिम प्रबंधन करने से चूक जाते हैं।

उपरोक्त बिंदु अनुकूलन क्षमता बढ़ाने के लिए सतत और सूखा प्रतिरोधी कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।

²¹ क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केन्द्रित चर्चा से प्राप्त जानकारी और अन्य प्रासंगिक स्रोतों द्वारा पुष्ट किया गया

²² क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय से प्राप्त आदानों पर आधारित



जलवायु परिवर्तन अनुकूल खेती

चरण

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

लक्ष्य

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
	<ol style="list-style-type: none"> ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रथाओं को बढ़ावा देना और अपनाना बाढ़ से खेतों की रक्षा करने के लिए उनके चारों ओर पेड़ों से मेढबन्धी/बांधों का निर्माण करना जहां संभव हो कृषि तालाब बनाकर कृत्रिम पुनर्भरण को बढ़ावा देना फ़सल में पानी की आवश्यकता को कम करने के लिए धान की सूखा प्रतिरोधी किस्म को अपनाना और प्रत्यक्ष बिजित धान की किस्मों को अपनाना बाजरा संबंधी फ़सलों की खेती करना किसानों को फ़सल नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता बढ़ाना फ़सलों में आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्वों का प्रबंधन (जैसे, जैविक पुनर्चक्रण, फोलिअर स्प्रे के लिए पोषक तत्व, आदि)²³ 	<ol style="list-style-type: none"> सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार करना मेढबन्धी/बांधों का विस्तार करना और अधिक कृषि तालाबों का निर्माण करना सूखा सहन करने वाली फ़सलों की किस्मों को अपनाने के लिए चरण I की गतिविधियों का विस्तार करना बाजरा और दलहन जैसी अकाल सहने योग्य फ़सलों सहित फ़सल परिक्रमण और मिश्रित फ़सल का कार्य जागरूकता बढ़ाने वाले प्रयासों को जारी रखना और किसानों को फ़सल के नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए सहायता प्रदान करना 	<ol style="list-style-type: none"> सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार करना सूखा सहन करने वाली फ़सलों की किस्मों को अपनाने के लिए चरण II की गतिविधियों का विस्तार करना
	<ol style="list-style-type: none"> 20 हेक्टेयर कृषि भूमि में सूक्ष्म-सिंचाई अपनाना (सरसों के अंतर्गत 100% कृषि भूमि) 305 हेक्टेयर में पेड़ों से मेढबन्धी/बांधों का निर्माण (कुल कृषि क्षेत्र का 50%) आवश्यकतानुसार 300 m³ क्षमता के कृषि तालाबों का निर्माण करना 	<p>संपूर्ण कृषि भूमि 305 हेक्टेयर (कुल कृषि भूमि का 100%) में पेड़ों के साथ मेड़ का निर्माण</p>	<p>बांधों और कृषि तालाबों का रख-रखाव</p>

23 सूखा नियम-पुस्तिका (2020), <https://vedas.sac.gov.in/static/pdf/Drought%20Manual-2020.pdf>

अनुमानित लागत

1. सूक्ष्म सिंचाई: ₹20,00,000
 2. मेड़/बांध: प्रायः ₹2,61,900
 3. 300 घन मीटर क्षमता के 1 कृषि तालाब के निर्माण की लागत: ₹90,000
- कुल लागत: ₹22.61 लाख

मेड़/बांध: प्रायः ₹2,61,900
कुल लागत: ₹2,61,900

आवश्यकता के अनुसार



प्राकृतिक खेती अपनाना

चरण

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> 1. जैविक उर्वरक, जैव-कीटनाशकों और जैव-खरपतवारनाशकों के उपयोग के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। <ul style="list-style-type: none"> » प्रशिक्षण और प्रदर्शन » नर्सरी एवं स्थानीय बीज बैंक का विकास » जैविक/प्राकृतिक खेती प्रमाणन प्रक्रिया प्रारम्भ करना » बाजार संपर्कों का पता लगाया जाना 2. मिश्रित फ़सल, फ़सल चक्र, मल्विंग, जीरो टिलेज जैसी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना और अपनाना 	<ol style="list-style-type: none"> 1. कृषि भूमि की प्राकृतिक खेती में परिवर्तन जारी रखना (नर्सरी, बीज बैंक, प्रमाणन तंत्र और बाजार संपर्क स्थापित करना) 2. चरण I में कार्यान्वित प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना और अपनाना 	<p>100% कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना</p>

लक्ष्य

92 हेक्टेयर (15%) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना	244 हेक्टेयर (अतिरिक्त 40%) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना	शेष 274 हेक्टेयर (100%) कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना
--	--	--

अनुमानित लागत

<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000 2. प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन: ₹2,27,33,200 <p>कुल लागत: ₹2.27 करोड़</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000 2. प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन: ₹6,02,92,400 <p>कुल लागत: ₹6.03 करोड़</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000 2. प्राकृतिक खेती के लिए भूमि का परिवर्तन: ₹6,78,28,950 <p>कुल लागत: ₹6.7 करोड़</p>
--	--	---



सतत पशुधन प्रबंधन

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> पशुधन प्रबंधन के लिए पशुपालन में लगे परिवारों की जागरूकता बढ़ाना और क्षमता निर्माण करना पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए समुदाय के सदस्यों को पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता/ पैरा-पशु चिकित्सक प्रशिक्षण के रूप में प्रशिक्षित करना पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने संबंधी हस्तक्षेप के लिए अनुभाग अतिरिक्त संस्तुतियाँ²⁴ देखें। 	<ol style="list-style-type: none"> प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार आवश्यकता के अनुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण को बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार आवश्यकता के अनुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण को बढ़ाना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> पशुपालन में संलग्न परिवारों के लिए स्थायी/सतत पालन क्रियाओं/प्रथाओं, बीमारी की रोकथाम और पशुधन स्वास्थ्य के प्रबंधन पर कार्यशालाएँ आयोजित करना 2 पैरा-वेट्स का प्रशिक्षण²⁴ 	<ol style="list-style-type: none"> रोग की रोकथाम और स्थायी/सतत पालन क्रियाओं/प्रथाओं पर अतिरिक्त कार्यशालाएँ आयोजित करना पशुधन प्रबंधन के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> रोग की रोकथाम और स्थायी/सतत पालन प्रक्रियाओं / प्रथाओं पर अतिरिक्त कार्यशालाएँ आयोजित करना पशुधन प्रबंधन के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
अनुमानित लागत	कार्यशाला और पैरा-पशु चिकित्सक प्रशिक्षण की लागत: आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकता के अनुसार

24 प्रशिक्षण दिए जाने वाले समुदाय आधारित पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या ग्राम पंचायत की आवश्यकता पर आधारित है

मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), उ.प्र. बाजरा पुनरुद्धार कार्यक्रम, प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, मौसम आधारित फ़सल बीमा योजना, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना से धन और सब्सिडी के माध्यम से सूखा प्रबंधन और प्रूफिंग प्रक्रियाओं का समर्थन किया जा सकता है।
- सूखारोधी गतिविधियों, नर्सरी और बीज बैंकों के निर्माण को मनरेगा के माध्यम से सुव्यवस्थित किया जा सकता है।
- जैविक खेती प्रथाओं को विभिन्न योजनाओं जैसे: परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि और सब्सिडी के माध्यम से समर्थन दिया जा सकता है।
- किसानों के लिए तकनीकी और ज्ञान सहायता के साथ-साथ जैविक खेती प्रदर्शनों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्रों (एनसीओएफ और आरसीओएफ), कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के निकटतम जैविक खेती सेल के माध्यम से सक्षम किया जा सकता है।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन और सतत खेती के लिए किसानों और एफपीओ के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहायता के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) का उपयोग किया जा सकता है।
- कृषि रक्षा योजना विभिन्न पारिस्थितिक संसाधनों के माध्यम से कीट नियंत्रण और जैव-रसायनों के उपयोग को बढ़ावा देने में किसानों की सहायता करती है।
- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना और राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी राज्य योजनाओं के माध्यम से पैरा-पशुचिकित्सक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का लाभ उठाया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- कटाई के बाद के नुकसान को कम करने में मदद करने के लिए कोल्ड-स्टोरेज सुविधा की स्थापना और संचालन ('स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच' अनुभाग में उल्लिखित योजनाओं के अनुरूप) करना।
- जागरूकता बढ़ाना: जैविक खेती के तरीकों और लाभों, आवश्यक सुझाव, प्रदर्शन, सूचना और मार्गदर्शन के प्रासंगिक स्रोत, पंजीकरण प्रक्रिया, सत्यापन और प्रमाणन प्रक्रिया, बाजार लिंकेज और मौसम-आधारित सूचना सेवाओं आदि पर जानकारी।
- किसानों, एफपीओ, एसएचजी और अन्य समुदाय के सदस्यों को बीमा, विभिन्न योजनाओं के लाभ के साथ-साथ जैविक उर्वरकों को अपनाने, सूखारोधी कृषि और सतत पशुधन प्रबंधन, अंततः जैविक खेती में परिवर्तन सहित क्लाइमेट स्मार्ट कृषि प्रथाओं को लागू करने के तकनीकी पहलुओं के लिए मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करना।
- साथ ही, कोडरा ग्रांट में सतत कृषि करने वाले किसानों, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों, और अन्य समुदाय के सदस्यों के क्षमता निर्माण का कार्य क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञों और संस्थानों, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, सीएसओ और कंपनियों के सहयोग से किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
- उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
- सीआईपीएम - एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र
- मत्स्य पालन विभाग
- भूमि संसाधन विभाग
- जल शक्ति विभाग
- कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए)
- पशुपालन विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा)
- जैविक खेती हेतु क्षेत्रीय केंद्र
- कृषि विज्ञान केंद्र, सिद्धार्थ नगर

2

जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प



संदर्भ एवं मुद्दे²⁵

- कोडरा ग्रांट ग्राम पंचायत मुख्य रूप से कृषि और घरेलू दोनों जरूरतों के लिए पानी के प्राथमिक स्रोत के रूप में भूजल पर निर्भर है। ग्राम पंचायत में साल 2020, 2021 और 2022 में जुलाई से सितंबर के महीने में बाढ़ की कई घटनाएं घटित हुईं और साल 2018, 2020 और 2022 में अगस्त से अक्टूबर के महीने में सूखा पड़ा था।
- कोडरा ग्रांट में बाढ़ और जलजमाव विशेष चिंता का विषय है और कम दिनों में अनियमित और तेज़ बारिश होने के कारण यह समस्या और भी गंभीर बन चुकी है। इस कारण जल निकायों और नालियों में कचरा जमा हो जाता है और दूषित पानी से होने वाली बीमारियों में वृद्धि होती है, साथ ही पीने के पानी के स्रोत भी प्रदूषित हो जाते हैं।²⁶ जल निकासी संबंधी बुनियादी ढांचों के अप्रभावी और उनके खराब रख-रखाव के कारण यह समस्या और भी गंभीर बन जाती है।
- कोडरा ग्रांट में 2 तालाब हैं, दोनों तालाबों के खराब रखरखाव के कारण इनमें गाद, मलबा और कचरा भरा हुआ है, इसलिए इनकी सफ़ाई और पुनरुद्धार की आवश्यकता है।
- भूजल पर निर्भरता और 2018 से लेकर 2022 तक हुए सूखे की लगातार घटनाएं जल संरक्षण और भूजल संसाधनों को फिर से भरने/पुनर्जीवित करने के लिए वाटरशेड प्रबंधन की आवश्यकता को प्रदर्शित करती हैं।²⁷

कोडरा ग्रांट में संवेदनशीलता को कम करने, लचीलापन विकसित करने और जल उपलब्धता में सुधार के लिए निम्नलिखित गतिविधियां प्रस्तावित हैं।

25 क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केन्द्रित चर्चा से प्राप्त जानकारी और अन्य प्रासंगिक स्रोतों द्वारा पुष्ट किया गया

26 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आदानों पर आधारित

27 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आदानों पर आधारित



जल निकायों का रखरखाव

चरण	I	II	III
	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> 1. तालाबों की खुदाई, उनकी सफ़ाई और उनके रखरखाव का कार्य 2. हैण्डपंपों की रिबोरिंग और उनके चबूतरे की ऊंचाई बढ़ाना 3. तालाबों के आसपास ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण 4. आवधारण तालाबों (मानव द्वारा निर्मित) का निर्माण कर बहकर चले जाने वाले अतिरिक्त पानी को रोकना और उसे सिंचाई और घरेलू उपयोग के लिए उपलब्ध कराना 5. जल के उचित उपयोग और जल संरक्षण में सुधार के लिए विभिन्न सामुदायिक समूहों के मध्य जागरूकता बढ़ाने हेतु मौजूदा ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) का क्षमता विकास करना 	<ol style="list-style-type: none"> 1. तालाबों के आसपास अतिरिक्त वृक्षारोपण का कार्य 2. चरण I की गतिविधियों का विस्तार करना 3. समुदाय और अन्य हितधारकों के क्षमता विकास का कार्य 	<ol style="list-style-type: none"> 1. तालाबों का नियमित रखरखाव किया जाना 2. आवश्यकता के अनुसार चरण I और चरण II की गतिविधियों का विस्तार करना
	लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 तालाबों की खुदाई और उनकी सफ़ाई²⁸ 2. सभी बस्तियों में 15 हैण्डपंपों की रिबोरिंग और उनके चबूतरे की ऊंचाई बढ़ाना²⁹ 3. ट्री गार्ड के साथ 1,000 पेड़ों का रोपण (जल निकायों के आसपास) 4. पहचाने गए निचले क्षेत्रों में 5 अवधारण तालाबों का निर्माण करना 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 तालाबों के रखरखाव का कार्य 2. जल निकायों के आसपास अतिरिक्त ट्री गार्ड के साथ 1,000 पेड़ों का रोपण 3. पहचाने गए निचले क्षेत्रों में 10 अवधारण तालाबों का निर्माण करना

28 विशिष्ट स्थानों के विवरण जानने के लिए एचआरवीसीए देखें

29 विशिष्ट स्थानों के विवरण जानने के लिए एचआरवीसीए देखें

अनुमानित लागत

<ol style="list-style-type: none"> 1. तालाबों की सफाई और उनके लिए खुदाई का कार्य: ₹15,00,000 2. हैण्डपंपों की रिबोरिंग और उनके चबूतरे की ऊंचाई बढ़ाना ₹8,00,000 3. जल निकायों के आसपास वृक्षारोपण: 'हरित स्थानों और जैव विविधता को बढ़ाना' अनुभाग में सम्मिलित है: ₹12,70,000 4. 5 अवधारण तालाब (300 घन मीटर क्षमता): ₹35,00,000 <p>कुल लागत: ₹58 लाख</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 तालाबों के रखरखाव का कार्य: ₹7,50,000 2. जल निकायों के आसपास वृक्षारोपण: 'हरित स्थानों और जैव विविधता को बढ़ाना' अनुभाग में सम्मिलित है: ₹12,70,000 3. 5 अवधारण तालाब (300 घन मीटर क्षमता): ₹35,00,000 4. 5 अवधारण तालाबों के रखरखाव का कार्य: ₹2,50,000 <p>कुल लागत: ₹45 लाख</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2 तालाबों के रखरखाव का कार्य: ₹7,50,000 2. 10 अवधारण तालाबों के रखरखाव का कार्य: ₹5,00,000 <p>कुल लागत: ₹12.5 लाख</p>
---	---	---



नालों के बुनियादी ढांचे का सुदृढीकरण

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सफाई गार्ड जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> 1. मौजूदा नालों और नहर की सफाई और उनकी गहराई बढ़ाना 2. अतिरिक्त पानी निकालने के लिए साइफन स्थापित करना 	नालों, नहर और साइफनों का नियमित रखरखाव	नालों, नहर और साइफनों का नियमित रखरखाव
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> 1. जमुआर नाले और छोटी करौती नहर की सफाई और उनकी गहराई बढ़ाना 2. विशिष्ट स्थानों में अतिरिक्त पानी निकालने के लिए साइफन स्थापित करना³⁰ 	नालों, नहर और साइफनों का नियमित रखरखाव	नालों, नहर और साइफनों का नियमित रखरखाव

30 अधिक विवरण जानने के लिए एचआरवीसीए देखें

अनुमानित लागत

1. सफ़ाई और गहराई बढ़ाने का कार्य: ₹30,00,000
 2. साइफन की लागत: ₹25,00,000
- कुल लागत: ₹55 लाख

आवश्यकता के अनुसार

आवश्यकता के अनुसार



वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) प्रथाएं

चरण

	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> 1. पंचायत में स्थित सरकारी भवनों (पीआरआई) में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं की स्थापना का कार्य 2. सभी नई इमारतों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करना 3. पुनर्भरण गड्डों का निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1,500 वर्ग फुट से अधिक भूखंड के आवासीय भवनों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं की स्थापना 2. सभी नई इमारतों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करना 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1,000 वर्ग फुट से अधिक भूखंड के आवासीय भवनों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं की स्थापना 2. सभी नई इमारतों में वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाओं को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करना

लक्ष्य

<ol style="list-style-type: none"> 1. पंचायत में स्थित 4 सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं की स्थापना 2. 15 पुनर्भरण गड्डों का निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 560 पक्के घरों में 10 घन मीटर की औसत क्षमता वाली वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना करना। 2. आवश्यकता के अनुसार पुनर्भरण गड्डों का निर्माण 	800 पक्के घरों में 10 घन मीटर की औसत क्षमता वाली वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना करना।
---	---	--

अनुमानित लागत

<ol style="list-style-type: none"> 1. वर्षा जल संचयन प्रणाली: ₹1,40,000 2. पुनर्भरण गड्डे: ₹5,25,000 <p>कुल लागत: ₹6.6 लाख</p>	<p>वर्षा जल संचयन प्रणाली: ₹1,96,00,000</p> <p>कुल लागत: ₹1.96 करोड़</p>	<p>वर्षा जल संचयन प्रणाली: ₹2,80,00,000</p> <p>कुल लागत: ₹2.80 करोड़</p>
--	--	--

मौजूदा योजनाएँ और कार्यक्रम

- जल शक्ति अभियान: 'कैच द रेन' अभियान द्वारा उपलब्ध प्रावधानों और संसाधनों के माध्यम से वर्षा जल संचयन प्रणालियों का विकास किया जा सकता है।
- सिंचाई विभाग के अंतर्गत यूपी राज्य के वार्षिक बजट को ग्राम पंचायत स्तर के जल निकाय संरक्षण और जीर्णोद्धार गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत मनरेगा और वाटरशेड विकास घटक के वार्षिक बजट का उपयोग वाटरशेड विकास गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- जल निकायों और कुओं के अनुरक्षण और रखरखाव में योगदान देने के लिए कॉर्पोरेट/सीएसआर को 'जल निकाय को अपनाने' के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। सीएसआर समर्थन का उपयोग ग्राम पंचायत में गुरुत्वाकर्षण आधारित/सौर संचालित आरओ जल निस्पंदन प्रणाली की स्थापना के लिए किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- ग्राम्य विकास विभाग
- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, जल शक्ति मंत्रालय
- उत्तर प्रदेश भूमि संसाधन विभाग

3

हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना



संदर्भ एवं मुद्दे

- ग्राम पंचायत में 6.62 हेक्टेयर ग्राम सभा की भूमि उपलब्ध है जिसमें वृक्षारोपण/पौधारोपण गतिविधियां की जा सकती हैं। वृक्ष प्रजातियों में जामुन, अर्जुन, आम, सागौन और शीशम सम्मिलित हैं।
- ग्राम पंचायत में 25 हेक्टेयर सीमांकित वन भूमि भी है। ग्राम पंचायत में सामाजिक वन वृक्षारोपण के रूप में 27 हेक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण कार्य किए जा रहे हैं।

कोडरा ग्रांट ग्राम पंचायत में हरित क्षेत्रों की जगह बढ़ाने की क्षमता है, क्योंकि यह न केवल बढ़ते तापमान में सुधार करेगा और छाया प्रदान करेगा अपितु ग्राम पंचायत में कार्बन सिंक को बढ़ाने के अलावा, लंबी अवधि में मिट्टी के स्वास्थ्य और जल स्तर में भी सुधार करेगा।



हरित क्षेत्र में सुधार

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> विभिन्न पहलों के माध्यम से वार्षिक सामुदायिक वृक्षारोपण गतिविधियों³¹ का आयोजन करना: <ul style="list-style-type: none"> छात्रों के लिए ग्रीन स्टीवर्डशिप कार्यक्रम³² (5 छात्र चयनित) देशी फलों के पेड़ लगाकर खाद्य वन का निर्माण 	<ol style="list-style-type: none"> वर्तमान बागानों और नर्सरियों का रखरखाव बाल वन³³ के निर्माण के साथ अतिरिक्त छोटे पौधे लगाना किसानों को कृषि वन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना आरोग्य वन की स्थापना करना 	<ol style="list-style-type: none"> बाल वन और अन्य वृक्षारोपण गतिविधियाँ जारी रखना और उनमें वृद्धि करना कृषि-वन पहल के तहत ~ 158 हेक्टेयर (कृषि वन के लिए उपयुक्त भूमि का 100%) भूमि पर कृषि वन की स्थापना³⁴

31 अनुलग्नक VI में वृक्षों के नामों की सूची है

32 स्कूली बच्चों से पौधे लगवाए जाएंगे और हर एक कक्षा से छात्र मार्गदर्शकों को चुना जाएगा जो ग्राम पंचायत में अपने जैसे अन्य छात्रों को पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे

33 नए माता-पिताओं को उनके बच्चे के जन्म के अवसर पर देसी सदाबहार पेड़ों के पौधे दिए जाएंगे और उन्हें अपने बच्चे के साथ-साथ उन पौधों की देखभाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा

34 गेहूँ के अंतर्गत आने वाली कृषि भूमि ~158 हेक्टेयर को कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त माना गया है।

2. **आरोग्य वन** का विकास - भूमि की खरीद और तैयारी, प्रजातियों का चयन और विभिन्न औषधीय जड़ी-बूटियों, झाड़ियों और वृक्षारोपण
3. छात्रों, युवाओं और स्थानीय समुदायों के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण सत्र:
 - » जंगलों और हरित क्षेत्रों का महत्व
 - » वृक्षारोपण और पेड़ों की देखरेख

4. **आरोग्य वन** की स्थापना करना
5. छात्रों, युवाओं और स्थानीय समुदायों के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण सत्र

1. **आरोग्य वन** का रखरखाव और प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन के लिए इकाइयों की स्थापना
2. छात्रों, युवाओं और स्थानीय समुदायों के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण सत्र

लक्ष्य

1. तालाबों, नदियों, सड़कों और अन्य स्थानों में आम और लुप्त हो रहे पेड़ों के 1,000 पौधों का रोपण और कम से कम 65% पौधों को जीवित रखना सुनिश्चित करना (ट्री गार्ड के उपयोग से)।
पृथक्करण क्षमता³⁵: 15-20 वर्षों में 5,600 tCO₂ से 10,000 tCO₂ होना अनुमानित
2. आरोग्य वन स्थापित करने के लिए लगभग 0.1 हेक्टेयर भूमि का आवंटन/सीमांकन

1. अतिरिक्त 1,000 से 1,500 पौधों का रोपण
पृथक्करण क्षमता: 15-20 वर्षों में 7,000 tCO₂ से 12,500 tCO₂
2. आरोग्य वन की स्थापना एवं रखरखाव
3. 63 हेक्टेयर भूमि में कृषि वानिकी को अपनाया जाना (40% भूमि कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त), 6,300 पौधों को रोपित किए जाने का कार्य सागौन वृक्षारोपण से पृथक्करण क्षमता: 20 वर्षों में 35,280 tCO₂ से 63,000 tCO₂

1. अतिरिक्त 1,000 से 1,500 पौधे लगाए जाने का कार्य
पृथक्करण क्षमता: 15-20 वर्षों में 7,000 tCO₂ से 12,500 tCO₂
2. 95 हेक्टेयर भूमि में कृषि वानिकी को अपनाया जाना, 9,500 पौधे रोपित किए जाने का कार्य
पृथक्करण क्षमता: 20 वर्षों में 53,200 tCO₂ से 95,000 tCO₂
3. आरोग्य वन का रखरखाव और प्राकृतिक दवाओं और पूरकों का उत्पादन जारी रखना (जैसा कि 'आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना' अनुभाग में वर्णित है)

अनुमानित लागत

वृक्षारोपण गतिविधियाँ: ₹12,70,000
कुल लागत: ₹12 लाख

1. वृक्षारोपण की कुल लागत: ₹15,87,500
2. कृषि वानिकी की लागत: ₹25,28,000
कुल लागत: ₹41 लाख

1. वृक्षारोपण की कुल लागत: ₹15,87,500
2. कृषि वानिकी की लागत: ₹37,92,000
कुल लागत: ₹53 लाख

35 सागौन की प्रजाति के आधार पर पृथक्करण क्षमता का अनुमान लगाया गया है



नर्सरी की स्थापना

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को रोज़गार देकर नर्सरी के लिए पॉलीहाउस की स्थापना करना नर्सरी के रखरखाव और संचालन के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को प्रशिक्षित करना 	नर्सरी का रखरखाव	नर्सरी का रखरखाव
लक्ष्य	नर्सरी के लिए पॉलीहाउस की स्थापना करना जिससे हरित क्षेत्र में सुधार हो सके और महिलाओं को अतिरिक्त आय भी मिल सके।	नर्सरी का रखरखाव	नर्सरी का रखरखाव
अनुमानित लागत	नर्सरी के निर्माण और संचालन की लागत: ₹5,00,000 कुल लागत: ₹5,00,000	आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकता के अनुसार



जन जैवविविधता रजिस्टर

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन लोगों और सभी हितधारकों में जन जैवविविधता रजिस्टर के प्रति जागरूकता बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> जन जैवविविधता रजिस्टर का नियमित अद्यतन जारी रखना जागरूकता को मज़बूत करना 	<ol style="list-style-type: none"> जन जैवविविधता रजिस्टर का नियमित अद्यतन जारी रखना जागरूकता को मज़बूत करना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> जैवविविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) का गठन और क्षमता विकास जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन 	जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी रखना	जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी रखना

मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, ग्रीन इंडिया मिशन, जल जीवन मिशन और उप्र राज्य वृक्षारोपण लक्ष्यों द्वारा 'भारत में वनों के बाहर पेड़' पहल के अंतर्गत प्रावधानों के माध्यम से वृक्षारोपण गतिविधियों को जोड़ा और संचालित किया जा सकता है।
- उ.प्र. राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण निधि (राज्य कैम्पा निधि) के अंतर्गत वार्षिक बजटिंग के लिए निम्न गतिविधि हेतु निर्देशित किया जा सकता है:
 - » ग्राम पंचायत में वनरोपण, जैवविविधता का संवर्धन, वन्यजीव आवास में सुधार, और मिट्टी एवं जल संरक्षण गतिविधियाँ।
- वृक्षारोपण गतिविधियों को मनरेगा के साथ जोड़ा जा सकता है और स्थानीय समुदाय को 'श्रमदान' करने में भी सम्मिलित किया जा सकता है।
- सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत कृषि वानिकी संबंधी उप-मिशन का लाभ उठाया जा सकता है:
 - » कृषि वानिकी वृक्षारोपण के लिए प्रति हेक्टेयर ₹28,000 का लाभ उठाया जा सकता है।
 - » वृक्षारोपण हेतु सहायता चार वर्षों के लिए 40:20:20:20 के वर्ष-वार अनुपात में प्राप्त की जा सकती है।
- केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ के कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम पंचायत में आरोग्य वन स्थापित करने में सहायक हो सकता है।
- बागवानी नर्सरी जैसी गतिविधियों का लाभ एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के माध्यम से उठाया जा सकता है।
- जैवविविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के कार्यक्रमों का उपयोग किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत को आवंटित संसाधन तथा पंचायत के स्वयं की आय (ओएसआर) से एकत्र राजस्व
- पौधों की खरीद, वृक्षारोपण अभियान का आयोजन, पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्री गार्ड के निर्माण के लिए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड का लाभ उठाया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
- राज्य जैवविविधता बोर्ड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौध संस्थान, लखनऊ

36 जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) के संचालन के लिए दिशानिर्देश, 2013, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। <http://nbaindia.org/uploaded/pdf/Guidelines%20for%20BMC.pdf>

4

सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन



संदर्भ एवं मुद्दे³⁷

- ग्राम पंचायत में सभी घरेलू गतिविधियों (घरेलू सार्वजनिक एवं अर्ध-सार्वजनिक स्थानों और वाणिज्यिक क्षेत्रों) से उत्पन्न कुल कचरा³⁸ लगभग 973 किलो प्रति दिन है। इसमें से ~565 किलोग्राम प्रति दिन बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरा और ~408 किलोग्राम प्रति दिन गैर-बायोडिग्रेडेबल/अजैविक कचरा होता है। (अनुमान पद्धति के लिए अनुलग्नक IV देखें)
- क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार, अपशिष्ट पृथक्करण और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में सार्वजनिक जागरूकता की कमी है और इस कारण खुली जगहों और तालाबों के आसपास कचरा फेंका जाता है।
- कोडरा ग्रांट में कृषि और पशु अपशिष्ट की बड़ी मात्रा अपशिष्ट प्रबंधन के मुद्दों को बढ़ाती हैं। कोडरा ग्रांट ग्राम पंचायत में कुल पशुधन आबादी 2,515 है (गाय, भैंस, बकरियां सहित) और अनुमानित गोबर उत्पादन लगभग 3.45 टन प्रति दिन है जिसे खाद, वर्मिकम्पोस्टिंग, प्राकृतिक उर्वरक उत्पादन और बायोगैस उत्पादन जैसे हस्तक्षेपों के माध्यम से काफी हद तक प्रबंधित किया जा सकता है।³⁹ ग्राम पंचायत में इतनी घनी पशुधन आबादी बायोगैस संयंत्र के निर्माण द्वारा पशुधन अपशिष्ट के प्रबंधन का अवसर प्रदान करती है ('स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच' अनुभाग देखें)।
- घरेलू शौचालय कवरेज ~53% है। क्षेत्र सर्वेक्षणों और समूह केंद्रित चर्चाओं से स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत में शौचालयों तक पहुंच में सुधार लाने की आवश्यकता है।

इस पृष्ठभूमि में 100% ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए निम्नलिखित समाधान प्रस्तावित हैं।

37 क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केंद्रित चर्चा से प्राप्त जानकारी और अन्य प्रासंगिक स्रोतों द्वारा पुष्ट किया गया

38 अनुमान पद्धति के लिए अनुलग्नक IV देखें

39 माना जा रहा है कि गाय प्रति दिन 10 किलो, भैंस प्रति दिन 15 किलो और बकरी प्रति दिन 150 ग्राम गोबर करती है



अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना

चरण

दुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
चरण	<ol style="list-style-type: none"> 1. गैर-बायोडिग्रेडेबल/अजैविक कचरे के लिए ग्राम पंचायत स्तरीय पृथक्करण और भंडारण सुविधा स्थापित करना 2. घरों से ग्राम पंचायत स्तर की भंडारण सुविधा तक कचरे के संग्रहण और परिवहन के लिए 1 इलेक्ट्रिक वाहन 3. प्रत्येक बस्ती में कचरा संग्रहण हेतु कूड़ेदानों की स्थापना 4. पंचायत, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), अनौपचारिक कचरा बीनने वालों, स्थानीय स्क्रेप डीलरों, स्थानीय व्यवसायों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के बीच साझेदारी स्थापित करना 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ग्राम पंचायत स्तरीय पृथक्करण और भंडारण सुविधा का रखरखाव 2. स्थापित मौजूदा कूड़ेदानों का रखरखाव और आवश्यकता के अनुसार नए रणनीतिक/चयनित स्थानों पर अतिरिक्त कूड़ेदानों की स्थापना, ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> 1. निम्न का रखरखाव करना: <ul style="list-style-type: none"> » पृथक्करण और भंडारण सुविधाएं » इलेक्ट्रिक कचरा संग्रहण वैन » स्थापित कूड़ेदान 2. ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> 1. ग्राम पंचायत की अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत 1,934 घर (100%) सम्मिलित हैं 2. 3 इलेक्ट्रिक कचरा संग्रहण वैन 3. 10 बस्तियों में कचरा संग्रहण हेतु 50 कूड़ेदानों की स्थापना (प्रत्येक बस्ती में 5 कूड़ेदान) 4. कचरा संग्रहण/परिवहन के लिए पंचायत और स्थानीय व्यवसायों, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), स्वयं सहायता समूहों, अनौपचारिक कचरा बीनने वालों और स्थानीय स्क्रेप डीलरों के बीच साझेदारी स्थापित करना 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 11 बस्तियों में कचरा संग्रहण हेतु अतिरिक्त 55 कूड़ेदानों की स्थापना (प्रत्येक बस्ती में 5 कूड़ेदान) 2. मौजूदा सुविधाओं का रखरखाव 3. साझेदारी बढ़ाना 	<ol style="list-style-type: none"> 1. आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त कूड़ेदान की स्थापना 2. मौजूदा सुविधाओं का रखरखाव 3. साझेदारी बढ़ाना

अनुमानित लागत

1. दैनिक कचरा संग्रहण के लिए 3 इलैक्ट्रिक वाहन ₹3,00,000
 2. 50 कूड़ेदान: ₹7,50,000
- कुल लागत: ₹10,50,000

55 कूड़ेदान: ₹8,25,000
कुल लागत: ₹8,25,000

आवश्यकतानुसार



जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन

चरण



2024-25 से 2026-27



2027-28 से 2029-30



2030-31 से 2034-35

मुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

1. वर्मिकम्पोस्ट गड्डे और नाडेप कम्पोस्ट गड्डे स्थापित करना
2. जैविक खाद का उत्पादन करने वाले उपक्रमों की स्थापना करना (अधिक जानकारी के लिए 'आजीविका को बढ़ाना और हरित उद्यमशीलता' अनुभाग देखें)

वर्मिकम्पोस्ट और नाडेप कम्पोस्ट गड्डों का नियमित रखरखाव करना

वर्मिकम्पोस्ट और नाडेप कम्पोस्ट गड्डों का नियमित रखरखाव करना

लक्ष्य

1. 80 वर्मिकम्पोस्ट और 40 नाडेप कम्पोस्ट गड्डे स्थापित करना
2. घरेलू कचरे (जैविक) से उत्पन्न कम्पोस्ट/खाद: प्रति दिन ~280 किलो

1. आवश्यकता के अनुसार मौजूदा कम्पोस्ट गड्डों की क्षमता बढ़ाना/ नए कम्पोस्ट गड्डे स्थापित करना
2. 100 परसेंट बायोडिग्रेडेबल/ जैविक कचरे का उपचार करना

1. आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त कम्पोस्ट गड्डे स्थापित करना
2. कम्पोस्ट गड्डों का रखरखाव

अनुमानित लागत

80 वर्मिकम्पोस्ट और 40 नाडेप कम्पोस्ट गड्डों की लागत:
₹10,00,000⁴⁰
कुल लागत: ₹10,00,000

आवश्यकता के अनुसार

आवश्यकता के अनुसार

40 अधिक विवरण जानने के लिए एचआरवीसीए देखें



स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचों में सुधार

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> अतिरिक्त घरों में शौचालयों की स्थापना सामुदायिक शौचालय का निर्माण और रखरखाव 	अतिरिक्त घरों में शौचालयों की स्थापना और सामुदायिक शौचालय का रखरखाव	मौजूदा बुनियादी ढांचों का रखरखाव
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> 454 घरों में ट्विन पिट शौचालयों का निर्माण सामुदायिक शौचालयों का निर्माण और उनकी मरम्मत 	<ol style="list-style-type: none"> शेष 454 घरों में ट्विन पिट शौचालयों का निर्माण सामुदायिक शौचालय का नियमित रखरखाव और मरम्मत 	मौजूदा बुनियादी ढांचों का रखरखाव
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> ट्विन पिट शौचालयों की लागत: ₹79,45,000 सामुदायिक शौचालय की लागत: ₹50,00,000 कुल लागत: ₹1.29 करोड़	<ol style="list-style-type: none"> ट्विन पिट शौचालयों की लागत: ₹79,45,000 कुल लागत: ₹79.45 लाख 	आवश्यकतानुसार



एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> निम्न हेतु जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम: <ul style="list-style-type: none"> ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) छात्र एवं युवा समूह समुदाय के सदस्य और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान सहभागिता मॉडल: अधिक जानकारी के लिए "आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाना" अनुभाग देखें 	जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम जारी रखना	<ol style="list-style-type: none"> जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम जारी रखना पिछले चरणों की सफलताओं को मॉडल के रूप में उपयोग कर आसपास के ग्राम पंचायतों में इस पहल का विस्तार किया जा सकता है

1. एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) पर पूर्ण प्रतिबंध
2. प्लास्टिक के आलावा अन्य सामग्रियों से बने सामान के निर्माण में 100 महिलाओं को सम्मिलित करना

1. एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) पर प्रतिबंध
2. निम्न को जोड़ते हुए ग्राम पंचायत और आसपास के गांवों में भागीदारी को बढ़ाना:
 - » अतिरिक्त 200 महिलाएं
 - » अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और व्यक्तिगत उद्यमी

1. एकल उपयोग प्लास्टिक (एसयूपी) पर प्रतिबंध
2. निम्न को जोड़ते हुए ग्राम पंचायत और आसपास के गांवों में भागीदारी को बढ़ाना:
 - » अतिरिक्त 300 महिलाएं
 - » अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और व्यक्तिगत उद्यमी

मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- समुदाय-आधारित खाद सुविधाओं, अपशिष्ट संग्रहण और पृथक्करण गड्डों, पृथक्करण और भंडारण शेड के निर्माण के लिए मनरेगा का उपयोग किया जा सकता है
- बुनियादी ढांचे के विकास और प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण को स्वच्छ भारत (ग्रामीण) मिशन के अंतर्गत प्रयासों द्वारा समर्थित किया जा सकता है।

वित्त के अन्य स्रोत

- कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड और पंचायत-प्राइवेट-पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल प्लांट, पृथक्करण यार्ड, प्लास्टिक-वैकल्पिक उद्यम, विपणन, अपशिष्ट परिवहन के लिए ई-वाहनों की खरीद आदि जैसे बुनियादी ढांचे को विकसित और संचालित करने में मदद कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, प्लास्टिक, खाद प्रक्रियाओं के लिए वैकल्पिक उत्पादों के उत्पादन में सम्मिलित सभी हितधारकों की जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करने और व्यक्तिगत स्तर पर टिकाऊ/सतत उपभोग व्यवहार को बढ़ावा देने में सीएसआर समर्थन महत्वपूर्ण होगा।
- स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) दिशानिर्देशों के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए टाइड और अनटाइड बजट सहित ग्राम पंचायत की स्वयं की आय से एकत्र राजस्व का उपयोग किया जा सकता है।

प्रमुख विभाग

- पंचायती राज विभाग
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड

5

सतत और उन्नत गतिशीलता



संदर्भ एवं मुद्दे

- कोडरा ग्रांट में कुल 1,100 आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) वाहन हैं; 1,000 - दोपहिया वाहन, 20 कारें, 40 जीप, 15 ऑटो-रिक्शा और 25 ट्रैक्टर हैं।⁴¹
- इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत में 3 ई-रिक्शा हैं।
- आईसीई वाहन द्वारा कुल ईंधन खपत इस प्रकार है: प्रति वर्ष ~211 किलो लीटर डीज़ल और प्रति वर्ष ~104 किलो लीटर पेट्रोल। कुल मिलकर, परिवहन सेक्टर द्वारा ईंधन की खपत से 747 tCO₂ से अधिक का उत्सर्जन हुआ है।

इस कारण से, परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार और ई-मोबिलिटी समाधानों में बदलाव की पहल की संभावना है।



मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ाना

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	ग्राम पंचायत के क्षेत्रों को जोड़ने वाली सड़क की ऊंचाई बढ़ाना और आरसीसी सड़क का निर्माण	आवश्यकता पड़ने पर सड़क के बुनियादी ढांचे का रखरखाव और मरम्मत	आवश्यकता पड़ने पर सड़क के बुनियादी ढांचे का रखरखाव और मरम्मत जारी रखना
लक्ष्य	सड़क की ऊंचाई बढ़ाना और 1.15 किलोमीटर लंबी इंटरलिंगिंग सड़क का आरसीसी कार्य ⁴²	नियमित और समय पर सड़कों का रखरखाव/मरम्मत	नियमित और समय पर सड़कों का रखरखाव/मरम्मत

41 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त आदानों के अनुसार

42 विशिष्ट स्थानों के विवरण जानने के लिए एचआरवीसीए देखें

अनुमानित लागत

सड़क की ऊंचाई बढ़ाना और आरसीसी कार्य: ₹20,00,000
कुल लागत: ₹20 लाख

आवश्यकतानुसार

आवश्यकतानुसार



मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाना

चरण

2024-25 से 2026-27

2027-28 से 2029-30

2030-31 से 2034-35

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट-गतिविधियाँ

मौजूदा डीज़ल संचालित ऑटो रिक्शा को ई-ऑटोरिक्शा से बदला जाना

पंचायत के प्रत्येक हिस्से में पहुँच बनाने हेतु अधिक ई-ऑटोरिक्शा को क्रय किया जाना

मांग के आधार पर अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्शा खरीदे जा सकते हैं

लक्ष्य

15 डीज़ल ऑटोरिक्शा को ई-ऑटोरिक्शा से बदलना

आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्शा खरीदना

आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्शा खरीदना

अनुमानित लागत

एक ई-ऑटोरिक्शा की लागत⁴³ : लगभग ₹3,00,000

- » उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन ₹12,000
- » 15 ई-ऑटोरिक्शा की प्रभावी लागत: ₹43,20,000

ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: 67.53 tCO₂e⁴⁴

आवश्यकतानुसार

आवश्यकतानुसार

43 ई-ऑटोरिक्शा की लागत अन्य विशेषताओं सहित कॉन्फिगरेशन, बैटरी के प्रकार, आदी के आधार पर ₹1,50,000 से ₹4,00,000 के प्राइस बैंड या इससे अधिक होती है। परोपकार और अन्य फंडिंग एजेंसियों से प्राप्त संभावित सब्सिडी/अनुदान/प्रारंभिक पूंजी/व्यवहार्यता अंतर फंडिंग को ध्यान में रखकर ई-ऑटोरिक्शा की कीमत प्राइस बैंड के मध्य में माना जा रहा है

44 समुदाय से प्राप्त आदानों के आधार पर प्रति ऑटोरिक्शा से अनुमानित 4.5 tCO₂ ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी आई। डीज़ल ऑटोरिक्शा के स्थान पर ई-ऑटोरिक्शा आने से इस उत्सर्जन में गिरावट आएगी और इस तरह ग्राम पंचायत कार्बन न्यूट्रल या यहाँ तक कि कार्बन नेगेटिव भी बन सकता है।



ई-वाहनों और ई-ट्रैक्टर को अपनाने हेतु बढ़ावा देना

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक विकल्पों को बढ़ावा देना आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के प्रति उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक मालिकों/उद्यमियों) को संवेदनशील बनाना ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहनों को किराए पर लेने की सुविधा उपलब्ध करना (आजीविका बढ़ाने वाले अनुभाग में वर्णित) 	आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ के लिए उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को जागरूकता जारी रखना।	आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ के लिए उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों की जागरूकता जारी रखना।
लक्ष्य	कुल 5 ई-ट्रैक्टर और 5 ई-माल वाहनों का क्रय किया जाना	आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर को क्रय किया जाना	आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर को क्रय किया जाना
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> 5 ई-ट्रैक्टर: ₹30,00,000 5 ई-माल वाहक: ₹25,00,000 – ₹50,00,000 कुल लागत: ₹55 लाख – ₹80 लाख	लागत बाज़ार दर पर आधारित	लागत बाज़ार दर पर आधारित

मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और MGNREGS की सहायता से सड़क के बुनियादी ढांचे की मरम्मत और उसमें सुधार किया जा सकता है
- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति, 2022 में प्रावधान है
 - » खरीदारों के लिए 100% पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में छूट (पॉलिसी अवधि के दौरान)
 - » 1 साल की अवधि में डीलरों के माध्यम से खरीदारों को शुरुआती प्रोत्साहन⁴⁵ के रूप में (एक बार) खरीद सब्सिडी - ई-माल वाहक: प्रति वाहन ₹1,00,000 तक पूर्व-फैक्ट्री लागत का 10 प्रतिशत; 2-व्हीलर EV: प्रति वाहन ₹5000 तक पूर्व-फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत; 3-व्हीलर EV: प्रति वाहन ₹12000 तक पूर्व-फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत
- ई-रिक्शों के लिए सब्सिडी का लाभ फास्टर एडॉप्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया फेज II (फेम II) स्कीम के तहत भी लिया जा सकता है

वित्त के अन्य स्रोत

- ग्राम पंचायत का रिसोर्स एनवलप और स्वयं की आय के स्रोत (ओएसआर)
- कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) समर्थन के साथ बैंकों और सूक्ष्म-वित्त संस्थानों से ऋण

प्रमुख विभाग

- अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग
- परिवहन विभाग
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय योग्य ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा)

45 सरकारी सब्सिडी में समय-समय पर सब्सिडी की मात्रा और लाभार्थियों की संख्या दोनों के आधार पर परिवर्तन आते हैं। इसलिए, इस कार्ययोजना के किसी भी अनुभाग में उल्लिखित सब्सिडी केवल सांकेतिक है, और वास्तविक खरीदारी के समय इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता है।

6

स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच



संदर्भ एवं मुद्दे

- ग्राम पंचायत कोडरा ग्रांट ने 2022-23 में लगभग 7,78,500 इकाई बिजली की खपत की है। ग्राम पंचायत में ~81% घरों में बिजली कनेक्शन है, परन्तु जैसा कि समुदाय के सदस्यों द्वारा जानकारी दी गयी है, पंचायत में बिजली की आपूर्ति 24*7 नहीं है। ग्राम पंचायत में प्रतिदिन 8 घंटे तक बिजली की कटौती होती है।⁴⁶
- बिजली कटौती के कारण, पावर बैकअप के लिए ग्राम पंचायत⁴⁷ में 20 डीज़ल जनरेटर चल रहे हैं और वे सालाना ~42 किलोलीटर ईंधन की खपत करते हैं।
- सिंचाई के लिए 318 डीज़ल पंपों का उपयोग होता है⁴⁸ जो सालाना ~124 किलोलीटर बिजली की खपत करते हैं।
- सीएफएल (कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट), अन्य विद्युत स्थिरता और कम दक्षता वाले उपकरण कई घरों और सार्वजनिक उपयोगिताओं में उपयोग में हैं। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत ने अतिरिक्त 22 सोलर स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता व्यक्त की है।⁴⁹
- कोडरा ग्रांट में लगभग ~90% घर रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग करते हैं जबकि 97 घरों में खाना पकाने के लिए गोबर के उपलों और लकड़ी का उपयोग किया जाता है।
- बढ़ते तापमान के साथ, घरों के भीतर भी तापमान बढ़ रहा है जिसके कारण स्थायी शीतलन की आवश्यकता है।

ग्राम पंचायत की पहचानी गई ऊर्जा संबंधी समस्याओं/चिंताओं के आधार पर, केंद्र और राज्य सरकार के हाल ही में प्रारम्भ किए गए और साथ ही पूर्व से चल रहे कार्यक्रमों, जैसे कि पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना, पीएम कुसुम योजना, यूपी राज्य सौर नीति 2022 व अन्य, को संयुक्त रूप से जोड़ते हुए निम्नलिखित समाधान/गतिविधियां कोडरा ग्रांट में कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित गतिविधियों का उद्देश्य ग्राम पंचायत में समुदायों के लिए स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इससे न केवल उनके जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी अपितु ऊर्जा के उत्पादक उपयोग के माध्यम से आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

46 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार

47 क्षेत्र सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के अनुसार

48 क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय से प्राप्त जानकारी के आधार पर

49 ग्राम प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर



सोलर रूफटॉप की स्थापना

चरण

मुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

I	II	III
2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
<p>सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाना⁵⁰</p> <p>6 (पंचायत भवन राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, स्वास्थ्य उप-केंद्र, आंगनवाड़ी केंद्र)</p>	<ol style="list-style-type: none"> पक्के घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाना सभी नई इमारतों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाना (जिनका निर्माण चरण II के दौरान हुआ है) सोलर रूफटॉप का नियमित रखरखाव किया जाना 	<ol style="list-style-type: none"> पक्के घरों पर रूफटॉप सोलर पैनलों की स्थापना का विस्तार करना सभी नई इमारतों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाना (जिनका निर्माण चरण III के दौरान हुआ है) सोलर रूफटॉप का नियमित रखरखाव किया जाना

लक्ष्य

<p>निम्न सरकारी भवनो में सोलर रूफटॉप स्थापित किया जाना:</p> <ul style="list-style-type: none"> » पंचायत भवन: 65 वर्ग मीटर छत क्षेत्र; 10 kWp » प्राथमिक विद्यालय: 278 वर्ग मीटर छत क्षेत्र; 10 kWp » जूनियर हाई स्कूल: 156 वर्ग मीटर छत क्षेत्र; 10 kWp » हाई स्कूल: 195 वर्ग मीटर छत क्षेत्र; 10 kWp » स्वास्थ्य उप-केंद्र: 60 वर्ग मीटर छत क्षेत्र; 5 kWp » आंगनवाड़ी केंद्र: 20 वर्ग मीटर छत क्षेत्र; 5 kWp 	<ol style="list-style-type: none"> 763 पक्के घरों की छतों पर सोलर पैनलों की स्थापना (मौजूदा 40% पक्के घर)⁵¹ स्थापित की जाने वाली सोलर रूफटॉप की क्षमता: 3 kWp इस चरण में स्थापित की जाने वाली सोलर रूफटॉप क्षमता: 2,288 kWp बिजली उत्पादन क्षमता: 30,64,625 kWp⁵² प्रति वर्ष (8,396 इकाई प्रति दिन) ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष 2,512 tCO₂e सोलर रूफटॉप का रखरखाव 	<ol style="list-style-type: none"> शेष 1,144 पक्के घरों की छतों पर सोलर पैनलों की स्थापना (मौजूदा 100% पक्के घर) इस चरण में कुल स्थापित की जाने वाली सोलर रूफटॉप क्षमता: 3,432 kWp बिजली उत्पादन क्षमता: 45,96,937 kWp⁵³ प्रति वर्ष (12,594 इकाई प्रति दिन) ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष 3,769⁵⁴ tCO₂e सोलर रूफटॉप का रखरखाव
--	---	--

50 4 सरकारी भवनों में 70% छत क्षेत्र सहित सोलर स्थापना की अधिकतम सीमा 10 किलोवाट

51 घरों का औसत क्षेत्रफल 130 वर्ग मीटर माना गया है

52 यह उत्पादन ग्राम पंचायत में वर्तमान बिजली खपत से 4 गुना अधिक है

53 यह उत्पादन ग्राम पंचायत में वर्तमान बिजली खपत से 6 गुना अधिक है

54 कम हुए उत्सर्जन से ग्राम पंचायत कार्बन न्यूट्रैलिटी प्राप्त करने में सक्षम होगा

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
लक्ष्य	<p>इस चरण में कुल स्थापित की जाने वाली सोलर रूफटॉप क्षमता: 50 kWp</p> <p>बिजली उत्पादन: प्रति वर्ष 66,960 kWp (प्रति दिन 183 इकाई)</p> <p>ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष 55 tCO₂e</p> <p>हाल ही में शुरू की गई पीएम सूर्य घर योजना के बहुत आवश्यक और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, छतों पर सोलर फोटोवोल्टिक स्थापना के इस चरण में परिवार भी इसका हिस्सा बन सकते हैं।</p>		
अनुमानित लागत	<p>लागत: ₹25,00,000</p> <p>कुल लागत: ₹25 लाख</p>	<p>लागत: ₹11,44,20,000</p> <p>सांकेतिक सब्सिडी⁵⁵: ~40% (राज्य + केंद्र)</p> <p>प्रभावी लागत: ₹6.86 करोड़</p>	<p>लागत: ₹17,16,30,000</p> <p>सांकेतिक सब्सिडी: ~40% (राज्य + केंद्र)</p> <p>प्रभावी लागत: ₹10.29 करोड़</p>



कृषि-फोटोवोल्टिक

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	<p>किसान, किसान समूहों आदि के मध्य कृषि-फोटोवोल्टिक के बारे में जागरूकता बढ़ाने का कार्य</p>	<p>बागवानी सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्र में कृषि-फोटोवोल्टिक की स्थापना</p>	<p>अतिरिक्त बागवानी सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्र में कृषि-फोटोवोल्टिक की स्थापना</p>

55 सब्सिडी परिवर्तनशील है और इनमें समय-समय पर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा तय किए गए विभिन्न मापदंडों के अनुसार परिवर्तन आता रहता है। इसलिए, अनुमानित सब्सिडी की राशी पिछले रुझानों और औसत के आधार पर निर्धारित की गई है और वर्तमान में यह सटीक नहीं भी हो सकती है।

लक्ष्य	किसानों के मध्य कृषि-फोटोवोल्टिक पहल को प्रोत्साहित करने हेतु जागरूकता अभियान और उन्मुखीकरण सत्रों का आयोजन करना	बागवानी के अंतर्गत 2 हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि-फोटोवोल्टिक की स्थापना स्थापित कृषि-फोटोवोल्टिक की क्षमता: 500 kWp बिजली उत्पादन: प्रति वर्ष 6,69,600 kWh; प्रति दिन 1,835 इकाई ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष 549 tCO ₂ e	बागवानी के अंतर्गत 2 हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि-फोटोवोल्टिक की स्थापना स्थापित कृषि-फोटोवोल्टिक की क्षमता: 500 kWp बिजली उत्पादन: प्रति वर्ष 6,69,600 kWh ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष 549 tCO ₂ e
	अनुमानित लागत	आवश्यकतानुसार	कुल लागत: ₹5 करोड़ ⁵⁶



सौर पंप

चरण	I 2024-25 to 2026-27	II 2027-28 to 2029-30	III 2030-31 to 2034-35
	ग्राम पंचायत में मौजूदा डीज़ल पंप सेटों को सौर पंपों से बदला जाना* *यदि सौर पंप संभव नहीं है, तो ऊर्जा कुशल पंप (ईईएसएल द्वारा किसान ऊर्जा दक्ष पंप) पर विचार किया जा सकता है।	1. ग्राम पंचायत में अतिरिक्त डीज़ल पंप सेटों को सौर पंपों से बदला जाना 2. सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले सभी नए पंप सेटों की खरीद/उपयोग को प्रोत्साहित करना	1. ग्राम पंचायत में अतिरिक्त डीज़ल पंप सेटों को सौर पंपों से बदला जाना 2. सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले सभी नए पंप सेटों की खरीद/उपयोग को प्रोत्साहित करना
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ			

56 प्रौद्योगिकी में उन्नति के कारण कृषि-फोटोवोल्टिक की लागत में कमी आ रही है। हालाँकि, उच्च स्तर पर लागत का एक रूढ़िवादी अनुमान लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, यह अनुमान लगाया गया है कि किसान बागवानी और उस तरह की फसलों के लिए निर्धारित भूमि पर भी फसल चक्र अपनाते हैं। इसलिए, कृषि-फोटोवोल्टिक की स्थापना के लिए बागवानी के अंतर्गत उपलब्ध भूमि के एक प्रतिशत पर ही विचार किया गया है

लक्ष्य

<p>वर्तमान में स्थापित 64 मौजूदा डीज़ल पंप सेटों को सौर पंपों से बदला जाना</p> <p>स्थापित क्षमता: 352 kW</p> <p>बिजली उत्पादन: प्रति वर्ष 4,71,398 kWh</p> <p>डीज़ल की खपत में कमी: प्रति वर्ष 24,960 लीटर</p> <p>ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष 67 tCO₂e</p>	<p>अतिरिक्त 95 डीज़ल पंपों को सौर पंपों से बदला जाना (यानी कि चरण I और II के दौरान मौजूदा डीज़ल पंपों की संख्या का 50% बदला जाना)</p> <p>स्थापित क्षमता: 522 kW</p> <p>बिजली उत्पादन: प्रति वर्ष 6,99,732 kWh</p> <p>डीज़ल की खपत में कमी: प्रति वर्ष 37,050 लीटर</p> <p>ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष 99 tCO₂e</p>	<p>शेष 159 डीज़ल पंपों को सौर पंपों से बदला जाना (यानी कि चरण I, II और III के दौरान मौजूदा डीज़ल पंपों की संख्या का 100% बदला जाना)</p> <p>स्थापित क्षमता: 875 kW</p> <p>बिजली उत्पादन: प्रति वर्ष 1,171,130 kWh</p> <p>डीज़ल की खपत में कमी: प्रति वर्ष 62,010 लीटर</p> <p>ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष 166 tCO₂e</p>
--	---	---

अनुमानित लागत

<p>कुल लागत: ₹1,92,00,000 - ₹3,20,00,000</p> <p>सब्सिडी: ~60% (राज्य + केंद्र)</p> <p>प्रभावी लागत: ₹76 लाख - ₹1.28 करोड़</p>	<p>कुल लागत: ₹2,85,00,000 - ₹4,75,00,000</p> <p>सब्सिडी: ~60% (राज्य + केंद्र)</p> <p>प्रभावी लागत: ₹1.14 करोड़ - ₹1.9 करोड़</p>	<p>कुल लागत: ₹4,77,00,000 - ₹7,95,00,000</p> <p>सब्सिडी: ~60% (राज्य + केंद्र)</p> <p>प्रभावी लागत: ₹1.90 करोड़ - ₹3.18 करोड़</p>
---	--	---



रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग

चरण

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस (एलपीजी)	परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस (एलपीजी)	परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस (एलपीजी)	परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस (एलपीजी)
परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + रसोई गैस (एलपीजी)	परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + रसोई गैस (एलपीजी)	परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + रसोई गैस (एलपीजी)	परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + रसोई गैस (एलपीजी)
परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + उन्नत चूल्हे + रसोई गैस (एलपीजी)	परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + उन्नत चूल्हे + रसोई गैस (एलपीजी)	परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + उन्नत चूल्हे + रसोई गैस (एलपीजी)	परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव + उन्नत चूल्हे + रसोई गैस (एलपीजी)

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

परिदृश्य 1: 238 घर बायोगैस संयंत्रों का उपयोग करते हैं (25% घर जिनके पास मवेशी हैं) + 1,697 घर रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग करते हैं

परिदृश्य 2: 28 घर सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव (25% घर शीर्ष आय वर्ग में हैं) + 1,906 घर रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग करते हैं

परिदृश्य 3: 28 घर सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव (25% घर शीर्ष आय वर्ग में हैं) + 24 घर उन्नत चूल्हों का उपयोग करते हैं (50% घर जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं)

इसमें ग्राम पंचायत में रसोई गैस (एलपीजी) का निरंतर उपयोग भी सम्मिलित है

परिदृश्य 1: अतिरिक्त 238 घर बायोगैस संयंत्रों का उपयोग करते हैं (कुल 50% घर) + 1,459 घर रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग करते हैं

परिदृश्य 2: अतिरिक्त 28 घर सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग करते हैं (अतिरिक्त 25% घर शीर्ष आय वर्ग में हैं) + 1,878 घर रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग करते हैं

परिदृश्य 3: अतिरिक्त 28 घर सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव (अतिरिक्त 25% घर शीर्ष आय वर्ग में हैं) + अतिरिक्त 24 घर उन्नत चूल्हे का उपयोग करते हैं (शेष 50% घर जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं)

इसमें ग्राम पंचायत में रसोई गैस (एलपीजी) का निरंतर उपयोग भी सम्मिलित है

परिदृश्य 1: अतिरिक्त 475 घर बायोगैस संयंत्रों का उपयोग करते हैं (कुल 100% घरों में मवेशी हैं) + 984 घर रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग करते हैं

परिदृश्य 2: अतिरिक्त 56 घर सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव (100% घर शीर्ष आय वर्ग में हैं) + 1,822 घर रसोई गैस (एलपीजी) का उपयोग करते हैं

परिदृश्य 3: अतिरिक्त 56 घर सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव (100% घर शीर्ष आय वर्ग में हैं) का उपयोग करते हैं + 49 घर पहले से ही उन्नत चूल्हों का उपयोग कर रहे हैं (जैसा कि चरण II में है)

इसमें ग्राम पंचायत में रसोई गैस (एलपीजी) का निरंतर उपयोग भी सम्मिलित है

परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए ₹1,18,75,000

परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹12,60,000

परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹13,32,750 + उन्नत चूल्हा

कुल लागत: ₹48.22 लाख

परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए ₹1,18,75,000

परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹12,60,000

परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹13,32,750 + उन्नत चूल्हा

कुल लागत: ₹48.22 लाख

परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए ₹2,37,50,000

बायोगैस संयंत्रों के लिए
परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹25,20,000

परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹26,65,500 + उन्नत चूल्हा

कुल लागत: ₹96.4 लाख



ऊर्जा कुशल फिक्सचर

चरण

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> सभी सरकारी भवनों में सभी लाइट फिक्सचर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्सचर से बदला जाना ग्राम पंचायत के प्रत्येक घर में कम से कम 1 सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब और/या एलईडी ट्यूब लाइट से बदला जाना ग्राम पंचायत के प्रत्येक घर में कम से कम 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदला जाना ग्रामवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरणों (बीईई द्वारा 4-5 स्टार रेटिंग) के साथ बदलने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना 	<ol style="list-style-type: none"> सीएफएल बल्बों को एलईडी बल्ब से बदले जाने के कार्य का विस्तार करना 2 ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइटों से बदले जाने के कार्य का विस्तार करना सभी घरों में कम से कम 1 पारंपरिक फैन के बदले ऊर्जा कुशल पंखे लगाना ग्रामवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरणों (बीईई द्वारा 4-5 स्टार रेटिंग) के साथ बदलने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना 	घरों में पारंपरिक पंखों को ऊर्जा कुशल पंखों से बदले जाने के कार्य को बढ़ाना

लक्ष्य

	<ol style="list-style-type: none"> सभी सरकारी भवनों में 100% मौजूदा फिक्सचर को एलईडी ट्यूब लाइट और ऊर्जा कुशल पंखों से बदला जाना सभी घरों में मौजूदा 1,934 सीएफएल को एलईडी ट्यूब लाइटों से बदला जाना (प्रति घर 1 ट्यूब लाइट) सभी घरों में मौजूदा 1,934 ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइटों से बदला जाना (प्रति घर 1 ट्यूब लाइट) 	<ol style="list-style-type: none"> सभी घरों में अतिरिक्त मौजूदा 3,868 सीएफएल को एलईडी ट्यूब लाइटों से बदला जाना (प्रति घर 2 ट्यूब लाइट) सभी घरों में मौजूदा 3,868 ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइटों से बदला जाना (प्रति घर 2 ट्यूब लाइट) सभी (100%) घरों में 1,934 ऊर्जा कुशल पंखे लगाया जाना (प्रति घर 1 पंखा) 	<ol style="list-style-type: none"> सभी घरों में मौजूदा 1,934 ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइटों से बदला जाना (प्रति घर 1 ट्यूब लाइट) सभी (100%) घरों में 1,934 ऊर्जा कुशल पंखे लगाया जाना (प्रति घर 1 पंखा)
--	---	---	---

अनुमानित लागत

<ol style="list-style-type: none"> एलईडी बल्ब की लागत: ₹1,35,380 एलईडी ट्यूब लाइट की लागत: ₹4,25,480 <p>कुल लागत: ₹5,60,860</p>	<ol style="list-style-type: none"> एलईडी बल्ब की लागत: ₹2,70,760 एलईडी ट्यूब लाइट की लागत: ₹8,50,960 ऊर्जा कुशल पंखों की लागत: ₹21,46,740 <p>कुल लागत: ₹32.6 लाख</p>	<ol style="list-style-type: none"> एलईडी ट्यूब लाइट की लागत: ₹4,25,480 ऊर्जा कुशल पंखों की लागत: ₹21,46,740 <p>कुल लागत: ₹25.7 लाख</p>
---	---	--



सौर स्ट्रीट लाइट

चरण	2024-25 से 2026-27	2027-28 से 2029-30	2030-31 से 2034-35
मुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य प्रमुख स्थानों में सोलर एलईडी स्ट्रीटलाइटें स्थापित करना मुख्य स्थानों में हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीटलाइटें स्थापित करना 	<ol style="list-style-type: none"> आवश्यकता के अनुसार नए सोलर एलईडी स्ट्रीटलाइटें स्थापित करना आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्थापित करना 	आवश्यकता के अनुसार नियमित रखरखाव और अतिरिक्त स्ट्रीट लाइटें स्थापित करना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> विशिष्ट स्थानों में 22 एलईडी स्ट्रीटलाइटें स्थापित करना⁵⁷ 10 हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीटलाइटें स्थापित करना 	आवश्यकता के अनुसार प्रमुख स्थानों में अतिरिक्त सोलर एलईडी स्ट्रीटलाइटें और हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीटलाइटें स्थापित करना	आवश्यकता के अनुसार नियमित रखरखाव और अतिरिक्त स्ट्रीट लाइटें स्थापित करना
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> 22 सोलर एलईडी स्ट्रीटलाइटों की स्थापना: ₹2,20,000 10 हाई-मास्ट सोलर एलईडी (LED) स्ट्रीटलाइट: ₹5,00,000 <p>कुल लागत: ₹7,20,000</p>	आवश्यकता के अनुसार	आवश्यकतानुसार

57 अधिक विवरण जानने के लिए एचआरवीसीए देखें

मौजूदा योजनाएं और कार्यक्रम

- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022⁵⁸ में निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :
 - » आवासीय क्षेत्र में सौर ऊर्जा की स्थापना पर सब्सिडी: एमएनआरई द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त ₹15,000/किलोवाट से अधिकतम सीमा ₹30,000/- प्रति उपभोक्ता तक
 - » स्वयं के द्वारा रेस्को⁵⁹ मोड में संस्थानों में या यूपीएनईडीए के परामर्श के साथ संयंत्र की 3 प्रतिशत लागत के परामर्श शुल्क के साथ सौर ऊर्जा की स्थापना के प्रावधान
- ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के माध्यम से एमएनआरई द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता
 - » 3 किलोवाट क्षमता तक के आरटीएस सिस्टम के लिए 40 प्रतिशत तक सीएफए दिया जाएगा। 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक की क्षमता वाले आरटीएस (RTS) सिस्टम के लिए, 40 प्रतिशत का सीएफए केवल पहले 3 किलोवाट की क्षमता के लिए लागू होगा और 3 किलोवाट से अधिक (10 किलोवाट तक) की क्षमता के लिए सीएफए 20 प्रतिशत तक ही होगा।
 - » ग्रुप हाउसिंग सोसायटी/आवासीय कल्याण संघों (जीएचएस/आरडब्ल्यूए) के लिए सीएफए आम सुविधाओं को बिजली की आपूर्ति के लिए आरटीएस संयंत्र की स्थापना के लिए 20 प्रतिशत तक सीमित है। जीएचएस/आरडब्ल्यूए के लिए सीएफए के लिए पात्र क्षमता प्रति घर 10 किलोवाट तक सीमित है और कुल 500 किलोवाट से अधिक नहीं है
 - » गरीब परिवारों के लिए सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत किये जा सकते हैं⁶⁰। यह योजना 2 किलोवाट क्षमता वाली प्रणालियों के लिए प्रणाली लागत का 60% तथा 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाली प्रणालियों के लिए अतिरिक्त प्रणाली लागत का 40% केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करती है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता को 3 किलोवाट पर सीमित किया गया है। मौजूदा बेंचमार्क कीमतों पर, 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट सिस्टम या उससे अधिक के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी है।
- पीएम कुसुम योजना में निम्न प्रावधान किया गया है :
 - » प्रधानमंत्री कुसुम योजना का घटक A, कृषि भूमि पर 500 किलोवाट और बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने को बढ़ावा देती है।
 - » प्रधानमंत्री कुसुम योजना के घटक B और C के तहत, केंद्र और राज्य सरकार प्रति पंप के आधार पर 30 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करेगी। किसानों को केवल 10 प्रतिशत की अग्रिम लागत का भुगतान करना होगा और बाकी का भुगतान बैंक को किस्तों में किया जा सकता है।
- पीएम कुसुम योजना में यूपी सरकार का योगदान:
 - » घटक C -1 के तहत: किसानों को 60 प्रतिशत सब्सिडी के साथ स्थापित ऑन-ग्रिड पंपों का सौरीकरण (अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया और मुसहर जाति के किसानों को 70 प्रतिशत सब्सिडी); यह एमएनआरई (MNRE) की प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार से उपलब्ध सब्सिडी के अतिरिक्त है
 - » घटक C-2 के तहत: एमएनआरई (MNRE) की प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार द्वारा ₹50 लाख प्रति मेगावाट की वार्डिबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ (VGF)) प्रदान करके अलग-अलग कृषि फीडरों का सोलराइजेशन
- ग्राम पंचायतों में एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग परियोजनाएं⁶¹
 - » EESL पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को अपनी स्वयं की लागत पर LED स्ट्रीट लाइटों से बदलता है और 7 वर्षों तक LED बल्बों का मुफ्त प्रतिस्थापन और रखरखाव करता है।
 - » अटल ज्योति योजना और MNRE सौर ऊर्जा स्ट्रीटलाइट कार्यक्रम 12 वाट की LED और 3 दिनों की बैटरी बैक-अप के साथ सौर ऊर्जा वाली स्ट्रीट लाइट की स्थापना हेतु सब्सिडी प्रदान करते हैं।

58 https://invest.up.gov.in/wp-content/uploads/2023/02/उत्तर_प्रदेश_सोलर_एनर्जी_पॉलिसी_2022.pdf

59 तृतीय पक्ष (RESCO मोड) (नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति कंपनी)

60 <https://pmsuryaghar.gov.in/>

61 ईईएसएल द्वारा स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम।

- ग्राम उजाला योजना⁶²
 - » ₹.10 प्रति बल्ब की सस्ती कीमत पर LED बल्ब उपलब्ध हैं।
 - » ग्रामीण ग्राहकों को काम कर रहे बल्बों के बदले में तीन साल की वारंटी के साथ 7-वाट और 12-वाट के LED बल्ब दिए जाएंगे
- कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने के लिए सब्सिडी
 - » परियोजना लागत का 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता 2 योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध है
 - » कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (DAC&FW) एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) कार्यान्वित कर रहा है।
 - » राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) बागवानी के उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज और स्टोरेज के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत निवेश सब्सिडी "नामक योजना कार्यान्वित कर रहा है
- प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत, एकीकृत कोल्ड चेन, मूल्य संवर्धन और संरक्षण अवसंरचना पर घटक 35 प्रतिशत की दर से अनुदान-सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसे गैर-बागवानी, बागवानी, डेयरी, मांस और पोल्ट्री के वितरण की सुविधा के लिए संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला⁶³ के साथ बुनियादी ढांचे की सुविधा के निर्माण हेतु प्राप्त किया जा सकता है। यह योजना खेत स्तर पर कोल्ड चेन के बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष जोर देने के साथ-साथ परियोजना नियोजन में लचीलेपन की अनुमति देती है। ईईएसएल ने कार्बन वित्तपोषण के लिए सौर-आधारित इंडक्शन कुकिंग समाधानों की बाजार-आधारित हस्तक्षेप शुरू करने की योजना बनाई है।
- EESL कार्बन फाइनेंसिंग का लाभ उठाकर सौर ऊर्जा आधारित इंडक्शन कुकिंग सलूशन के लिए बाजार आधारित हस्तक्षेपों को शुरू करने की योजना बना रहा है।
- 15वें वित्त आयोग और स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (SBM-G) के अंतर्गत गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सिज धन) योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से धन का लाभ उठाना।
 - » स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) के अंतर्गत गोबरधन योजना 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए क्लस्टर/सामुदायिक स्तर के बायोगैस संयंत्रों⁶⁴ की स्थापना हेतु प्रति जिला 50 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- उत्तर प्रदेश जैव-ऊर्जा नीति 2022⁶⁵ गोबरधन योजना के अंतर्गत भारत सरकार से उपलब्ध प्रोत्साहन के अतिरिक्त CBG संयंत्रों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है:
 - » कंप्रेसड बायोगैस (CBG) उत्पादन संयंत्र की स्थापना पर ₹. 75 लाख प्रति टन से अधिकतम ₹. 20 करोड़ तक का प्रोत्साहन
 - » विकास प्राधिकरणों द्वारा प्रभारित विकास शुल्क पर छूट
 - » स्टांप ड्यूटी और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100 प्रतिशत की छूट
- एमएनआरई ने राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत अपशिष्ट से ऊर्जा (डब्ल्यूटीई) कार्यक्रम लागू किया:
 - » यह कार्यक्रम शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट से बायोगैस के उत्पादन के लिए संयंत्रों की स्थापना का समर्थन करता है
 - » बायोगैस उत्पादन के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता ₹. 0.25 करोड़ प्रति 12000 m³/दिन है⁶⁶
- पीएम-सूर्यघर: मुफ्त बिजली योजना एक केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य भारत में उन घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है, जो सोलर रूफटॉप स्थापित करने का विकल्प चुनते हैं⁶⁷।

62 ग्राम उजाला योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए (फरवरी 2023), पीआईबी।

63 यानी फार्म स्तर पर प्री-कूलिंग, वजन करना, छंटाई, ग्रेडिंग, वैक्सिंग सुविधाएं, बहु उत्पाद/बहु तापमान वाला कोल्ड स्टोरेज, CA स्टोरेज, पैकिंग सुविधा, IQF, वितरण केंद्र और रीफर वैन में ब्लास्ट फ्रीजिंग, मोबाइल कूलिंग यूनिट्स

64 <https://pib.gov.in/PressReleaseframePage.aspx?PRID=1883926>

65 <https://invest.up.gov.in/bio-energy-enterprises-promotion-programme-2022/>

66 <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1896067>

67 <https://pmsuryaghar.gov.in/>

वित्त के अन्य स्रोत

- सोलर रूफटॉप, सोलर पंप आदि की खरीद हेतु ऋण के लिए स्थानीय बैंकों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों और सहकारी बैंकों के साथ संबंध का पता लगाना।
- एग्रो-फोटोवोल्टिक के लिए सोलर डेवलपर्स के साथ साझेदारों का पता लगाना।
- सीएसआर (CSR) निधियों का इस्तेमाल निम्नलिखित के लिया जा सकता है:
 - » सूक्ष्म-वित्त संस्थानों द्वारा दिए गए परिक्रामी निधि मॉडल के माध्यम से योजना/कार्यक्रम हेतु सब्सिडी के अतिरिक्त सोलर रूफटॉप/एग्रो-फोटोवोल्टिक्स/सोलर पंप की स्थापना हेतु पूंजीगत लागत सुरक्षित करना
 - » ग्राम पंचायत में अपनाई गई विभिन्न स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए ग्राम समुदाय के सदस्यों/SHG के सदस्यों को संचालन एवं रखरखाव" का प्रशिक्षण प्रदान करना
 - » रूफटॉप सोलर (उत्तर प्रदेश सौर नीति, 2022) और सौर सिंचाई (प्रधानमंत्री-कुसुम, उत्तर प्रदेश सौर सिंचाई योजना) को बढ़ावा देने वाली वर्तमान सरकारी योजनाओं/ कार्यक्रमों पर जागरूकता अभियान का आयोजन करना

प्रमुख विभाग

- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा)
- उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल)
- पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- शिक्षा विभाग

7

आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना



कृषि और पशुपालन इस ग्राम पंचायत की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार हैं और 70% से अधिक परिवार इनसे जुड़े हुए हैं। दोनों क्षेत्रों में आजीविका संबंधी अनिश्चितता है, जिनका कारण विशेष रूप से बारंबार होने वाले सूखे की घटनाएं, जलवायु परिवर्तन तथा वर्तमान में कृषि और पशुपालन में की जाने वाली अरक्षणीय प्रथाएं हैं। इसके परिणामस्वरूप, आबादी का एक बड़ा भाग अनिश्चितता में फंसा हुआ है। ग्राम पंचायत में कृषि संबंधी कार्य और/या स्थानीय व्यवसाय/दुकानें अन्य मुख्य आय के स्रोत हैं। पिछले 5 वर्षों में लगभग 1,175 लोग बेहतर आजीविका की खोज में ग्राम पंचायत से पलायन कर मुंबई, गुजरात, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों और शहरों में चले गए हैं। यह प्रवृत्ति अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है।

वर्तमान में, उल्लिखित गतिविधियों के अतिरिक्त, ग्राम पंचायत के भीतर नौकरियों के सीमित अवसर हैं। इस कार्ययोजना में उल्लिखित गतिविधियां आने वाले वर्षों में नए व्यवसायों और नौकरी के अवसरों के लिए दिशा प्रदान करती हैं। इनके विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत हैं:

सतत उत्पादों के निर्माण में पूर्व से गठित एवं सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करें

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

- सतत उत्पादों (बैग, घरेलू सजावट, कटलरी, स्टेशनरी आइटम, फर्नीचर, आदि) के निर्माण हेतु महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को जोड़ना।
- निम्न हेतु क्षमता निर्माण:
 - » उत्पाद श्रेणी का विविधीकरण
 - » ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर उत्पादों का विपणन/बिक्री

लक्ष्य

- प्रारंभिक सहभागिता में:
 - » 100 महिलाएं
 - » 12 स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)
 - » स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करना
- ग्राम पंचायत और आसपास के गावों से दीर्घकालिक जुड़ाव:
 - » अतिरिक्त 200 महिलाएं
 - » अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और व्यक्तिगत उद्यमी



जैविक कचरे से खाद बनाकर उसे उर्वरक के रूप में बेचना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

1. खाद के उत्पादन और बिक्री के लिए पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल
2. समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों का क्षमता निर्माण
 - » खाद और वर्मी-खाद बनाने की तकनीक
 - » ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर खाद का विपणन और बिक्री

लक्ष्य

1. **तत्काल लक्ष्य:**
 - » घरेलू कचरे (जैविक) से उत्पन्न खाद: प्रति दिन 60 किलो; प्रति माह 1,800 किलो (वर्तमान में उत्पन्न होने वाले कचरे के अनुसार)
2. **दीर्घकालिक लक्ष्य:**
 - » जैविक अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार कम्पोस्ट/ वर्मी -कम्पोस्ट उत्पादन को बढ़ाना (जनसंख्या वृद्धि के आधार पर)



ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ

1. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर को वाणिज्यिक किराए पर लेने की सुविधा (किराये के आधार पर) यूपी ईवी नीति 2022 और फेम-इंडिया योजना चरण- II के अंतर्गत प्रोत्साहन के माध्यम से हरित उद्यमिता के अवसर प्रस्तुत करती है।
2. ई-ट्रैक्टर और ई-माल वाहक के उपयोग के प्रति उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक्स मालिकों) को संवेदनशील बनाना

लक्ष्य

1. **तत्काल लक्ष्य**
 - » 2 या 3 ई-ट्रैक्टर (अनुमानित लागत: ₹6 लाख प्रति ई-ट्रैक्टर)
 - » 2 या 3 ईवी मिनी माल परिवहन ट्रक (मिनी माल ईवी परिवहन ट्रक की अनुमानित लागत: लगभग ₹9.2 लाख)
2. **मध्यावधि लक्ष्य**
 - » अतिरिक्त 2/3 ई-ट्रैक्टर, 2/3 इलेक्ट्रिक वाहन मिनी गुड्स ट्रांसपोर्ट ट्रक (ध्यान दें: यह माना जा रहा है कि कोडरा ग्रांट में 35 HP ई-ट्रैक्टर की आवश्यकता होती है जिसकी कीमत प्रायः ₹6 लाख है)



सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के माध्यम से आजीविका में सुधार

सुझाई गई जलवायु
स्मार्ट गतिविधियाँ

1. फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए छोटे और मध्यम किसानों (ग्राम पंचायत और आसपास के गांवों के भीतर) को सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज में जगह किराए पर देकर उद्यमिता के अवसर उत्पन्न करना
2. फलों, सब्जियों, दूध और दूध उत्पादों के भंडारण के लिए उद्यमियों, किसान समूहों, सहकारी समितियों (जैसे पारस) और अन्य संस्थागत खरीदारों के बीच बिजनेस/व्यवसाय मॉडल/गठजोड़

लक्ष्य

5 से 10 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज की स्थापना (मीट्रिक टन क्षमता सब्जियों और फलों/और/या दूध उत्पादों के उत्पादन के आधार पर)

लागत: लगभग ₹8,00,000 से ₹15,00,000



प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन

सुझाई गई जलवायु
स्मार्ट गतिविधियाँ

1. विकास के माध्यम से समुदायों के लिए आजीविका सृजन और प्राकृतिक औषधियों एवं अनुपूरकों के उत्पादन के लिए आरोग्य वन का रखरखाव
2. कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौध संस्थान, लखनऊ के साथ सहभागिता

लक्ष्य

लगभग 0.1 हेक्टेयर भूमि को आरोग्य वन के रूप में स्थापित किया जाना



विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा (RE) स्थापनाओं का क्रियान्वयन एवं रखरखाव (O&M)

सुझाई गई जलवायु
स्मार्ट गतिविधियाँ

1. नवीकरणीय ऊर्जा रखरखाव पर कौशल विकास के लिए समुदाय के सदस्यों विशेष रूप से स्नातकों, युवा समूहों और किसान समूहों का प्रशिक्षण और क्षमता विकास।
2. ग्राम पंचायत के भीतर सोलर और बायो-गैस स्थापना तथा संचालन एवं रखरखाव व्यवसायों की स्थापना में सीएसआर, केंद्र और राज्य सरकार की अपस्किलिंग योजनाओं से सहायता।

वित्त पोषण एवं कौशल विकास

1. हरित उद्यमशीलता और आजीविका को बढ़ावा देने के लिए बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों को संवेदनशील बनाना (विभिन्न क्रेडिट योजनाओं, साझेदारी/राजस्व मॉडल के माध्यम से);
2. सरकारी ऋण योजनाएं जैसे मुद्रा ऋण, स्त्री शक्ति योजना आदि महिला उद्यमियों का बढ़ावा दे सकती हैं।
3. सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे मेक इन इंडिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा संचालित उद्यमी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और अटल इनोवेशन मिशन के माध्यम से प्रदान किये जाने वाले आवश्यक कौशल विकास।

इस अनुभाग में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त विचार के लिए संभावित संस्तुतियों की एक सूची दी गई है। इन संस्तुतियों को भारत के विभिन्न हिस्सों और भौगोलिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है जिनमें उत्तर प्रदेश के साथ बहुत समानताएं हो सकती हैं।

इन्हें मुख्य अनुशंसाओं में शामिल न करने का कारण यह है कि यह संस्तुतियां उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी वर्तमान योजना या कार्यक्रम या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के दायरे में नहीं आती हैं। इसलिए इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन वैकल्पिक वित्तपोषण विकल्पों, जैसे स्व-वित्तपोषण, CSR या ऐसे अन्य स्रोतों के माध्यम से करना होगा।

यदि यह परियोजनाएं लागू की जाती हैं, तो इनके माध्यम से समुदायों की अनुकूली क्षमताओं को और मजबूत करने की संभावना हो सकती है एवं इनके परिणामस्वरूप आजीविका में वृद्धि भी हो सकती है।

1. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज इकाई (एफपीओ, एसएचजी व किसान):

- फसल कटाई के बाद की दक्षता बढ़ाने और नुकसान को कम करने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली कोल्ड स्टोरेज इकाई हैं।
- यह किसानों को संकटपूर्ण बिक्री से बचने में मदद करता है और किसानों की आय में सुधार करता है।

ये गतिविधि "आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना" अनुभाग में चर्चा की गई पहलों को मजबूत करने में सहायता करेगी

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण^{68,69,70}:

- हैदराबाद, तेलंगाना में कट्टनगुर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड।
- घुम्मर किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) राजस्थान के पाली जिले की बाली तहसील के नाना गांव में स्थित है।

2. सौर निष्क्रिय डिजाइन और निष्क्रिय शीतलन:

नए निर्माण और रेट्रोफिटिंग के लिए (जहां भी संभव हो): ऊर्जा की मांग को कम करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए आवासीय घरों और प्रशासनिक भवनों में सतत डिजाइन के साथ स्थानीय और पारंपरिक सामग्री को बढ़ावा देना चाहिए:

- घरो में सौर ज्यामिति के अनुसार भवन का अभिविन्यास करना चाहिए।
- घरो में प्राकृतिक वायु का कुशल संचलन होना चाहिए।
- घरो में सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर का उपयोग करना चाहिए।
- घरो में प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए (पारंपरिक विद्युत उपकरण जैसे बल्ब, ट्युबलाइट आदि के उपयोग को कम करना)।
- घरो में ऊर्जा संरक्षण गतिविधियाँ करनी चाहिए।
- जल निकाय और डिजाइन किए गए परिदृश्य (वृक्षारोपण/बागवानी)।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच" अनुभाग में चर्चित पहलों को मजबूत करेगी।

68 https://selcofoundation.org/wp-content/uploads/2023/08/Compendium_Updated_20230922.pdf

69 <https://www.opportunityindia.com/article/empowering-women-fpo-through-solar-power-ghummar-fpo-34521>

70 <https://www.ecozensolutions.com/ecofrost/fpos-leverage-agri-infra-funds-for-ecofrost.html>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

राजकुमारी रत्नावती बालिका विद्यालय⁷¹, थार रेगिस्तान, राजस्थान का निर्माण गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 400 से अधिक लड़कियों के लिए किया गया है जिसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित उपायों का उपयोग किया गया है :

- थर्मल आराम को अधिकतम करने के लिए बिल्डिंग ओरिएंटेशन पर ध्यान दिया गया है।
- प्रकाश और पंखे चलाने के लिए स्कूल के छतों पर सौर पैनल लगाये गए हैं।
- सोलर पैनल कैनोपी और स्क्रीन स्कूल के कमरों में ज्यादा गर्मी होने से बचाते हैं।
- छत का अण्डाकार आकार शीतलता (वायुप्रवाह) उत्पन्न करता है।
- इमारत की दीवारें हवा के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती हैं और धूप व रेत को स्कूल के कमरों में आने से रोकती हैं।
- निर्माण के लिए स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया है।

सोलर पैसिव कॉम्प्लेक्स, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA), चंडीगढ़⁷²:

- भवन में एकीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र से 25 किलोवाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है।
- सौर ज्यामिति के अनुसार अभिविन्यास किया गए हैं।
- भवन की छत (डिज़ाइन+सामग्री) गर्मी से रहत देने के उद्देश्य से बनाई गई।
- सौर ऊर्जा से कमरों में एयर कंडीशनर और प्रकाश की जरूरत को पूरा किया जाता है (उदाहरण के लिए, लाइट वॉल्ट, सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर)।
- शीतलन और वायु शोधन के लिए छोटे तालाब और वृक्षारोपण (पेड़, झाड़ियाँ और घास)।

3. सौर ऊर्जा संचालित RO जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क का निर्माण:

सौर-आधारित आरओ (RO) जल शोधन प्रणाली स्वच्छ पेयजल की समस्या के लिए एक सतत और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करती है। यह पानी के पुनः उपयोग को बढ़ावा देते हुए समुदाय को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करता है। पेयजल की गुणवत्ता की समस्या से जूझ रही ग्राम पंचायत के लिए यह पहल लाभदायक हो सकती है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

हिवरा लाहे गांव, जिला-वाशिम, राज्य-महाराष्ट्र⁷³:

- सीएसआर समर्थन से सौर ऊर्जा संचालित जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क (समुदाय आधारित) को स्थापित किया गया।
- समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार देखा गया।
- प्रणाली के संचालन और प्रबंधन के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को सक्षम बनाया गया।
- इसी तरह की पहल गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान आदि राज्यों में भी की गई है।

71 <https://www.avontuura.com/rajkumari-ratnavati-girls-school-diana-kellogg-architects>

72 <https://peda.gov.in/solar-passive-complex>

73 <https://yraindia.org/wp-content/uploads/2019/12/RO-plant-Success-story-in-Village-Hiwara-HDB-project.pdf>

4. सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड का निर्माण:

पशु शेड मवेशियों को तीव्र गर्मी और शीतलहर से बचाने के लिए सौर ऊर्जा संचालित अनुकूली उपाय हैं। इस पहल में पशु शेड की छतों पर सौर ऊर्जा पैनल लगाकर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करने में सहायक हैं। यह सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड बिजली की मांग की भी पूर्ति कर सकते हैं। यह ऊर्जा की मांग में कमी और निष्क्रिय शीतलन और वेंटिलेशन प्रदान करने में सहायक हैं, इसके अलावा पशु शेड अन्य ऊर्जा की जरूरत को पूरा करता है जैसे की चारे की तैयारी और शेड में संचालन करने में ऊर्जा की जरूरत। अतिरिक्त उत्पादित बिजली को ग्रिड में डाला जा सकता है जिससे किसानों को अतिरिक्त आय उत्पन्न करने का स्रोत मिल सकता है।

इस तरह के पशु शेड बायोगैस उत्पादन और पशु अपशिष्ट (गोबर) से उर्वरक तैयार करने में भी मदद करेंगे। ये पशु शेड उचित पृथक और पशुओं को सुरक्षित स्थान प्रदान करके पशुओं में फैलने वाले रोगों के संचरण को कम करने में भी मदद कर सकते हैं।

यह गतिविधि संस्तुतियों के " सतत कृषि" खंड में सतत पशुधन प्रबंधन सुझावों को मजबूत कर सकती है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जिले: लुधियाना, भटिंडा और तरनतारन, पंजाब^{74,75}

- यह परियोजना 3 जिलों में 1-2 हेक्टेयर भूमि और 5-15 डेयरी पशुओं वाले छोटे और सीमांत किसानों के 3000 परिवारों के लिए कार्यान्वित की गई
- पशु शेड जलवायु को सुरक्षित करने और छोटे और सीमांत पशुधन किसानों की स्थायी आजीविका को बढ़ावा देते हैं

निर्मल गुजरात अभियान⁷⁶

- गुजरात के हिममतनगर में पशु आश्रय स्थल गांवों को साफ रखने में मदद करते हैं।
- ऐसे पशु आश्रय स्थल (पशु आवास) में बायोगैस और वर्मीकम्पोस्ट उत्पन्न करने के लिए गोबर एकत्र करने में भी प्रभावी हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए वर्मीकम्पोस्ट बेचा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, एक "अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी)⁷⁷" के तहत पशु शेड सब्सिडी योजना है, जिसे गुजरात सरकार के पशुपालन, कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग निर्देशित द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 2 जानवरों के लिए मवेशी शेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता (या तो ₹30,000/- या मवेशी शेड की लागत का 50%, जो भी कम हो) दी जाती है।

5. कूल रूफ/ठंडी छतें

घरों, सार्वजनिक इमारतों और सरकारी भवनों की छतों को सौर-परावर्तक पेंट से रंगना।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जोधपुर, भोपाल, सूरत और अहमदाबाद में झुग्गी-झोपड़ी वाले घर⁷⁸

- स्थानीय सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने परिवारों को अपनी खुद की ठंडी छत को पेंट करने के लिए प्रशिक्षित किया।
- प्रदर्शन आउटरीच: 460 से अधिक छतें में पेंट किया गया।
- पारंपरिक छतों की तुलना में घर के अंदर का तापमान 2 - 5°C कम पाया गया।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच" अनुभाग से जुड़ी है।

74 <https://pscst.punjab.gov.in/en/climate-resilient-livestock-production-system>

75 <https://moef.gov.in/wp-content/uploads/2017/08/Punjab.pdf>

76 <https://jayshaktiengg.com/gujarat-government-launches-solar-scheme-for-farmers/>

77 <https://www.myscheme.gov.in/schemes/csssscspcc>

78 <https://www.nrdc.org/bio/anjali-jaiswal/cool-roofs-community-led-initiatives-four-indian-cities>

6. चारे की संपूरक के उपयोग से मवेशियों से मीथेन उत्सर्जन को कम करना :

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)-राष्ट्रीय पशु पोषण और फिजियोलॉजी संस्थान ने पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने में मदद के लिए फ्रीड सप्लीमेंट (हरित धारा और टैमरिन प्लस) विकसित किए हैं।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ी है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

- इन संपूरकों के उपयोग से आंत्रिय मीथेन उत्सर्जन में 17-20% तक कम हो सकता है⁷⁹।
- आईसीएआर की रिपोर्ट के अनुसार इन पूरक आहार की कीमत ₹6 प्रति किलोग्राम है।

7. सौर ऊर्जा संचालित ऊर्ध्वाधर चारा उगाने वाली इकाइयों (घरेलू स्तर/ सामुदायिक स्तर) का निर्माण:

सौर ऊर्जा से संचालित, माइक्रोकलाइमेट-नियंत्रित, ऊर्ध्वाधर चारा उगाने वाली इकाई उपयोगकर्ताओं को प्रतिदिन एक बाल्टी से भी कम पानी के साथ ताजा चारा काटने में सक्षम बनाती है। ऐसी इकाइयाँ सूखे की स्थिति में भी पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ी है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और बिहार राज्यों में⁸⁰

- चारा उत्पादक इकाइयों को अपनाने से पशुधन के लिए हरे चारे की उपलब्धता में वृद्धि।
- इससे किसानों की आय में वृद्धि होती है।

8. पंचायत स्तरीय जल बजटिंग

जलवायु-अनुकूल कृषि-आधारित आजीविका के लिए जल प्रबंधन और 'जल बजटिंग'

- वार्षिक/त्रैमासिक जल बजट की गणना।
- ग्राम स्तर पर "जल की कमी" और "जल अधिशेष" की गणना।
- पानी की उपलब्धता के आधार पर वार्षिक फसल उत्पादन योजना।
- जल बर्बादी को रोकने के लिए जल ऑडिट।

यह गतिविधि कार्ययोजना के सतत कृषि और जल संसाधन प्रबंधन अनुभागों से जुड़ी है। यह पहल फसल चयन/योजना, खेत तालाब, बेहतर सिंचाई विधियों, जल पुनर्भरण आदि जैसे कई हस्तक्षेपों को सुदृढ़ बनाएगी।

79 भारतीय कृषि परिषद की रिपोर्ट के अनुसार <https://testicar.icar.gov.in/content/icar-nianp-commercializes-anti-methanogenic-feed-supplement-%E2%80%9Charit-dhara%E2%80%9D>

80 <https://india.mongabay.com/2024/04/amid-fodder-crisis-hydroponics-offers-new-hope-for-indian-farmers/>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

7 ग्राम पंचायतें (जीपी) और पड़ोसी बस्तियां, रंगारेड्डी और नागौरकुर्नूल जिले, तेलंगाना ⁸¹

- यह गतिविधि पानी की खपत की वर्तमान स्थिति व खपत को अनुकूलित करने के उपाय दोनों को पहचानने में मदद करेगी।
- इस गतिविधि के द्वारा प्रत्येक कृषि मौसम यानी खरीफ़ (मानसून), रबी (सर्दी), और ज़ैद (गर्मी) के लिए योजना बनाने में भी सहायता मिल सकती है।

9. जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में ग्रामीण महिला उद्यमियों को सक्षम बनाना

गांवों में महिलाओं के नेतृत्व वाली जमीनी स्तर की उद्यमिता सहायता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण:

- महिलाएं स्वच्छ/हरित प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पाद की बिक्री करें।
- महिलाएं समुदायों को स्वच्छ-प्रौद्योगिकियों के महत्व पर शिक्षित करें।
- उदाहरण के लिए, स्वच्छ खाना पकाने (सौर कुकस्टोव), पोर्टेबल सौर जल शोधक, एनर्जी एम्पिफिसिएंट लाइट, आदि।
- महिलाओं को व्यवसाय विस्तार ऋण उपलब्ध कराया जाए।
- ग्रामीण विपणन और वितरण संबंधों को सुविधाजनक बनाया जाए।

ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र में सक्षम बनाने के लिए व्यावसायिक कौशल विकास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी को मजबूत करना है। यह कार्ययोजना के आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाने वाले अनुभाग से जुड़ता है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

4 राज्यों (महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु) में 14 जिले⁸²

स्वयं शिक्षान प्रयोग (एसएसपी) महिलाओं को उनके ग्रामीण समुदायों में स्वच्छ ऊर्जा उद्यमियों और जलवायु परिवर्तन नेताओं के रूप में सक्षम बनाता है:

- 60,000 से अधिक ग्रामीण महिला उद्यमियों को स्वच्छ ऊर्जा, सतत कृषि, स्वास्थ्य और पोषण, और सुरक्षित पानी और स्वच्छता में सक्षम बनाया गया।
- 1,000 से अधिक महिला उद्यमियों ने स्वच्छ-ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण लिया और व्यवसाय शुरू किया।

10. सामुदायिक बीज बैंक

- सामुदायिक बीज बैंक क्षेत्र में फसल विविधीकरण और स्थिरता को बढ़ावा देंगे जबकि स्थानीय बीज प्रणालियों को मुख्यधारा में लाएंगे, तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति सुदृढ़ बनाएंगे।
- ऐसे बीज बैंक किसानों को सूखा-सहिष्णु और जलवायु परिवर्तन अनुरोधक फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- किसानों के लिए सुरक्षा जाल सुनिश्चित करें, विशेष रूप से प्रतिकूल मौसम की स्थिति और भोजन की कमी के दौरान।

81 <https://wotr.org/2018/03/31/water-budgeting-in-telangana-the-need-and-the-objective-of-the-campaign/>

82 <https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/women-for-results/rural-community-leaders-combatting-climate-change>

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

सामुदायिक बीज बैंक, डंगधोरा, जोरहाट, असम (UNEP-GEF परियोजना)⁸³

- बीज बैंक से जुड़े किसानों को स्थानीय बाजार में उपलब्ध बीजों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों की कटाई, उपचार, भंडारण और गुणा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- बीज बैंक की पहल सहभागी फसल सुधार और ज्ञान-साझाकरण रणनीतियों को बढ़ावा देती है।
- किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों तक सस्ते और आसान पहुंच प्रदान की जाती है व किसानों को बाजार से भी जोड़ती है।
- यह बीज प्रणालियाँ व इनकी मूल्य श्रृंखलाएँ स्थिरता और खाद्य सुरक्षा दोनों की रक्षा करती हैं।

11. जैव-संसाधन केंद्र (बीआरसी) की स्थापना

जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) प्राकृतिक खेती को अपनाने की सुविधा के लिए जैव-इनपुट तैयार करते हैं और आपूर्ति करते हैं। बीआरसी से किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जैव-इनपुट स्वयं तैयार करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जैव-इनपुट तैयार करना एक समय लेने वाली और श्रम-गहन गतिविधि है।

- मिट्टी के स्वास्थ्य, फसल उपज की वृद्धि, कीट या रोग प्रबंधन में सुधार के लिए उपयोगी जैविक संस्थाओं या जैविक रूप से व्युत्पन्न इनपुट का उपयोग करने वाले स्थानीय रूप से तैयार उत्पाद किसानों द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।
- बीआरसी क्षेत्र के किसानों की सभी जैव इनपुट आवश्यकताओं के लिए सिंगल-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करता है।

सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:




आंध्र प्रदेश राज्य में⁸⁴

- सतत जलवायु-अनुकूल कृषि में योगदान देता है।
- किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने में मदद मिलती है क्योंकि उच्च कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मिट्टी को बाढ़, सूखे और भूमि क्षरण प्रक्रियाओं के प्रति अधिक लचीला बनाती है।
- कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र और पैदावार में स्थिरता होने के परिणामस्वरूप जोखिम कम हो जाता है, और उत्पादन लागत भी कम हो जाती है।

83 <https://alliancebioiversityciat.org/stories/community-seed-banks-empower-farmers-address-climate-risk-india>

84 <https://www.apmas.org/pdf/csv/casestudy-1.pdf>

सतत कृषि

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया ⁸⁵
क. जलवायु परिवर्तन अनुकूल खेती 	<ul style="list-style-type: none"> कृषि उत्पादकता एवं लाभ में वृद्धि मृदा स्वास्थ्य में सुधार रासायनिक आदानों के कम उपयोग के कारण पानी की गुणवत्ता में सुधार कृषि जल सुरक्षा में सुधार शीत लहर और गर्मी की लहर के दौरान पशुधन की हानि कम हुई और उत्पादकता में वृद्धि हुई वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ और उत्सर्जन में कमी आई 	एसडीजी 2: शून्य भूख <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 2.3 लक्ष्य 2.4 लक्ष्य 2.ए ; अनुच्छेद 10.3.ई एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.4 लक्ष्य 13.1 एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
ख. प्राकृतिक खेती अपनाना 		
ग. सतत पशुधन प्रबंधन 		



85 प्रासंगिक एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों की विस्तृत सूची अनुलग्नक V में दी गई है

जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. जल निकायों का रखरखाव</p> 	<ul style="list-style-type: none"> प्रकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) पानी की कमी और पानी के तनाव से निपटने की क्षमता को बढ़ाता है बेहतर भूजल पुनर्भरण पानी की गुणवत्ता में वृद्धि सूखा, लू जैसी आपदाओं के प्रति लचीलापन बढ़ाना कृषि एवं पशुधन उत्पादकता में सुधार स्थानीय जैवविविधता को बढ़ावा 	<p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.1 लक्ष्य 6.3 लक्ष्य 6.4 लक्ष्य 6.5
<p>ख. नालों के बुनियादी ढांचे का सुदृढीकरण</p> 		<p>एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.4 <p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2
<p>ग. वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) प्रथाएं</p> 		<p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 <p>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1 लक्ष्य 15.5





हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना







सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. हरित क्षेत्रों में सुधार</p> 	<ul style="list-style-type: none"> जलवायु घटनाओं/आपदाओं से प्राकृतिक बफ़र सूक्ष्म-जलवायु को विनियमित करने से हीटवेव और तीव्र गर्मी के तनाव से अनुकूलन में सहायता मिलेगी 	<p>एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.7 लक्ष्य 11.4
<p>ख. नर्सरी की स्थापना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ होगा बेहतर मृदा स्थिरता, जल संरक्षण और संबंधित कृषि लाभों के लिए प्राकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) 	<p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2
<p>ग. जन जैवविविधता रजिस्टर</p> 	<ul style="list-style-type: none"> पशुधन उत्पादकता में सुधार कृषि वानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन जैवविविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास; पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार 	<p>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3 <p>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1 लक्ष्य 15.2 लक्ष्य 15.3 लक्ष्य 15.5 लक्ष्य 15.9




सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> जलभराव कम हुआ जल और भूमि प्रदूषण में कमी/स्वच्छता में सुधार 100% अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग-मुक्त वातावरण 	<p>एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 3.3 लक्ष्य 3.9
<p>ख. जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन</p> 		<p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 6.3 लक्ष्य 6.8 <p>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 8.3






<p>ग. स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचों में सुधार</p> 	<ul style="list-style-type: none"> आजीविका और आय सृजन राजस्व और लाभ सृजन सतत कृषि के लिए उन्नत इनपुट 	<p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1 <p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.4 लक्ष्य 12.5 लक्ष्य 12.8 <p>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3 <p>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 15.1    
<p>घ. एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध</p> 		

सतत और उन्नत गतिशीलता

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. मौजूदा सड़क ढांचे को बुनियादी बढ़ाना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है जोखिम वाले और संवेदनशील लोगों के लिए बेहतर पहुंच अतिरिक्त राजस्व सृजन वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि जलभराव कम करने जैसे सह-लाभों के साथ सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के माध्यम से लचीलेपन में सुधार 	<p>एसडीजी 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 7.2 <p>एसडीजी 11: टिकाऊ शहर और समुदाय</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 11.2 <p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1 <p>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3    
<p>ख. मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाना</p> 		
<p>ग. ई-वाहनों और ई-ट्रेक्टर को अपनाने को बढ़ावा देना</p> 		

स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. सोलर रूफटॉप की स्थापना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ऊर्जा सुरक्षा उष्ण से राहत आजीविका के उन्नत विकल्प अतिरिक्त राजस्व सृजन उच्च तापमान/धूप के संपर्क से राहत प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप उपज स्थिरता और उत्पादकता में वृद्धि होती है विषैले उत्सर्जन/स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट पे-बैंक अवधि के बाद आर्थिक लाभ घर के अंदर वायु प्रदूषण में कमी विशेषकर महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार ईंधन की लकड़ी एकत्र करने के कठिन परिश्रम/शारीरिक श्रम को समाप्त करता है आपदाओं के दौरान ग्रिड विफलताओं से निपटने की क्षमता में वृद्धि 	<p>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता लक्ष्य 6.4</p> <p>एसडीजी 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 7.1 लक्ष्य 7.2 लक्ष्य 7.3 लक्ष्य 7.ए लक्ष्य 7.बी <p>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 9.1 <p>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
<p>ख. कृषि-फोटोवोल्टिक</p> 		
<p>ग. सौर पंप</p> 		
<p>घ. रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग</p> 		
<p>ङ. ऊर्जा कुशल फिक्स्चर</p> 		
<p>च. सौर स्ट्रीट लाइट</p> 		



आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

सुझाई गई जलवायु स्मार्ट गतिविधियाँ	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>क. सतत उत्पादों के निर्माण में पूर्व से गठित एवं सक्रिय स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करें</p> 	<ul style="list-style-type: none"> जल एवं भूमि प्रदूषण में कमी स्थायी कृषि के लिए उन्नत इनपुट 100% अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग-मुक्त वातावरण अतिरिक्त राजस्व सृजन आजीविका के उन्नत विकल्प औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ कृषिवानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन। जैव विविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास, पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में वृद्धि स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि 	<p>एसडीजी 5: लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाना</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 5.5 <p>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 8.3 <p>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करें</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 12.2 लक्ष्य 12.4 लक्ष्य 12.5 लक्ष्य 12.8 <p>एसडीजी 13: जलवायु कार्यवाही</p> <ul style="list-style-type: none"> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
<p>ख. जैविक कचरे से खाद बनाना और उसे उर्वरक के रूप में बेचना</p> 		
<p>ग. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराये पर लेने की सुविधा</p> 		
<p>घ. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के माध्यम से आजीविका को बेहतर बनाना</p> 		
<p>ङ. प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन</p> 		
<p>च. विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा (RE) स्थापनाओं का क्रियान्वयन एवं रखरखाव (O&M)</p> 		



कार्यान्वयन में प्रस्तावित सुझाव से कोडरा ग्रांट के ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने में ही नहीं बल्कि ऊर्जा, खाद्य और जल सुरक्षा प्राप्त करने में भी सहायता होगी, जिससे ग्राम पंचायत क्लाइमेट स्मार्ट, लचीली और सतत बनेगी। इससे गांव के निवासियों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए ग्राम पंचायत के समग्र और निरंतर विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, ये संस्तुतियां प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देते हुए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगी। कोडरा ग्रांट के लिए यह क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना ऊर्जा, कृषि निवेश, पानी, आदि पर व्यय में कमी लाकर कोडरा ग्रांट को 'आत्मनिर्भर' बनाएगी जिससे आर्थिक विकास के नए मार्ग खुलेंगे।

इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन से जलवायु परिवर्तन पर उत्तर प्रदेश राज्य कार्ययोजना II, 2022 में परिकल्पित के अनुसार, कोडरा ग्रांट जलवायु कार्ययोजना पर राज्य के दृष्टिकोण और लक्ष्यों में भी योगदान देगा, जो बदले में, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए देश के प्रयासों को सशक्त करेगा, जिससे एनडीसी, 2015 और इसके अद्यतन संस्करण, 2022 में सूचीबद्ध योगदान और 2030 तक सतत विकास लक्ष्य भी प्राप्त होंगे।

जलवायु संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्थानीय स्तर पर विशेष रूप से तैयार किए गए समाधानों की आवश्यकता है, जो पर्याप्त जलवायु वित्त और कार्यान्वयन के अन्य माध्यमों की उपलब्धता से ही सफल हो सकते हैं। इसे राज्य और केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत समर्थित ग्राम पंचायत विकास योजना में परिकल्पित जारी गतिविधियों में न्यूनीकरण और अनुकूलन दोनों जलवायु कार्यवाही को मिलाकर और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाकर प्राप्त किया जा सकता है। इससे सभी प्रासंगिक हितधारकों: समुदाय, सरकारी प्रशासन, निर्वाचित प्रतिनिधियों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग में वृद्धि होगी। कार्ययोजना के क्रियान्वयन के बाद, नई अवसरचना/प्रौद्योगिकी के कुशल प्रबंधन के रूप में निरंतर कार्यवाही कोडरा ग्रांट को एक मॉडल क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनना सुनिश्चित करेगी। वर्तमान योजना की सफलता से संभवतः दूसरे ग्राम पंचायत भी कुशल, लचीले और सतत बनाने की प्रक्रिया का पालन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, यह महत्वपूर्ण होगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित लाइफ़ मिशन के समान एक संवहनीय जीवन शैली को अपनाने के लिए सामुदायिक स्वामित्व की भावना और व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित किया जाए।

अनुलग्नक I: पृष्ठभूमि और कार्यप्रणाली

पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश राज्य जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध उन्नत और नवीन गतिविधियां अपना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी और प्रेरणादायक मार्गदर्शन के अंतर्गत राज्य ने शासन के विभिन्न स्तरों पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध विस्तृत गतिविधियां प्रारंभ की हैं। इनमें से एक है 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत' के निर्माण के लिए कार्ययोजनाओं का निर्माण करना। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने इस अवधारणा की परिकल्पना जून, 2022 में की थी। उनकी इस परिकल्पना को वास्तविक रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के 39 संवेदनशील जिलों में जलवायु अनुकूल ग्राम पंचायतों की पहचान करने के लिए एक त्वरित बहु-मानदंड मूल्यांकन संचालित किया गया⁸⁶। 5 जून, 2022 को आयोजित 'पंचायत सम्मेलन' (सीओपी) में इन चयनित ग्राम पंचायतों के नामों की घोषणा की गई और इनमें से कई पंचायतों को सम्मानित भी किया गया।

कोडरा ग्रांट के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना⁸⁷ का विकास उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वसुधा फाउंडेशन और गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप के सहयोग से किया गया है। इस कार्ययोजना का लक्ष्य ग्राम पंचायत स्तर पर जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध गतिविधियों को मुख्यधारा में सम्मिलित करने के लिए ग्राम पंचायत विशिष्ट ब्लूप्रिंट प्रदान करना है। यह न केवल स्थानीय जलवायु अभियानों को सुदृढ़ता प्रदान कर ग्राम पंचायत को जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सहनशील बनाएगा बल्कि वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन/कार्बन तटस्थ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्सर्जनों में कमी भी लाएगा।

इस कार्ययोजना के निर्माण में भागीदारी दृष्टिकोण अपनाया गया है जो कि ऊर्ध्वगामी (बॉटम अप) योजना निर्माण की अवधारणा के अनुरूप है। इस कार्ययोजना की प्रस्तावित संस्तुतियों को व्यक्तिगत परियोजनाओं के रूप में किया जा सकता है जिन्हें पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व में जुटी कंपनियों, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं, उन्नत सार्वजनिक-निजी साझेदारियों, कार्बन वित्त और निजी निवेशों से धनराशि की व्यवस्था की जा सकती है।

इसे व्यवहार्य बनाने के लक्ष्य से यह कार्ययोजना पंचायत-निजी-साझेदारी (पीपीपी) के निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है और साथ ही, इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और गैर-राज्य सक्रियकों के बीच सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा भी प्रदान करती है।

कार्यप्रणाली

इस रिपोर्ट में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के सहित भरी हुए प्रश्नावली, एचआरवीसीए (HRVCA) रिपोर्ट, ग्राम पंचायत के सामाजिक और संसाधन मानचित्र के रूप में फ़ील्ड से मिली जानकारी संलग्नक के रूप में सम्मिलित है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:

- सर्वेक्षण प्रश्नावली की तैयारी: मूलभूत स्थिति को समझने और ग्राम पंचायत के आधारभूत परिदृश्य का विकास करने के लिए मुख्य हितधारकों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के विचारों के आधार पर एक प्रश्नावली तैयार की गई। प्रश्नावली में विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया गया, जैसे कि जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक संकेतक, जलवायु परिवर्तनशीलता, जलवायु धारणा (पिछले 5 वर्ष की), ऊर्जा, कृषि

86 उत्तर प्रदेश के 39 अति संवेदनशील जिलों की पहचान उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना 2.0 (SAPCC 2.0) और डीओईएफसीसी (DOEFCC), उत्तर प्रदेश सरकार (Goup) द्वारा विकसित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना हेतु स्क्रीनिंग आकलन से की गई।

87 इस आलेख में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना सहित निम्न आलेख संलग्नक के रूप में सम्मिलित हैं: विस्तृत कार्यप्रणाली; उत्तर सहित प्रश्नावली; खतरा, जोखिम, भेद्यता और क्षमता आकलन (एचआरवीसीए) रिपोर्ट, और ग्राम पंचायत का सामाजिक और संसाधन मानचित्र।

और पशुधन, भूमि संसाधन, स्वच्छता और स्वास्थ्य। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायत में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की पहुंच को समझना भी था।

- हितधारकों के लिए परामर्श सत्र और क्षमता निर्माण: स्थानीय गैर-सरकारी साझेदारों, ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों के लिए परामर्श और क्षमता-निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
- हितधारकों को जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के उद्देश्यों और घटकों, इन कार्य योजनाओं के विकास और उनकी व्यक्तिगत भूमिकाओं के विषय में जानकारी प्रदान की गई।
- साथ ही, गैर सरकारी साझेदारों को मुख्य जलवायु परिवर्तन अवधारणाओं, अपनाने जाने वाली सर्वेक्षण प्रक्रियाओं और समूह केन्द्रित चर्चाओं के लिए विकसित प्रश्नावली के बारे में प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।
- क्षेत्र सर्वेक्षण: समुदाय से अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, ग्राम सभा और समूह केन्द्रित चर्चा के कुछ दौरों का आयोजन किया गया था जिसके माध्यम से प्राथमिक डेटा संग्रह किया गया।
 - » क्षेत्र सर्वेक्षण में ग्राम पंचायत का दौरा (ट्रांसेक्ट वाक) किया गया और उसके आधार पर सामाजिक और संसाधन मानचित्र तैयार किए गए।
 - » ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्याओं को समझने के लिए खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (एचआरवीसीए) भी किया गया।
 - » कोडरा ग्रांट ग्राम पंचायत की जलवायु संबंधित समस्याओं को और उसके विकास लक्ष्यों को समझने के लिए समूह केन्द्रित चर्चाओं का भी आयोजन किया गया।
- प्राप्त आदानों के आधार पर, ग्राम पंचायत के लिए कार्ययोजना विकसित की गई और बेसलाइन मूल्यांकन का संचालन किया गया। इसमें जलवायु-स्मार्ट गतिविधियों की पहचान करना सम्मिलित था जो न केवल पहचानी गई पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी समस्याओं को संबोधित करती हैं बल्कि ग्राम पंचायत में प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखती हैं। जानकारियों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को संपूर्ण किया गया।
- जानकारियों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को संपूर्ण किया गया।
- ड्राफ्ट योजना को समीक्षा के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।
- ग्राम पंचायत से प्राप्त अपडेट को सम्मिलित करने के पश्चात, कार्ययोजना को अंतिम रूप प्रदान किया गया और समर्थन के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।

अनुलग्नक II: प्रश्नावली



उत्तर प्रदेश क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत की सर्वे प्रश्नावली

ग्राम पंचायत : कोड़रा ग्रांट

विकासखण्ड : नौगढ़

जनपद : सिद्धार्थनगर

I. गाँव की रूपरेखा

	विवरण	संख्या (सूचना का स्रोत- समुदाय के सदस्य)
1	राजस्व गाँव की संख्या	03
2	टोलों की संख्या	22
3	a कुल जनसंख्या	9580
	b कुल पुरुषों की जनसंख्या	4680
	c कुल महिलाओं की जनसंख्या	4900
	d विकलांगजन की जनसंख्या	40
	e कुल बच्चों की जनसंख्या	2100
	f वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग)	1800
4	कुल परिवार की संख्या	1420
a	गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की संख्या	1136
5	कुल भौगोलिक क्षेत्रफल	8.17 (km)
6 a	साक्षरता दर	70 %
7 a	पक्का घरों की संख्या	1325
b	कच्चा घरों की संख्या (मुख्य रूप से उपयोग की गई सामग्री का उल्लेख करें)	95 (20 खपरैल , 75छप्पर/ पतरा)





II. सामाजिक आर्थिक

8	ग्राम पंचायत में केवल कृषि (प्रकार) पर आश्रित परिवार	कुल परिवारों की संख्या	
	निजी भूमि/स्वयं की भूमि	1300	
	किराए की भूमि (हुण्डा)	300	
	अनुबंध खेती	0	
	दिहाड़ी मजदूर	500	
	अन्य व्यवस्था (रेहन, अधिया आदि)	250	
	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में शामिल परिवार, उल्लेख करें)	150	
9	ग्राम पंचायत में आय के स्रोत	कुल परिवारों की संख्या	
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)	75	
	कुटीर उद्योग	04 (चिप्स व पापड़)	
	कृषि	1200	
	कला/हस्तकला	0	
	पशुपालन	950	
	व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	150	
	व्यवसाय/उद्यम	0	
	दैनिक/दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)	550	
	अन्य	05 (मछली पालन)	
10	पलायन	हां	नहीं
a	क्या पिछले पांच वर्षों में आप के ग्राम पंचायत से ग्रामीणों ने पलायन किया है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	पलायन करने वाले स्थान	पिछले पांच वर्षों में पलायन करने वाले परिवार/ व्यक्तिगत की संख्या	पलायन के मुख्य कारण
	अन्य गांव	0	
	निकट के शहर	80	रोजगार के लिए
	राज्य के प्रमुख शहर	75	रोजगार के लिए
	देश के प्रमुख महानगर	1100	रोजगार के लिए
c	क्या पिछले पांच वर्षों में आप के ग्राम पंचायत में परिवार/व्यक्ति ने प्रवास किए हैं?	हां	नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
d	पिछले पांच वर्षों में		





	आपके ग्राम पंचायत में कितने परिवार प्रवास किए हैं? मुख्य कारण स्पष्ट करें।	
--	--	--

11 महिलाओं की स्थिति		
a	महिला प्रमुख परिवारों की संख्या (आय का मुख्य स्रोत- महिला)	60
b	खेती में कार्यरत महिला	कुल संख्या
	निजी भूमि/स्वयं की भूमि	40
	किराएकी भूमि/हुण्डा	35
	अनुबंध खेती	0
	दिहाड़ी मजदूर	60
	अन्य व्यवस्था	0
	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिक कृषि गतिविधि में संलग्न महिलाएं, उल्लेख करें)	30
c	नौकरी/अन्य क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं	कुल संख्या
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारी नौकरी आदि)	0
	कुटीर उद्योग	0
	कृषि	60
	कला/हस्तकला	0
	पशुपालन	20
	व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	10
	दैनिक/दिहाड़ी मजदूर (अकृषिगत)	60
	अन्य	0





12 स्वयं सहायता समूहों					
	स्वयं सहायता समूह का नाम	सदस्यों की संख्या	अपनायी गई गतिविधियाँ	वार्षिक बचत (₹0)	बैंकों से जुड़ाव/अजुड़ाव
1	कृष्णा महिला समूह	11	खेती व पशुपालन	6600.00	हाँ
2	सूरज महिला समूह	10	खेती व पशुपालन	6600.00	हाँ
3	गंगा महिला समूह	10	खेती व पशुपालन	6600.00	हाँ
4	ॐ नमः शिवाय महिला समूह	11	खेती व पशुपालन	6600.00	हाँ
5	विष्णु महिला समूह	11	खेती व पशुपालन	6600.00	हाँ
6	माँ वैष्णो महिला समूह	11	खेती व पशुपालन	6600.00	हाँ
7	राधा महिला समूह	12	खेती व पशुपालन	6600.00	हाँ
8	बादल महिला समूह	12	खेती व पशुपालन	6600.00	हाँ
9	जीवन महिला समूह	12	खेती व पशुपालन	6600.00	हाँ
10	शिव महिला समूह	12	खेती व पशुपालन	6600.00	हाँ
11	चांदनी महिला समूह	11	खेती व पशुपालन	6600.00	हाँ
12	प्रकाश महिला समूह	10	खेती व पशुपालन	6600.00	हाँ
13	भीम महिला समूह	12	खेती व पशुपालन	6600.00	हाँ
14	काली माँ महिला समूह	11	खेती व पशुपालन	6600.00	हाँ
15	चौद महिला समूह	11	खेती व पशुपालन	6600.00	हाँ

13 कृषक उत्पादक संगठन (एफ0पी0ओ0)						
	एफ0पी0ओ0 का नाम	क्या इस संगठन की प्रमुख महिला हैं?	प्रत्येक एफ0पी0ओ0 में सदस्यों की संख्या	एफ0पी0ओ0 से प्राप्त वार्षिक राजस्व/ बचत	कृषि उत्पाद	पोस्ट हार्वेस्ट की गतिविधियां/ गतिविधियों का क्षेत्र
	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-





14 अन्य समुदाय आधारितसंगठन /						
	सामाजिक संगठन / समितियों के नाम	क्या महिला प्रमुख संगठन / समिति हैं?	सदस्यों की संख्या	प्राप्त वार्षिक राजस्व / बचत	उत्पाद / सेवा	विपणन / लक्षित उपभोगकर्ता
1	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
2	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
3	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
4	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
5	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
6	-	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-

15 योजनाएं							
	a	योजना के नाम	पंजीकृत लाभार्थी की संख्या	लाभ प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	विगत वर्ष ग्राम पंचायत में प्राप्त कुल भगतान (रु0)	अन्य कोई बकाया (रु0)	की गई गतिविधियाँ / कार्य
		मनरेगा	420	420	975000.00	0.0	मिट्टी का कार्य (सड़क, पोखरा नाला)
		प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना / एन.एफ.एस.ए.	-	-	-	-	-
		प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	25	25	-	-	-
		प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	80	80	-	-	-
		प्रधान मंत्री कुसुम योजना	-	-	-	-	-
	b	अन्य योजनाएं					
		ग्राम उज्ज्वला योजना	-	-	-	-	-
		ऊर्जा दक्षता योजना	15	15	-	-	-
		प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	-	-	-	-	-
		प्रधानमंत्री आवास योजना	120	120	16200000.00	0.0	-





	सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीओडीओएस0)	1463	1463	-	-	-
	कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम	-	-	-	-	-
	उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन	-	-	-	-	-
	राष्ट्रीय कौशल विकास योजना (RKVY)	-	-	-	-	-
	मौसम आधारित फसल बीमा	-	-	-	-	-
	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)	30	30	-	-	-
	मृदा स्वास्थ्य कार्ड	-	-	-	-	-
	किसान क्रेडिट कार्ड	60	60	-	-	-
	स्वच्छ भारत मिशन	750	750	-	-	-
	सौर सिंचाई पम्प योजना	-	-	-	-	-
	नई/नवीन भारतीय बायोगैस व कार्बनिक खाद कार्यक्रम	-	-	-	-	-
	विकेन्द्रित अनाज क्रय केन्द्र योजना	-	-	-	-	-
	गोवर्धन योजना	-	-	-	-	-
	जल पुनर्भरण योजना	-	-	-	-	-
	रेनवाटर हार्वेस्टिंग	-	-	-	-	-
	समन्वित वाटरशेड विकास कार्य[म	-	-	-	-	-
	अन्य वाटरशेड विकास योजनाएं	-	-	-	-	-
	अन्य (एक जिला-एक उत्पाद, मेक इन इण्डिया, अन्य)	-	-	-	-	-
	उद्यमिता सहायतित योजनाएं आदि	-	-	-	-	-

16	सक्रिय बैंक खाताधारकों की संख्या	1260
17	ई-बैंकिंग/डिजिटल भुगतान एप/यू.पी.आई आदि से भुगतान करने वाले खाताधारकों की संख्या	350





8	निकट कृषि बाजार/क्रय केन्द्र/सरकारी केंद्र	क्या ग्राम पंचायत द्वारा बाजार/क्रय केन्द्र का उपयोग होता है		यदि नहीं, तो बाजार/केन्द्र का उपयोग क्यों नहीं किया जाता	उत्पादित फसल(कु0)	बिक्री हुई फसल (कु0)	ग्राम पंचायत से दूरी (यदि ग्राम पंचायत से दूर है) (कि0मी0)
		✓हां	नहीं				
4	नवीन मंडी, नौगढ़	✓हां	नहीं	-	22500	12000	8 किलोमीटर
	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-
	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-	-

19		शिक्षा (केवल ग्राम पंचायत में)				
	प्रकार/स्तर	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	कुल नामांकित विद्यार्थियों की संख्या	विगत वर्ष में कुल ड्राप आऊट विद्यार्थियों की संख्या	ड्राप आऊट के मुख्यकारण(स्वास्थ्य (1), पहुँच/उपलब्धता-(2), आर्थिक समस्या-(3), अन्य-(4) उल्लेख करें)	
a	प्राथमिक विद्यालय-कोड़राग्रांट	80	250	5	3	
	प्राथमिक विद्यालय-टिकरिया	80	300	10	3	
	मदरसा.2	300	800	75	3	
b	जू0 हाई स्कूल	120	300	15	3	
c	हाई स्कूल	150	150	5	3	
d	अन्य संस्थान					
	इकरा माडैन स्कूल	90	400	0	0	
	ग्रेट	100	500	15	3	



	इण्डिया स्कूल				

20	कौशल विकास/व्यवसायिक प्रशिक्षण/पुनः कौशल संस्थान (केवल ग्राम पंचायत में)	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	संस्थान के प्रकार (सरकारी 1, निजी 2)	नामांकित व्यक्तियों की संख्या	नामांकित व्यक्तियों की आयु
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

21	राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग की उपलब्धता			
	राजमार्ग का नाम	राज्य मार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2	ग्राम पंचायत से दूरी	सम्पर्क मार्ग की स्थिति अच्छा (1), खराब (2), घटिया (3), सबसे घटिया (4)
01	शोहरतगढ़ से नौगढ़	1	7 किलोमीटर	1
02	बरती से लखनऊ	2	85 किलोमीटर	1

III. भूमि संसाधनों संबंधित सूचनाएं/जानकारी

22	वन भूमि का विवरण	
a	वन का क्षेत्र	135 एकड़
b	वन विभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्र	65 एकड़
c	सार्वजनिक उपयोग हेतु उपलब्ध वन क्षेत्र	65 एकड़
d	कितने क्षेत्र पर अतिक्रमण है?	नहीं
e	विगत पांच वर्षों में कोई वन उन्मूलन/वन कटाई की गतिविधियां	नहीं
f	अनुमानित वन उन्मूलन/वन कटाई का क्षेत्रफल (एकड़)	-

23	अन्य भूमि का वर्गीकरण	
----	-----------------------	--





a	ग्राम पंचायत के पास ग्राम सभा की कितनी भूमि उपलब्ध है?	8.5 एकड़		
b	कितनी भूमि पर अतिक्रमण है? (एकड़)	0		
c	ग्राम पंचायत में खनन गतिविधियां	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input checked="" type="checkbox"/>	आच्छादित क्षेत्रफल
	खनन के प्रकार बालू खनन 1, खनिज खनन—(उल्लेख करें) 2, अन्य (उल्लेख करें) 3	-		
	अतिरिक्त सूचनाएं	-		

24 जल निकाय क्षेत्र			
	विवरण	हां	नहीं
a	क्या आप के ग्राम पंचायत में जल निकाय क्षेत्र है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	ग्राम पंचायत में कुल जल निकाय क्षेत्रों की संख्या	05	
c	क्या जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण है?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
d	जल निकाय क्षेत्र में अतिक्रमण कब से है?	-	
e	क्या जल निकाय क्षेत्र के आस-पास के भूमि पर अतिक्रमण किया गया है?	नहीं	

25 जल आपूर्ति		
a	ग्राम पंचायतमें घरों हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? नहर (1) वर्षा जल—(2) भूमिगत जल—(3) तालाब/झील—(4) अन्य— (5)	(2) 3
b	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति के स्रोत मौसमी या बारहमासी है?	वर्षा जल मौसमी एवं भूमिगत जल बारहमासी है
c	घरों में जल आपूर्ति कैसे होती है? पाइप जलापूर्ति (1)	5





	ग्राम पंचायत में सामान्य संग्रह केन्द्र (2) पानी टंकी (3) महिलाओं/बच्चों द्वारा दूर से लाया गया (4) हैण्डपम्प (5) ऊँचा सतही जलाशय (6) कूआ (7) अन्य (8), उल्लेखित करें। अगर 4 है, तो कितनी दूर से लाया जा रहा है?	
d	कितने घरों में जलापूर्ति पाइप से है?	-
e	क्या पानी का बहाव/प्रवाह दर कम, अधिक या संतोषजनक है?	-
f	पाइप जलापूर्ति की नियमितता 24×7 घण्टे(1) काफी नियमित (2) अनियमित (3)	-
g	ग्राम पंचायत में कृषि सिंचाई हेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत क्या है? नहर (1) वर्षा जल (2) भूमिगत जल – (नलकूप (3A), कूआ (3B)) तालाब/झील (4) पानी टैंक (5) नदी (6) अन्य (7)	1 2 3 4 6
h	क्या उपरोक्त जल आपूर्ति स्रोत मौसमी या बारहमासी है?	वर्षा जल मौसमी एवं अन्य जल बारहमासी है
i	क्या जलापूर्ति का बहाव/प्रवाह दर कम/अधिक या संतोषजनक है?	बहाव व प्रवाह कम होता है
j	अतिरिक्त जानकारी (उदाहरण : क्या घरेलू कृषि व संबंधित गतिविधियों, उद्योगों आदि के लिए जल आपूर्ति पर्याप्त है)क्या विगत वर्षों में भूजल, नदी या नहर से जल की उपलब्धता बढ़ी/घटी या सूख गया? क्या सूखे या गर्मी के मौसम में पानी की टंकियों का उपयोग बढ़ जाता है?	जल आपूर्ति प्रयाप्त नहीं है। नहर की सफाई नहीं होने के कारण पानी की उपलब्धता संतोषजनक नहीं है पिछले 5 सालों में जल स्रोतों में जल की उपलब्धता कम हुयी है। पानी जल्दी सूख जाता है। जिससे गर्मी के मौसम व सामान्य दिनों में भी भूमिगत जल स्रोतों का उपयोग बढ़ जाता है।



IV. जलवायु की धारणा

तापमान व वर्षा में प्रमुख परिवर्तन/बदलाव				
26				
a	गर्मी के माह में देखा गया			
b	गर्मी के तापमान में देखे गए बदलाव (पिछले पांच वर्षों में)	गर्म दिनों में वृद्धि	गर्म दिनों में कमी	गर्म दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या	15 से 20 दिन		
d	अन्य सूचनाएं (गर्मी माह में कोई परिवर्तन)	जल संसाधन व स्रोत सूख जाते हैं और सूखे की समस्या उत्पन्न हो जाती है।		
27				
a	सर्दी के माह में महसूस किया गया			
b	सर्दियों के तापमान में कोई परिवर्तन पाया गया (विगत पांच वर्षों में)	ठण्ड दिनों में वृद्धि	ठण्ड दिनों में कमी	ठण्ड दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या	-	10 से 20 दिन	-
d	अन्य सूचनाएं (सर्दी माह में कोई परिवर्तन)	-		
28				
a	मानसून माह में महसूस किया गया			
b	मानसून ऋतु की वर्षा में कोई परिवर्तन देखा गया (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या	-	20 से 30 दिन	-
d	अन्य सूचनाएं (मानसून माह में कोई परिवर्तन)	अनियमित वर्षा		
29				
a	क्या गैर मानसून ऋतु की वर्षा में परिवर्तन हुआ है? (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	ग्रीष्म ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा दिनों में वृद्धि	वर्षा दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या	-	-	-
d	शरद ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e	दिनों की संख्या	05 से 07 दिन	-	-
f	अन्य सूचनाएं/जानकारी	-		





चरम मौसम की घटनाएं

30 सूखा						
a	सूखे की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b	किस माह में सूखा देखा गया	अगस्त	-	अगस्त	-	अगस्त व सितम्बर
c	सूखे का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता, कुएं खोदा आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन - खाने हेतु अनाज का भण्डारण करके।			कृषि स्तर पर प्रबन्धन - भूमिगत जल स्रोतों का उपयोग करके।	
d	सूखे की आवृत्ति : सूखे की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2	लू और बीमारी से लोग पीड़ित हुए	-	-	-	-
31 बाढ़						
	बाढ़ की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में बाढ़ देखा गया	सितम्बर	सितम्बर	सितम्बर	-	-
c	बाढ़ का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन. बाढ़ पूर्व तैयारी अपने स्तर पर अपने संसाधन के अनुरूप किया गया।			कृषि स्तर पर प्रबन्धन-कोई खास प्रबन्धन नहीं हो पाता है।	
d	बाढ़ की आवृत्ति : बाढ़ की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2	बीमारी बढ़ी	-	-	-	-
32 भूस्खलन						
a	भूस्खलन की घटना	प्रथम वर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थ वर्ष (2019)	पंचम वर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किस माह में भूस्खलन देखी गई	-	-	-	-	-
c	भूस्खलन का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन			कृषि स्तर पर प्रबन्धन	
d	भूस्खलन की आवृत्ति : भूस्खलन की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोई परिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		





e	अतिरिक्त सूचना कोई पुरानी प्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2	-	-	-	-	-
33 ओलावृष्टि						
a	ओलावृष्टि की घटना	प्रथम वर्ष (2022) ✓ <input type="checkbox"/>	द्वितीय वर्ष (2021) <input type="checkbox"/>	तृतीय वर्ष (2020) <input type="checkbox"/>	चतुर्थ वर्ष (2019) ✓ <input type="checkbox"/>	पंचम वर्ष (2018) ✓ <input type="checkbox"/>
b	किस माह में ओलावृष्टि हुई	अप्रैल	-	-	अप्रैल	अप्रैल
c	ओलावृष्टि का प्रबन्धन कैसे किया गया (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	घरेलू स्तर पर प्रबन्धन- कोई नहीं			कृषि स्तर पर प्रबन्धन- कोई नहीं	
d	ओलावृष्टि की आवृत्ति : ओलावृष्टि की घटना (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि ✓ <input type="checkbox"/>	कमी <input type="checkbox"/>	कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>		
34 फसलों के कीट/बीमारी						
a	कीट/बीमारी की घटनाक्रम	प्रथम वर्ष (2022) ✓ <input type="checkbox"/>	द्वितीय वर्ष (2021) ✓ <input type="checkbox"/>	तृतीय वर्ष (2020) ✓ <input type="checkbox"/>	चतुर्थ वर्ष (2019) ✓ <input type="checkbox"/>	पंचम वर्ष (2018) ✓ <input type="checkbox"/>
b	किस माह में कीट/बीमारी को देखा गया?	सितम्बर, अक्टूबर व दिसम्बर	सितम्बर, अक्टूबर व दिसम्बर	सितम्बर, अक्टूबर व दिसम्बर	सितम्बर, अक्टूबर व दिसम्बर	सितम्बर, अक्टूबर व दिसम्बर
c	किस प्रकार का कीट/बीमारी को देखा गया?	माहो, गंधीकीट, गेरुई, झुलसा, हर्दिया रोग।	माहो, गंधीकीट, गेरुई, झुलसा, हर्दिया रोग।	माहो, गंधीकीट, गेरुई, झुलसा, हर्दिया रोग।	माहो, गंधीकीट, गेरुई, झुलसा, हर्दिया रोग।	माहो, गंधीकीट, गेरुई, झुलसा, हर्दिया रोग।
d	कीट/बीमारी का प्रबन्धन कैसे किया गया? (सरकारी सहायता, निजी सहायता आदि)	बाजार से कीटनाशक व बीमारी का दवा का छिड़काव करके।				
e	कीट/बीमारी की आवृत्ति : कीट बीमारी का घटनाक्रम (पिछले पांच वर्षों में)	वृद्धि ✓ <input type="checkbox"/>	कमी <input type="checkbox"/>	कोई परिवर्तन नहीं <input type="checkbox"/>		
	अतिरिक्त जानकारी/सूचनाएं	-	-	-	-	-

35	ग्राम पंचायत में आपदा की तैयारी				
		ग्राम पंचायत स्तर पर क्या आपदा प्रबन्धन/तैयारी के उपाय उपलब्ध है?		क्या ग्रामीणों तक इसकी पहुँच/उपलब्धता है?	
	आपदा तैयारी के उपाय	हां	नहीं	हां	नहीं
	ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना	<input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ग्राम आपदा प्रबन्धन समिति	<input type="checkbox"/>	✓ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





पूर्व चेतावनी प्रणाली / मौसमी चेतावनी प्रणाली / कृषि चेतावनी प्रणाली	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
आपातकाल अनाज बैंक	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
अन्य	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

36	अनाज भण्डारण			
a	ग्राम पंचायत के आपातकालिन खाद्य/अनाज बैंक में किस प्रकार का भोजन भण्डारित किया जाता है?			
	अनाज (विवरण दें)			-
	तेल			-
	चीनी			-
	अन्य खाद्य पदार्थ – उल्लेख करें			-
b	क्या ग्राम पंचायत में शीतगृह है, अगर है तो उसकी क्षमता क्या है?			
				-

37	ग्राम पंचायत में मौसम की चेतावनी, पूर्व चेतावनी प्रणाली, कृषि आधारित चेतावनी के लिए उपलब्ध जानकारी के स्रोत			
	स्थानीय कृषि अधिकारी			-
	समाचार पत्र/समाचार/रेडियो			✓
	मोबाईल फोन/एप			✓
	मौखिक			✓
	कृषि विज्ञान केन्द्र/कृषि ज्ञान केन्द्र			-
	पशुपालन विभाग			-
	उद्यान विभाग			-
	अन्य			-

कृषि एवं संबंधित गतिविधियों पर प्रभाव (विगत पांच वर्षों में)						
38	फसल हानि					
a	घटना का वर्ष	हानि की ऋतु/मौसम खरीफ (1) रबी(2) जायद/अन्य ऋतु (3)	फसल का नाम	हानि के कारण रोग, चरम, घटनाक्रम— गर्मी, ठण्ड, वर्षा, ओलावृष्टि,	अनुमानित हानि की मात्रा (कुन्तल)	परिणाम स्वरूप आय में हानि (औसत रु0)





				मिट्टी आदि		
	प्रथम वर्ष (2022)	1	धान	बाढ़ , सूखा	37500	28225000
	द्वितीय वर्ष (2021)	1	धान	बाढ़	15500	11625000
	तृतीय वर्ष (2020)	1	धान	सूखा	12000	9000000
	चतुर्थ वर्ष (2019)	2	गेहूँ	ओलावृष्टि	7000	10500000
	पंचवां वर्ष (2018)	1 2	धान गेहूँ	बाढ़ ओलावृष्टि	13500 3500	10125000 5250000
b	क्या आप फसल बीमा के बारे में जानते हैं?	हां	नहीं			
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
	अतिरिक्त जानकारी (फसल बीमा के लाभार्थी— बड़े किसान, लघु एवं सीमान्त किसान आदि) फसल बीमा लाभार्थी का संतुष्टि स्तर क्या है?	-	-	-	-	-





39 फसल पद्धति में बदलाव					
a	सामान्य फसल	खरीफ	रबी	जायद/अन्य ऋतु	
b	फसल का नाम	पारम्परिक बोआई का समय	विगत 5 वर्षों में बोआई के समय में परिवर्तन हुआ है/देखा है	अभी बोआई का समय	परिवर्तन के कारण
	धान	जून	नहीं	जून	-
	गेहूँ	नवम्बर	नहीं	नवम्बर	-
	सरसो	अक्टूबर व नवम्बर	नहीं	अक्टूबर व नवम्बर	-
	मटर	अक्टूबर	नहीं	अक्टूबर	-
c	अन्य सूचना/जानकारी (विलुप्त फसल/प्रजाति आदि उल्लेख करें)	मोटा अनाज जैसे सरसो, कोदो, टागुन और देशी प्रजाति इसके अलावा चना, गन्ना, अरहर			

40 सिंचाई प्रणाली/पद्धति में परिवर्तन						
a	फसल का नाम	वर्तमान में सिंचाई पद्धति का उपयोग द्वारा सिंचाई (1), टपक विधि (2), नहर (3), वर्षा आधारित (4), पारम्परिक (5), अन्य (6) (उल्लेखित करें)	वर्तमान में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रुपया/एकड़)	पूर्व में सिंचाई पद्धति का उपयोग द्वारा सिंचाई (1), टपक विधि (2), नहर (3), वर्षा आधारित (4), पारम्परिक (5), अन्य (6) (उल्लेखित करें)	पूर्व में उपयोग किए गए पानी की मात्रा (रुपया/एकड़)	
	खरीफ	3, 4	1450	3, 4	725	
	रबी	3	2500	3	1250	
	जायद	3	1550	3	800	
b	ग्राम पंचायत में सिंचाई हेतु पम्पों की संख्या	डीजल आधारित	विद्युत आधारित	सौर पम्प	पारम्परिक सिंचाई विधियां	
		1500	02	0	0	0
c	अन्य सूचनाएं/जानकारी अगर कोई है	एक ट्यूबल है जिससे सिंचाई का कार्य दो से तीन टोलों में किया जाता है।				





41 पशु पालन/पशुधन						
a	ग्राम पंचायत में प्रचलित पशुधन और पशुपालन सम्बन्धित गतिविधियां श्रेणी : डेयरी (1) मुर्गी पालन (2) मत्स्य पालन (3) सूअर पालन (4) मधुमक्खी पालन (5) अन्य- स्पष्ट करें (6)		1 3	-	-	-
b	डेयरी पर प्रभाव	पशु हानि गाय (1) भैंस (2) अन्य (3)	पशु हानि की संख्या (प्रत्येक पशु को उल्लेख करें)	हानि के कारण (रोग, आयु, दुर्घटना आदि)	हानि का मौसम	उत्पादकता में कोई परिवर्तन देखा गया? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	2	1	रोग	वर्षा	2
	द्वितीय वर्ष(2021)	2	3	रोग	वर्षा	2
	तृतीय वर्ष (2020)	2	2	रोग	वर्षा	2
	चतुर्थ वर्ष(2019)	2	3	रोग	वर्षा	2
	पंचम वर्ष(2018))	2	1	रोग	वर्षा	2
	अन्य जानकारी/सूचनाएं	-	-	-	-	-
c	मुर्गी पालन पर प्रभाव	पक्षी हानि मुर्गी (1) बत्तख (2) अन्य (3)	पक्षी हानि की संख्या (प्रत्येक पक्षी का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि के मौसम/ ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	-	-	-	-	-
	द्वितीय वर्ष(2021)	-	-	-	-	-
	तृतीय वर्ष (2020)	-	-	-	-	-





	चतुर्थ वर्ष(2019)	-	-	-	-	-
	पंचम वर्ष(2018))	-	-	-	-	-
	अन्य जानकारी / सूचनाएं	-	-	-	-	-
d	अन्य पशुओं पर प्रभाव	पशु हानि (कृपया निर्दिष्ट करें कि कौन से हैं)	पशु हानि की संख्या (प्रत्येक पशु का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि की ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथम वर्ष (2022)	बकरी	50	बीमारी	वर्षा	2
	द्वितीय वर्ष(2021)	बकरी	25	बीमारी	वर्षा	2
	तृतीय वर्ष (2020)	बकरी	75	बीमारी	वर्षा	2
	चतुर्थ वर्ष(2019)	-	-	-	-	-
	पंचम वर्ष(2018)	बकरी	150	बीमारी	वर्षा	2
	अन्य जानकारी / सूचनाएं	-	-	-	-	-





V. कृषि व पशुपालन

42	a	प्रमुख उगाई जाने वाले फसलें व सम्बन्धित सूचनाएं/जानकारी								खरपतवारनाशी			
		फसल (अनाज, तिलहन, दलहन, उद्यान एवं फूल आदि)	ऋतु/मौसम	उपज (कु0)	उर्वरक के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये उर्वरकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	कीटनाशकों के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये कीटनाशकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	खरपतवार नाशी के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (ली./एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उपयोग किये गये खरपतवार की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)
		धान	खरीफ	5	डी ए पी व यूरिया	50 किलो डीएपी 150 किलो यूरिया	1	काबेन्हाजिम	0.250	1	ब्यूटाक्लोर	1.25	1
		गेहूँ	रबी	9	डी ए पी व यूरिया	50 किलो डीएपी 100 किलो यूरिया	1	मैकोजेब	0.400	1	सैल्फोसल्फयूरान	0.025	1
	b	क्या ग्राम पंचायत में फसल अवशेष जलाये जाते हैं	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>	जलाये गये खेतों का कुल क्षेत्रफल (एकड़)	क्या यह फसल अवशेष पूर्व में जलाये जाते थे	अगर नहीं तो, कब से जलाना आरम्भ किया	क्या फसल अवशेष प्रबन्धन की योजनाओं को जानते/जागरूक हैं?					
		खरीफ व रबी	-	√	-	हैं (दो साल से नहीं जलाये जाते हैं)	- 10 साल पहले जब पारम्परिक तरीके से फसल की मड़ाई होती थी तब फसल अवशेष नहीं जलाये जाते थे।	कुछ हद तक जानते हैं पर उसका प्रबन्धन नहीं करते हैं					



43 जैविक खेती सम्बन्धित गतिविधियां

फसल	क्षेत्रफल	प्रति फसल आय (₹0/कुन्तल)	बिक्री हेतु बाजार	तृतीय पक्ष द्वारा प्रमाणित / सत्यापित
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

44 अन्य स्थाई खेती सम्बन्धी गतिविधियां (जैसे शून्य/जीरो बजट प्राकृतिक खेती)

फसल	स्थायी गतिविधियां (शून्य जुताई, मल्लिंग, फसल चक्र, अर्न्तःफसलें, वर्मी कम्पोस्ट, कम्पोस्ट, मिश्रित फसले, प्राकृतिक कीट प्रबन्धन, जैव पदार्थ में वृद्धि आदि)	क्षेत्रफल (एकड़)	प्रति फसल प्राप्त आय (रूपया)
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-



45 कृषि वानिकी, सामाजिक वानिकी, परती भूमि विकास और अन्य वृक्षारोपण गतिविधियां										
पौध रोपण गतिविधियों के प्रकार	आच्छादित क्षेत्रफल	स्थान	योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि वानिकी मिशन (1), समन्वित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (2), वर्षा आधारित क्षेत्र कार्यक्रम (3), मनरेगा (4), वृक्षारोपण जन आन्दोलन (5), अन्य (6) - उल्लेख करें	मोनोकल्चर (1), मिश्रित प्रजाति (2)	रोपित प्रजाति या	आरम्भ दिनांक	सफलता (प्रतिशत)	कृषि वानिकी गतिविधियों के लाभ तक लोगों की पहुंच/अवसर	पिछले 10 वर्षों में पहुंच/अवसर में परिवर्तन, वृद्धि (1), कमी (2), कोई परिवर्तन नहीं (3)	परिवर्तन के कारण- लाभ में वृद्धि (1), लाभ में कमी (2), प्रजाति सम्बन्धित (3), वन उन्मूलन (4) अन्य (5) - उल्लेख करें
सामाजिक वानिकी	66 एकड़	नदी के पास का क्षेत्र	1 3	2	जामुन व अर्जुन	1998	10	नहीं	2	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



46 अपनाये गये स्थायी पशुधन प्रबन्धन तकनीक				
पशुधन के प्रकार	ग्राम पंचायत में कुल संख्या (लगभग)	अपनाई गई गतिविधियां (चारा में परिवर्तन, पोषण पूरक अर्थात् पशुआहार, खुले में चराई आदि)	प्राप्त/उत्पादित आय प्रति पशुधन (वार्षिक) (₹0)	
गाय (देशी नस्ल)	15	खुले में चराई	6000	
गाय (संकर नस्ल)	0	—	—	
भैंस (देशी नस्ल)	500	खुले में चराई व पशुआहार	48000	
भैंस (संकर नस्ल)	0	—	—	
बकरी	2000	खुले में चराई	8000	
सुअर	—	—	—	
मुर्गी	4500	खुले में चराई	500	
मत्स्य	04 तालाब	आहार	45000	
अन्य	—	—	—	

VI. स्वच्छता एवं स्वास्थ्य

47 जल की गुणवत्ता (पेयजल या नल जल से आपूर्ति परिवार)							
a	आपूर्ति किये जाने वाले पानी की गुणवत्ता कैसी है?	उपयुक्त	अनुपयुक्त				
	हैण्डपम्प	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
b	जल का स्वाद कैसा लगता है?	तीक्ष्ण	नमकीन	सामान्य			
	हैण्डपम्प	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
c	आपूर्ति होने वाले जल में सामान्यतः दूषित पदार्थ क्या हैं?	नमकीन	गन्दा	मटमैला	बालू/कीचड़	गन्ध	
	हैण्डपम्प	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d	जल को शुद्ध करने के लिए आप किस विधि का प्रयोग करते हैं?	उबालकर	जल शोधक	आयोडीन/फिटकरी मिलाकर	सौर शुद्धीकरण	क्ले वेसल फिल्ट्रेशन	अन्य, (कृपया उल्लेख करें)
	हैण्डपम्प	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





48 टोस अपशिष्ट उत्पादन/अपशिष्ट प्रबन्धन							
a	अपने घर में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाला अपशिष्ट पदार्थ/कचरा	5 किलो सूखा व गीला कचरा					
b	आपके ग्राम पंचायत में अपशिष्ट पदार्थ/कचरा कैसे इकट्ठा किया जाता है?	कोई व्यवस्था नहीं है, अगल बगल के गड्ढों में डाला जाता है।					
c	कचरा संग्रह कितनी बार होता है?	<input type="checkbox"/> प्रतिदिन	<input type="checkbox"/> साप्ताहिक	<input type="checkbox"/> वैकल्पिक दिन			
		हां	नहीं				
d	क्या आपके क्षेत्र में कोई स्थान है, जहां कचरा इकट्ठा डाला जा सकता है? यदि हां तो कृपया आपकी ग्राम पंचायत से कितनी दूरी पर है या किस स्थान पर है?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ग्राम पंचायत से दूरी/ग्राम पंचायत में अवस्थिति		1 किमी	
e	क्या आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में सामान्य कूड़ेदान रखे गये हैं?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
f	क्या आप कचरे को सूखे और गीले कचरे की श्रेणी में बांटते हैं?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
g	आप गृह स्तर पर कचरे का उपचार कैसे करते हैं?	पुनःचक्रमण	कम्पोटिंग	वर्मी कम्पोस्ट	अपशिष्ट	जलाना	अन्य (उल्लेखित करें)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	कुछ नहीं

49 खुले में शौच मुक्त स्थिति			
a	क्या आपका गांव खुले में शौच मुक्त घोषित है?	<input checked="" type="checkbox"/> हां	<input type="checkbox"/> नहीं
b	स्वयं के शौचालय वाले परिवारों की संख्या	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 750
c	सामुदायिक शौचालय/इज्जत घर की संख्या	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> प्रमुख स्थान-गांव के चौराहे पर
d	क्या शौचालय का उपयोग किया जा रहा है?	शौचालय का उपयोग नियमित रूप से नहीं हो रहा है।	
e	अगर शौचालय का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो क्यों? (साफ-सफाई का अभाव, रख-रखाव का अभाव, बहुत दूर आदि)	साफ-सफाई का अभाव, रख-रखाव का अभाव है। साथ ही साथ लोग संवेदित नहीं हैं	





50	अपशिष्ट जल	घरेलू	व्यवसायिक	औद्योगिक	कृषि गतिविधियां	गंदा नाला
a	अपशिष्ट जल का क्या स्रोत है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	उत्पन्न अपशिष्ट जल की मात्रा (अनुमानित लीटर प्रतिदिन)	250 लीटर प्रति परिवार	-	-	-	-
c	गांव में किया गया अपशिष्ट जल उपचार, यदि कोई है तो-	-	-	-	-	-
d	अपशिष्ट जल पुनःचक्रण या पुनः उपयोग की गतिविधि, यदि कोई है तो-	-	-	-	-	-

51	स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा			
	स्वास्थ्य केन्द्र की उपलब्धता	हां	नहीं	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
a	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
b	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
c	उपस्वास्थ्य केन्द्र	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60
d	आंगनवाड़ी	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20
e	आशा	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
f	स्वास्थ्य कैम्प/ मेला	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
g	डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-

52	रोग/बीमारी								
	विगत वर्ष निम्नवत् बीमारी/रोग से कितने लोग प्रभावित हुए हैं?	प्रभावित कुल व्यक्तियों की संख्या	प्रभावित आयु समूह			सामान्य उपचार का विकल्प			
			प्रभावित बच्चों की संख्या	प्रभावित व्यवस्कों की संख्या	प्रभावित वरिष्ठ नागरिकों की संख्या	स्थानीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं (उल्लेख करें)	घरेलू देखभाल	घर-घर जाने वाला	अन्य (उल्लेख करें)
a	वेक्टर-जनित रोग (मलेरिया, डेंगू, चिकेनगुनिया आदि)	0	0	0	0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
b	जल-जनित रोग (हैजा/डायरिया/टाईफाइड/हैपेटाइटिस आदि)	200	100	80	20	जॉच व इलाज	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
c	श्वस सम्बन्धी रोग जो वायु प्रदूषण से होते हैं (इनडोर एण्ड आउटडोर)	0	0	0	0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
d	कुपोषण	10	6	4	0	पोषण व इलाज	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-





VII. उर्जा

53		
a	आपके ग्राम पंचायत में कुल कितने घर विद्युतकृत हैं	1150
b	ग्राम पंचायत में निम्नलिखित अनुमानित विद्युत उपकरणों की संख्या	-
	ए0सी0	40
	एयर कुलर	200
	रेफ्रिजरेटर/फ्रीज	400

54 विद्युत कटौती की आवृत्ति		
a	दिन में कुछ बार	<input checked="" type="checkbox"/>
	दिन में एक बार	<input type="checkbox"/>
	विद्युत कटौती नहीं	<input type="checkbox"/>
b	प्रतिदिन कितने घण्टे गुल रहती है?	6 से 8 घण्टे
	यदि प्रतिदिन नहीं तो सप्ताह में कितने घण्टे बिजली गुल होती है?	-

55 वोल्टेज अस्थिरता/ उतार-चढ़ाव की आवृत्ति क्या है?		
	दिन में कुछ बार	<input checked="" type="checkbox"/>
	दिन में एक बार	<input type="checkbox"/>
	अस्थिरता/उतार-चढ़ाव नहीं	<input type="checkbox"/>

56	पावर बैकअप का मतलब विद्युत कटौती के दौरान उपयोग	संख्या
	डीजल चलित जेनरेटर	20
	सौर उर्जा	5
	इमरजेंसी लाईट	1420 परिवार
	इन्टवर्टर्स	400
	अन्य साधन (उल्लेख करें)	-





50	अपशिष्ट जल	घरेलू	व्यवसायिक	औद्योगिक	कृषि गतिविधियां	गंदा नाला
a	अपशिष्ट जल का क्या स्रोत है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	उत्पन्न अपशिष्ट जल की मात्रा (अनुमानित लीटर प्रतिदिन)	250 लीटर प्रति परिवार	-	-	-	-
c	गांव में किया गया अपशिष्ट जल उपचार, यदि कोई है तो-	-	-	-	-	-
d	अपशिष्ट जल पुनःचक्रण या पुनः उपयोग की गतिविधि, यदि कोई है तो-	-	-	-	-	-

51	स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा			
	स्वास्थ्य केन्द्र की उपलब्धता	हां	नहीं	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
a	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
b	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-
c	उपस्वास्थ्य केन्द्र	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60
d	आंगनवाड़ी	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20
e	आशा	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
f	स्वास्थ्य कैम्प/मेला	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
g	डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-

52	रोग/बीमारी								
	विगत वर्ष निम्नवत् बीमारी/रोग से कितने लोग प्रभावित हुए हैं?	प्रभावित कुल व्यक्तियों की संख्या	प्रभावित आयु समूह			सामान्य उपचार का विकल्प			
			प्रभावित बच्चों की संख्या	प्रभावित व्यवस्कों की संख्या	प्रभावित वरिष्ठ नागरिकों की संख्या	स्थानीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं (उल्लेख करें)	घरेलू देखभाल	घर-घर जाने वाला	अन्य (उल्लेख करें)
a	वेक्टर-जनित रोग (मलेरिया, डेंगू, चिकेनगुनिया आदि)	0	0	0	0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
b	जल-जनित रोग (हैजा/डायरिया/टाईफाइड/हैपेटाइटिस आदि)	200	100	80	20	जॉच व इलाज	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
c	श्वस सम्बन्धी रोग जो वायु प्रदूषण से होते हैं (इनडोर एण्ड आउटडोर)	0	0	0	0	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
d	कुपोषण	10	6	4	0	पोषण व इलाज	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-





VII. उर्जा

53		
a	आपके ग्राम पंचायत में कुल कितने घर विद्युतकृत हैं	1150
b	ग्राम पंचायत में निम्नलिखित अनुमानित विद्युत उपकरणों की संख्या	-
	ए0सी0	40
	एयर कुलर	200
	रेफ्रिजरेटर/फ्रीज	400

54 विद्युत कटौती की आवृत्ति		
a	दिन में कुछ बार	<input checked="" type="checkbox"/>
	दिन में एक बार	<input type="checkbox"/>
	विद्युत कटौती नहीं	<input type="checkbox"/>
b	प्रतिदिन कितने घण्टे गुल रहती है?	6 से 8 घण्टे
	यदि प्रतिदिन नहीं तो सप्ताह में कितने घण्टे बिजली गुल होती है?	-

55 वोल्टेज अस्थिरता/ उतार-चढ़ाव की आवृत्ति क्या है?		
	दिन में कुछ बार	<input checked="" type="checkbox"/>
	दिन में एक बार	<input type="checkbox"/>
	अस्थिरता/उतार-चढ़ाव नहीं	<input type="checkbox"/>

56	पावर बैकअप का मतलब विद्युत कटौती के दौरान उपयोग	संख्या
	डीजल चलित जेनरेटर	20
	सौर उर्जा	5
	इमरजेंसी लाईट	1420 परिवार
	इन्टवर्टर्स	400
	अन्य साधन (उल्लेख करें)	-





57 नवीकरणीय/अक्षयऊर्जा के स्रोत			
a	क्या गांव में निम्नलिखित में से कोई स्थापना है?	इंस्टालेशन (स्थापना) की संख्या	कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट)
	घर की छतों पर सौर उर्जा स्थापना	5	एक किलोवाट
	विद्यालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	6	एक किलोवाट
	चिकित्सालय की छत पर सौर उर्जा स्थापना	—	—
	ग्राम पंचायत भवन पर सौर उर्जा स्थापना	1	मिनी प्लेट (जानकारी नहीं)
	अन्य सौर उर्जा स्थापना	—	—
	सौर स्ट्रीट लाईट	15	मिनी प्लेट (जानकारी नहीं)
	बायोगैस	—	—
	विकेन्द्रित नवीनीकरण उर्जा/मिनी ग्रीड	—	—
b	क्या आप सौर उर्जा स्थापना के लिए उपलब्ध अनुदान के बारे में जानते हैं (कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों का उल्लेख करें)	—	—

58	भोजन बनाने हेतु प्रयुक्त ईंधन	परिवारों की संख्या	प्रति परिवार प्रयुक्त औसत मात्रा (किग्रा/महीना)	
	पारम्परिक जलौनी (उपले/जलौनी लकड़ी)	75	150	
	बायोगैस	—	—	
	एलपीजी गैस	1280	14	
	विद्युत	80	—	
	सौर उर्जा	—	—	
	अन्य (कोयला, मिट्टी का तेल, चारकोल आदि)	—	—	
59	वाहन की संख्या			
	वाहन के प्रकार	ग्राम पंचायत में वाहन संख्या (अनुमानित)	प्रयुक्त ईंधन के प्रकार	तय की गई औसत दूरी (किमी प्रतिदिन)
a	जीप	40	डीजल	40





b	कार	20	पेट्रोल / डीजल	25
c	दो पहिया वाहन	1000	पेट्रोल	15
d	विद्युत चालित वाहन	0	—	—
e	आटो	15	डीजल	150
f	ई-रिक्शा	03	बैटरी	80
g	अन्य- डी सी एम	02	डीजल	200

60	कृषि यंत्र	ग्राम पंचायत में कृषि यंत्रों/मशीनों की संख्या	प्रयुक्त ईंधन के प्रकार	तय की गई औसत दूरी (किमी प्रतिदिन)
a	टैक्टर	25	डीजल	60
b	कम्बाईन हारवेस्टर	07	डीजल	75
c	अन्य (जे सी बी)	03	डीजल	20

61 ग्राम पंचायत में अवस्थित पेट्रोल पम्प (अगर कोई है)											
	ईंधन के प्रकार	प्रतिदिन की बिक्री	पम्प से आपूर्ति वाले गांव की संख्या	कितने प्रकार के वाहन एक दिन/महीना में पेट्रोल पम्प से ईंधन लेते हैं? (समय/ अवधि का उल्लेख करें)							
				टैक्टर	कृषि यंत्र	जीप	कार	दो पहिया वाहन	आटो	ई-रिक्शा	अन्य
a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

62 औद्योगिक इकाई				
	उद्योग के प्रकार	संख्या	उर्जा के स्रोत: ग्रिड विद्युत (1), डीजल जेनरेटर (2), नवीनीकरण/अक्षय उर्जा (3)	उर्जा की खपत प्रति माह विद्युत का उपयोग (किलोवाट) ईंधन उपयोग (लीटर प्रतिदिन)
	—	—	—	—




अनुलग्नक III: एचआरवीसीए रिपोर्ट



क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना

वर्ष 2023-24



ग्राम पंचायत का नाम	कोइराग्रांट
क्षेत्र पंचायत का नाम	नौगढ़
जनपद का नाम	सिद्धार्थनगर
प्रदेश का नाम	उत्तर प्रदेश

विषय सूची


विषय	पेज संख्या
• कवर पेज	01
• विषय सूची	02
• ग्राम पंचायत की रूपरेखा / प्रोफाइल	03
• क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निरूपण की सहभागी प्रक्रिया <ul style="list-style-type: none"> ✓ वातावरण निर्माण / खुली बैठक ✓ टांजेक्ट वॉक / गांव का भ्रमण ✓ सामाजिक मानचित्रण 	04-09
• खतरा, जोखिम , नाजुकता एवं क्षमता आकलन <ul style="list-style-type: none"> ✓ जलवायु परिवर्तनीशीलता: प्रकृति / परिवर्तन, मुख्य चुनौतियाँ व झटके अथवा तनाव ✓ ऐतिहासिक समय रेखा ✓ मौसमी कलेण्डर जैसे आपदा, मौसम विश्लेषण, बीमारी व स्वास्थ्य, और फसल व रोग ✓ आपदाओं का प्राथमिकीकरण ✓ नाजुकता विश्लेषण ✓ क्षमता आकलन / वित्तीय संसाधन ✓ संसाधन मैट्रिक्स / सेवा-सुविधा चित्रण 	09-17
• क्लाइमेट स्मार्ट ग्रामपंचायत की कार्य योजना का निर्माण	18-19
• क्लाइमेट स्मार्ट माडल	20-21

ग्राम पंचायत की रूपरेखा (प्रोफाइल)

जनगणना 2011 की जानकारी के अनुसार कोड़राग्राम गाँव का स्थान कोड या गाँव का कोड 176516 है। कोड़राग्राम गाँव भारत के उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर जिले की नौगढ़ तहसील में स्थित है। यह उप जिला मुख्यालय नौगढ़ (तहसीलदार कार्यालय) से लगभग 8 किलोमीटर दूर और जिला मुख्यालय सिद्धार्थनगर से 8 किलोमीटर दूर स्थित है। 2009 के आकड़ों के अनुसार कोड़राग्राम गाँव एक ग्राम पंचायत भी है।

गाँव का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 708.93 हेक्टेयर है। कोड़रा ग्राम की कुल जनसंख्या 7387 है , जिसमें से पुरुष की जनसंख्या 3539 है जबकि महिला जनसंख्या 3848 है। कोड़राग्राम गाँव की साक्षरता दर 50.86 प्रतिशत है, जिसमें से 57.47 प्रतिशत पुरुष और 44.78 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं। कोड़राग्राम गाँव में करीब 1093 घर हैं।

सिद्धार्थनगर सभी प्रमुख आर्थिक गतिविधियों के लिए कोड़राग्राम का निकटतम शहर है , जो लगभग 8 किलोमीटर दूर है।



ग्राम पंचायत की प्रोफाइल का विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक संख्या -01 देखें।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निरूपण की सहभागी प्रक्रिया

वातावरण निर्माण

आमामी वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु ग्राम पंचायत कोड़राग्रंट की क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने में समग्र ग्राम पंचायत के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने की उद्देश्य से ग्राम प्रधान श्री अरशद जमाल द्वारा दिनांक 07 फरवरी 2023 को पूरे ग्राम सभा में दुग्गी पिटवाकर मुनादी कराई गई कि अगले दिन दिनांक 08 फरवरी 2023 को पंचायत भवन, कोड़राग्रंट पर दिन में लगभग 11 बजे से खुली बैठक की गई है जिसमें सभी जनों की उपस्थिति आपेक्षित है।

खुली बैठक

ग्राम सभा की खुली बैठक पूर्व निर्धारित सूचना के अनुसार दिनांक 08 फरवरी 2023 को पंचायत भवन, कोड़राग्रंट में ग्राम पंचायत कोड़राग्रंट के क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना निरूपण हेतु गांव के सम्बन्धित हितभागियों और जन समुदाय के साथ खुली बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें ग्राम पंचायत के सभी टोले से कुल 76 लोगों जिसमें 52 पुरुष और 24 महिलाओं ने प्रतिभाग किया। इस खुली बैठक में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी, पंचायत सदस्य, समूह की महिलाएं, आशा, आगनबाड़ी कार्यकर्त्री, सफाई कर्मी, कोटेदार व ग्रामीण किसान की उपस्थिति रही।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निरूपण के लिये वातावरण निर्माण की दृष्टि से दिनांक 8 फरवरी 2023 को पंचायत भवन में आयोजित इस खुली बैठक का प्रारम्भ करते हुये ग्राम प्रधान श्री अरशद जमाल ने सर्वप्रथम उपस्थिति समुदाय व हितभागियों का स्वागत किया। तत्पश्चात उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत विकास योजना हम हर वित्तीय वर्ष में तैयार करते हैं परन्तु इस बार हम क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने की बात कर रहे हैं। जो कि हमारे ग्राम पंचायत के लिये महत्वपूर्ण अवसर है। उसी संदर्भ में हम सभी आगामी 3 से 4 दिनों तक मिलकर इस पर कार्य करेंगे। ग्राम पंचायत कोड़राग्रंट को आपदाओं व जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से सुरक्षित बनाने के लिए पंचायत के सभी टोले से सभी जाति व वर्गों के लोगों जिसमें महिलाएं भी है सभी की सहभागिता आवश्यक है ताकि सभी के विचार सामने आ सकें।

पंचायत सचिव श्री मति गायत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का असर पूरा विश्व झेल रहा है और इसका प्रभाव हमारे ग्राम पंचायत एवं ग्रामवासियों के कृषि, आजीविका, स्वास्थ्य, संसाधनों और जन-जीवन पर पड़ रहा है। सरकार इस दिशा में सतत प्रयास कर रही है। यह बैठक इसी उद्देश्य पर कार्य करने हेतु आयोजित की गई है। पूरे प्रदेश में 39 जनपद जो कि जलवायु परिवर्तन के अत्यधिक प्रभाव को झेल रहे हैं। उनमें सिद्धार्थनगर जनपद भी शामिल है। जनपद में विकास खण्ड नौगढ़ का ग्राम पंचायत कोड़राग्रंट को इस कार्य हेतु चयनित किया गया है।

जलवायु परिवर्तन के उपर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हम अपने गांव क्षेत्र में मौसम और जलवायु में होने वाले बदलावों को देख रहे हैं, जिसका प्रभाव हमारे रहन-सहन, एवं आजीविका पर पड़ रहा है। उपस्थित लोगों ने अपने अपने विचार रखें और



बताया कि कुछ वर्षों में अनियमित बारिस होने से कभी बाढ़ तो कभी सूखा का प्रभाव महसूस और अनुभव किया गया जिसका सीधा प्रभाव हमारे खेती और आजीविका पर पड़ता है। इसके अलावा भौतिक संसाधनों जैसे स्वच्छता, पेय जल, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में भी सुधार की आवश्यकता है। ग्राम प्रधान ने बात को आगे बढ़ाते हुये कहा कि आज हम सभी बात के लिए बैठे हैं कि हम जलवायु परिवर्तन के कारण और उसके प्रभाव और उसके समाधान हेतु गतिविधियों के निर्धारण बनने वाली क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना में शामिल किया जाना है जिससे हम सभी मिलकर अपने ग्राम पंचायत को आपदा से सुरक्षित ग्राम पंचायत बना सकें। बैठक में पंचायत सदस्य व प्रधान प्रतिनिधि अबू सूफियान, कोटेदार श्री बालमुकुन्द व जमील अहमद, सफाईकर्मी विनोद, रोजगार सेवक श्री धर्मेन्द्र, आगनबाड़ी कार्यकर्त्री श्रीमती उमा भारती, शारदा, पंचायत सहायक श्री मनोज यादव आदि भी उपस्थित रहे। अन्त में पंचायत सचिव श्रीमती गायत्री ने उपस्थित सभी जनों का धन्यवाद ज्ञापित किया तथा समझी के साथ मिलकर गांव भ्रमण का प्रस्ताव रखा ताकि जलवायु परिवर्तन के कारण और प्रभाव व उसके समाधान को दृष्टिगत करते हुये गांव को समझने का प्रयास किया जा सके। और इसी के साथ बैठक का समापन किया गया।

ग्राम पंचायत समितियों का विवरण

<p>प्रशासनिक समिति अध्यक्ष श्री अरशद जमाल (ग्राम प्रधान) सदस्य श्रीमती सलमा श्री राम किशोर श्री जावेद श्री मुस्ताक अहमद श्री किशनलाल श्रीमती ज्ञानमती</p>	<p>निर्माण कार्य समिति अध्यक्ष श्री जैस राज (सदस्य) सदस्य श्री त्रिभवन श्रीमती किशमाती श्री रामबेलास श्री गोविन्द श्रीमती दुर्गावती श्रीमती ज्ञानमती</p>
<p>स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति अध्यक्ष श्री रामबेलास (सदस्य) सदस्य श्री मंजूर अहमद श्री त्रिभवन श्री राम किशोर श्री किशनलाल श्री गोविन्द श्री जावेद</p>	<p>पेयजल,स्वच्छता एवं जल प्रबन्धन समिति अध्यक्ष श्री जावेद (सदस्य) सदस्य श्री गोविन्द श्रीमती सलमा श्रीमती ज्ञानमती श्रीमती खतीबुननिशा श्री त्रिभवन श्री राम बेलास</p>
<p>नियोजन एवं विकास समिति अध्यक्ष श्री अरशद जमाल (ग्राम प्रधान) सदस्य श्री मती ज्ञानमती श्री मती दुर्गावती श्री गोविन्द श्री किशनलाल श्री जावेद श्री राम किशोर</p>	<p>शिक्षा समिति अध्यक्ष श्री अरशद जमाल (ग्राम प्रधान) सदस्य श्री किशन लाल श्री गोविन्द श्रीमती किसमाती श्रीमती खतीबुननिशा श्री जावेद श्री मुस्ताक अहमद</p>

वार्ड संख्या	ग्राम पंचायत सदस्यों के नाम
01	श्री राम किशोर
02	श्री जावेद
03	श्री मुस्ताक अहमद
04	श्री किशनलाल
05	श्री त्रिमवन
06	श्री राम बेलास
07	श्री गोविन्द
08	श्री मंजूर अहमद
09	श्रीमती सलमा
10	श्रीमती ज्ञानमती
11	श्रीमती किसमाती
12	श्रीमती दुर्गावती
13	श्रीमती खतीबुननिशा

टांजेक्ट वॉक (गांव का भ्रमण)

सभी ग्राम पंचायत के गांव की स्थिति को समझने के लिए खुली बैठक के उपरान्त समुदाय के लोगों के साथ ग्राम पंचायत के मुख्यतः कमश : टोले टिकरिया , कोड़राखास, मधुबेनिया, मिर्जापुर, करीमपुर और पकड़ी का भ्रमण किया जो कि पंचायत भवन से भ्रमण आरम्भ किया गया । ग्राम पंचायत के उक्त टोले व पुरवे एक दूसरे से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भ्रमण के दौरान मुख्य रूप से गांव में उंचा और नीचा क्षेत्र कौन सा है और उस क्षेत्र में बाढ़ व सूखा की स्थिति क्या है , आपदा के नजरिये से कौन सा समुदाय व वर्ग अतिसंवेदनशील है, गांव में जोखिम / खतरे वाले स्थान कौन से हैं, आपदा के नजरिये से क्या संसाधन और सुबिधाएँ उपलब्ध है , घनी आबादी का क्षेत्र कौन सा है आदि समझने का प्रयास किया गया। और इस दौरान गांव की स्थिति व संसाधनों का अवलोकन करते हुये निम्नवत जानकारियों को एकत्र किया गया जो कि नीचे दिये गये प्रारूप पर दर्शाया गया है-

टांजेक्ट वॉक अथवा गांव के भ्रमण के दौरान अवलोकन की गयी स्थितियों का संकलन

गांव का बसाहट	भ्रमण के दौरान अवलोकन मे आया कि अधिकतर गांव व टोले की आबादी काफी घनी है और अधिकांश मकान पक्के है। कुछ ही मकान कच्चे व खपरैल अथवा टिन के है । गांव में विभिन्न भौतिक संसाधन जैसे स्कूल, उप स्वास्थ्य केन्द्र, मंदिर व मस्जिद, स्थानीय बाजार व चौराहा आदि मौजूद है। इसके अलावा पशु में मुख्यतः भैस, बकरी , और गाय पालतू जानवर हैं।
तालाब व गड्ढे	गांव क्षेत्र में कुल 2 बड़े तालाब है दोनों तालाब का कुल क्षेत्रफल लगभग एक एकड़ है और लगभग एक से दो बीघे के क्षेत्रफल में कुल 20 छोटे -छोटे गड्ढे है । जिसका उपयोग किसान खेती में सिंचाई के लिये करते है। और 7 गड्ढों में स्थानीय समुदाय के द्वारा मछली पालन का भी कार्य किया जाता है। गर्मी के दिनों में तालाब व गड्ढे सूख जाते हैं ।

नदी –नहर व नाला	गांव के उत्तर पूरब में लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर बानगंगा नदी बहती है वर्तमान समय में पानी का बहाव कम है। इसके अलावा गांव के दक्षिण में 4 मीटर चौड़ा जमुआर नाला है जो कि पकड़िहवा से टिकरिया होते हुए इस्लामनगर की ओर जाता है, इस नाले में पानी नहीं है और काफी उथला है जिसकी सफाई की आवश्यकता है। इसके अलावा गांव क्षेत्र के बीचों बीच मुख्य मार्ग से सटा चिल्हिया से टिकरिया करौती माइनर लगभग 5 मीटर चौड़ी नहर है जो वर्तमान में सूखा है और काफी उथला है। सफाई और गहरा करने की आवश्यकता है।
वन व हरित क्षेत्र	ग्राम पंचायत के भ्रमण में हरित क्षेत्र भी दिखे। नदी के आस पास के क्षेत्र में वन विभाग के द्वारा लगभग 135 एकड़ में जामुन और अर्जुन के पौध लगाये गये हैं परन्तु विकास दर बहुत कम है। इसके अलावा गांव के किसान के द्वारा व्यक्तिगत तौर पर गांव के आस पास अपने जमीन पर आम , सीसम, सागौन, आदि के पौध लगे हैं।
समतल व नीचली सतह भूमि	गांव के आस पास की जमीन समतल और नीचली सतह की जमीन दिखी । समतल जमीन में फसल गेहूँ, मटर, सरसो और सब्जी लगाये गये हैं। जब कि नीचली सतह की जमीन पर मुख्य रूप से गेहूँ की फसल है। कुछ नीचली सतह की जमीन परती है। दलहनी फसले नहीं दिखी केवल मटर कही कही देखा गया।
सिंचाई	इस ग्राम पंचायत का मुख्य सिंचाई का साधन बोरिंग है वह इसका इस्तेमाल अधिक करते हैं चूँकि गांव के नाले एवं नहर में जनवरी फरवरी में लगभग 10 से 15 दिनों के लिये पानी आता है बाकी दिनों में सूखा रहता है। नदी गांव से 2 किमी दूर है वहाँ से पानी लाना कठिन होता है।
उर्जा प्रयोग	ग्राम पंचायत के सभी 21 टोले में विद्युत आपूर्ति है कुल 1150 परिवारों में विजली का कनेक्शन है यहाँ पर विजली की कटौती दिन कुछ बार होता है जोकि दिन में 6 से 8 घण्टे विजली नहीं रहती है। ऐसी स्थिति में लगभग 420 परिवार इनवर्टर और डीजल जनरेटर का उपयोग करते हैं। मात्र 5 ही परिवार है जो कि सौर उर्जा का उपयोग कर रहे हैं। इसके साथ किसानों के द्वारा खेती की सिंचाई में भी डीजल इंजन का उपयोग किया जाता है जो कि अधिक है। नये उर्जा स्रोत में पंचायत के द्वारा केवल सौर स्टीट लाइट का प्रयोग किया जाता है।
ईंधन प्रयोग	1280 परिवार एलपीजी गैस का उपयोग करते हैं और 75 परिवार है जो कि पारम्परिक जलौनी जैसे लकड़ी व गोबर के उपले का प्रयोग करते हैं इसके बाद 80 परिवार विजली का भी उपयोग करते हैं। वाहन के रूप में यहाँ पर डीजल , पेट्रोल , बैटरी चलित का प्रयोग नियमित किया जा रहा है। जिसमें डीजल वाहन की संख्या 112 , पेट्रोल वाहन की संख्या 1020 और बैटरी चलित वाहन की संख्या 07 है।



सामाजिक मानचित्रण

ग्राम पंचायत कोडराग्रांट के बारे में एक सामान्य एवं आधारभूत समझ बनाने और जानकारी इकट्ठा करने के उद्देश्य से समुदाय की सहभागिता से गांव का सामाजिक मानचित्र तैयार किया गया। ग्राम पंचायत स्तर पर समुदाय की बसाहट, गली-मुहल्ले की जानकारी, नाजुक समुदायों की पहचान या बुनियादी सुविधायें, गांव में उपलब्ध अन्य भौतिक संसाधनों के बारे में जानकारी आदि के लिए सर्वप्रथम जमीन पर सामाजिक मानचित्रण लोगों के द्वारा तैयार किया गया। समुदाय ने स्वयं आगे आकर चूना, रंग व खड़िया से अपने गांव में पहुंचने का रास्ता, गांव का बसाहट, भौतिक संसाधन आदि को दर्शाया। कच्चे व पक्के मकानों, स्कूलों, अस्पताल, मन्दिर व मस्जिद को अलग-अलग चिन्हों व रंगों से प्रदर्शित किया। इसके बाद लोगों के द्वारा इसे कागज पर तैयार किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में सभी की समान भागीदारी व सहयोग रहा। जिसके आधार पर गांव की वर्तमान स्थिति को समझने के लिए एक पेपर पर तैयार किया गया।

सामाजिक मानचित्रण से प्राप्त सूचनाएं

विवरण	संख्या
कुल राजस्व गांव की संख्या	03
कुल टोले की संख्या	22
कुल पक्के घरों की संख्या	1325
कुल कच्चे घरों की संख्या	95
आर्थिकरूप से पिछड़े व वंचित समुदाय के घरों की संख्या	850
दिव्यांग जनों के घरों की संख्या	40
महिला मुखिया के घरों की संख्या	60
कुल इण्डियामार्क हैण्डपम्पों की संख्या	15
कुल कुओं की संख्या	10 जो कि सभी पट गये है
सामान्य जाति के घरों की संख्या	75
पिछड़ी जाति के घरों की संख्या	920
अनुसूचित जनजाति के घरों की संख्या	425
आजीविका के साधन	
सरकारी नौकरी	75
कृषि आधारित आजीविका	1200
पशुपालन	950
स्थानीय स्तर पर दुकान	150
गैर कृषि मजदूर	550
कुटीर उद्योग	04

सामाजिक मानचित्रण से यह स्पष्ट हुआ कि इस ग्राम पंचायत में कुल 3 राजस्व गांव कोडराग्रांट, राजेडेरा और महदेइया है। जो कि कुल 21 आबादी वाले टोले में बसा हुआ है एक टोला गैर आबादी है। पूरे कोडरा ग्रांट में कुल 1420 परिवार हैं और यहाँ पर अधिकतर मुस्लिम रहते हैं। इसके अलावा मुख्य रूप से अहिर, हरिजन, पासी, केवट, लोनिया की विरादरी है। यहाँ पर कुल 850 परिवार ऐसे है जो कि आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित अथवा जोखिम समुदाय है। कई जगहों पर जिसमें इस्लाम नगर, मिर्जापुर, करीमपुर, करमहवा और महुववा में रास्ते कच्चे है। बरसात व बाढ़ के दिनों में लोगों को विशेषकर बच्चों व महिलाओं अथवा बीमार व वृद्ध के आवागमन की समस्या होती है। जल जमाव व बाढ़ के कारण नीचले सतह के क्षेत्र के समुदाय के अधिकांश घर के दीवाल कमजोर हो गये है। यहाँ पर 40 दिव्यांग और 60 परिवार की महिला मुखिया है। खेती योग्य जमीन यहाँ पर कम है और अधिकतर सीमान्त व छोटे किसान है। जिनकी आजीविका का मुख्य

साधन पशुपालन, व दैनिक मजदूरी है। और लगभग 80 प्रतिशत परिवार देश के अन्य महानगरों जैसे मुंबई, गुजरात, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आदि जगहों पर आजीविका के लिए 6 से 12 माह के लिए पलायन करते हैं।



खतरा, जोखिम, नाजुकता एवं क्षमता आकलन

जलवायु परिवर्तनीयता:- प्रवृत्ति/परिवर्तन, मुख्य चुनौतियाँ/झटके एवं तनाव

ग्राम पंचायत कोड़राग्रंट में सभी मौसम यानी सर्दी, गर्मी एवं बरसात का प्रभाव रहता है। पिछले 05 वर्षों में सर्दी अब देर से शुरू हो रही है इस समय सर्दी दिसम्बर से फरवरी पड़ती है। जब कि इसके पूर्व सर्दी नवम्बर माह से लेकर मार्च तक पड़ती थी। पहले बरसात मई माह से अगस्त माह तक एक दो दिन के अंतर पर होती थी, कभी कभी सितम्बर में भी बारिस हो जाती थी। किन्तु पिछले 05 वर्षों से बरसात के मौसम में मई व जून में बारिस कम हुयी है और अगस्त सितम्बर कुछ दिनों में अधिक बरसात हो रही है और फिर कई दिनों तक बारिस नहीं हुई जिससे सूखा की भी स्थिति बन गई। लोगों ने बताया कि 05 वर्ष पहले खरीफ के फसल में एक सिंचाई करनी पड़ती थी किन्तु इस बीच पिछले कुछ वर्षों में 2 से तीन बार सिंचाई करनी पड़ती है। इसी तरह गर्मी के मौसम में भी काफी बदलाव देखा जा रहा है। लोगों ने बताया कि पहले गर्मी मई व जून से लेकर अगस्त तक होती थी, किन्तु अब गर्मी मार्च के बाद से ही शुरू हो जाती है और सितम्बर तक रहती है।

विभिन्न सहभागी प्रक्रिया का उपयोग करते हुये विभिन्न माध्यमों से सम्पादित की गई गतिविधियों से प्राप्त सूचना एवं प्राथमिक आकड़ों के आधार पर जलवायुगत आपदा खतरा जोखिम प्रोफाइल में अपेक्षित सूचनाओं का संकलन किया गया ।

जोखिम विश्लेषण के आधार पर आपदाओं की सूची

- बाढ़ / जल-जमाव
- सूखा
- लू
- शीत लहर
- ओले पड़ना
- आधी-तूफान

इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इन आपदाओं के कारण उत्पन्न होने वाले संभावित जोखिमों, पड़ने वाले अनुमानित प्रभाव एवं उनसे प्रभावित लोगों , संसाधनों आदि के बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त की गयी। इस दौरान यह ध्यान दिया गया कि सभी वर्गों जैसे सभी वर्ड से पुरुष, महिला, किशोरियों और महिलाओं की सक्रीय भागीदारी रहे एवं सभी को अपने विचार एवं समस्याए रखने का प्रयाप्त अवसर मिले। चर्चा से प्राप्त जानकारी को एकीकृत रूप से निम्नवत प्रदर्शित किया गया है-

क्र.स.	आपदा / खतरे	संभावित जोखिम क्षेत्र	संभावित जोखिम प्रभावित क्षेत्र				प्रभाव को कम करने हेतु समुदाय के कदम
			जोखिम	आबादी	घर	संसाधन	
01	बाढ़ और जल जमाव	कृषि	खरीफ की फसल में धान का नुकसान, बीमारियों व कीटों का प्रकोप अधिक तथा रबी के फसल जैसे गूहें , सरसों व मटर की बुवाई में देरी	सम्पूर्ण गांव	1300	70 से 80 एकड़ घान की खेत में बाढ़ और जलजमाव	पानी की निकासी की व्यवस्था हेतु नालों एवं नहर के माध्यम से पानी को निचली सतह क्षेत्र में इकट्ठा करना।
		आजीविका	स्थानीय स्तर पर मजदूरी का न मिलना	-	550	-	आस पास के शहरों में मजदूरी व देश के महानगरों में प्राइवेट नौकरी
		पशुपालन	पशु उत्पाद का कम होना और पशु चारा की उपलब्धता का न होना व पशुओं में बीमारी	-	750	भैस , बकरी और गाय	पूर्व में पशुचारा की व्यवस्था करना और उसका भण्डारण करना
		पेयजल एवं स्वच्छता	पेयजल का दूषित होना व जल-जनित बीमारी में वृद्धि तथा गांव में गंदगी व कूड़ा-कचरा का फैल जाना ।	सम्पूर्ण गांव	1420	15 सरकारी हैण्डपम्प का पानी दूषित और सड़क, नाली पर कूड़ा-कचरा का प्रभाव	घर के कचरों को आस पास खुली जगह व तालाबों अथवा गड्ढों में डाला जाता है। जिससे आस आस गंदगी है।
		स्वास्थ्य	जल-जनित बीमारियों जैसे डायरिया, टाइफाइड, फोड़ा-फुंसी व दस्त का होना	सम्पूर्ण गांव	1420	हर घर से 2 से 3 लोग प्रभावित	-

		सामाजिक सुरक्षा	बुजुर्ग, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, दिव्यांग व बीमार व्यक्ति के साथ जोखिम होने का खतरा होना	सम्पूर्ण गांव	1420	आवागमन बाधित , सड़क टूटना, रास्ते के अगल-बगल पानी से भरा गड्ढा होना।	सामुदायिक सहभागिता के साथ सहयोग व मदद
02	सूखा	कृषि	धान की उपज प्रभावित होती और सिंचाई से खेती में लागत वृद्धि	सम्पूर्ण गांव	1300	300 एकड़ फसल पर प्रभाव	सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं।
		पशुपालन	जानवरों को चारा का संकट, उत्पादन कम होना	पूरा गांव	650	भैस , गाय व बकरी	-
		पेयजल व जल स्रोत	जल स्रोतों का सूख जाना व हैण्डपम्प का जलस्तर नीचे जाना व संकट	पूरागांव	1420	15 हैण्डपम्प व 2 तालाब तथा 20 गड्ढे	-
03	लू	स्वास्थ्य	मानव एवं जानवरों को लू लगना व बीमार होना।	पूरा गांव	1420	मानव व जानवर	-
04	शीत लहर	कृषि	शीतलहर से फसलों को नुकसान व उत्पादन पर प्रभाव	पूरा गांव	1300	खेत	पारम्परिक तरीकों जिसमें राख आदि का छिड़काव व पुआल डालना।
		स्वास्थ्य	मानव व जानवरों ठंड लगना	पूरागांव	1420	-	-
05	ओलावृष्टि व आधी-तूफान	कृषि व भौतिक संसाधन	फसलों का पूर्ण क्षति , उत्पादन पर प्रभाव व संकट , भौतिक व प्राकृतिक संसाधन की क्षति	पूरा गांव	1420	फसलों का नष्ट होना , मकानों व पेड़-पौधे की क्षति	-

ऐतिहासिक समय रेखा

आपदाओं एवं उसके प्रभाव को जानने के बाद समुदाय के साथ यह भी जानने का प्रयास किया गया कि ये आपदाएं इस ग्राम पंचायत को कब से प्रभावित कर रही हैं। इस क्रम में इन आपदाओं का ऐतिहासिक समयरेखा जानने का प्रयास किया गया, जिसमें समुदाय ने माना कि बाढ़ और सूखा एक ऐसी आपदा है जो कि एक दो साल के अन्तराल पर लगातार प्रभावित कर रही है। हाल ही के कुछ वर्षों में लू, शीतलहर , ओलावृष्टि और आधी-तूफान का भी प्रकोप ग्राम पंचायत के समुदाय को झेलना पड़ रहा है। जिसका सबसे अधिक प्रभाव उनके आजीविका व खेती पर पड़ रहा है। ओलावृष्टि व आधी तूफान से ज्यादातर रबी की फसल में गेहूँ, सरसों, मटर, आलू आदि नुकसान होता है।

आपदाओं का ऐतिहासिक घटनाक्रम व सम्बन्धित जानकारी निम्नवत है-

कसं	वर्ष	घटनाक्रम/आपदा	घटनाओं के कारण	मृतकों की संख्या	प्रभावित क्षेत्र	आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए उठाये गये कदम
01	1988 2020	बाढ़ और जल-जमाव	अत्यधिक व असामयिक बरसात इसके अलावा गांव के पास नदी ,	0	लगभग 300 एकड़ में धान के फसल	स्थानीय स्तर पर जल निकासी की व्यवस्था

	2021 2022		नाला व नहर के पानी का जल स्तर बढ़ना ।		का नुकसान होता है।	करना और नालों व स्थानीय तालाबों व गड्डों की सफाई ।
02	2018 2020 2022	सूखा	बारिस कम हुई और जल संचयन क्षेत्रों पर अतिक्रमण व समुचित सफाई न होना ।	0	सूखे से गांव का कुल 250 एकड़ धान का फसल नुकसान होता है।	तालाबों और गड्डों की सफाई की गयी । स्वयं के स्तर पर मेडबन्दी का कार्य किया गया
03	2018 2019 2022	ओलावृष्टि	खराब मौसम	0	पूरे गांव के लोग 180 एकड़ फसल बर्बाद हो गयी	—
04	2005 2010 2018	आधी-तूफान	पहाड़ों पर अधिक वर्षा व खराब मानसून	0	80 से 120 एकड़ की फसल नुकसान हो गयी	—

मौसमी कलेण्डर

सामूदायिक सहभागिता के द्वारा मौसम के आधार पर आपदा कब आती है और कितने दिनों तक रहती है , मौसम में बदलाव यह देखने का प्रयास किया गया कि किस माह से किस माह तक सर्दी, गर्मी व बरसात रहती है। इसी तरह बीमारी व स्वास्थ्य पर प्रभाव सबसे अधिक कब रहता है और किस माह में फसल और उनमें लगने वाले रोग होते हैं के बारे में विस्तृत चर्चा की गयी। जिसे माहवार प्रत्येक घटक का मौसमी कलेण्डर तैयार किया गया।

● आपदाओं का मौसमी कलेण्डर

आपदा	जन	फर	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुला	अग	सित	अक्ट	नव	दिस
बाढ़ और जल-जमाव												
सूखा												
लू												
शीतलहर												
ओलावृष्टि												
आधी-तूफान												

इस क्षेत्र में बाढ़ और उससे होने वाले जल जमाव की समस्या सबसे अधिक है जो कि जुलाई से लेकर सितम्बर तक रहती है। सूखा इस क्षेत्र के लिए दूसरी सबसे बड़ी समस्या है जो कि कम बारिस होने की स्थिति में होती है और इसकी सम्भावना अगस्त से लेकर अक्टूबर तक रहती है। इसी प्रकार लू मई से जुलाई अधिक रहती है। खेतों और मानव जीवन पर शीत लहर का प्रभाव दिसम्बर व जनवरी में सबसे अधिक रहता है। ओलावृष्टि असमायिक होता है जो जनवरी-फरवरी ,और अप्रैल में इसकी सम्भावना बनी रहती है। आधी तूफान मई और जून में अधिक रहता है। जिससे भौतिक व प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान सबसे अधिक होता है।

● मौसम विश्लेषण एवं उनमें हुए बदलाव का मौसमी कलेण्डर

मौसम	जन	फर	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुला	अग	सित	अक्ट	नव	दिस
सर्दी (पूर्व)												
सर्दी (वर्तमान)												
गर्मी (पूर्व)												
गर्मी (वर्तमान)												
बरसात (पूर्व)												
बरसात (वर्तमान)												

तालिका कें अनुसार सर्दी पहले के अपेक्षा कम हुयी है पहले सर्दी नवम्बर से शुरू होकर मार्च तक रहती है परन्तु वर्तमान में सर्दी के मौसम में बदलाव आया है अब सर्दी देर नवम्बर से शुरू होती है और फरवरी में समाप्त हो जाती है। इस बीच गर्मी का समय बढ़ गया वर्तमान में गर्मी मार्च से सितम्बर तक रहती है जबकि पहले गर्मी मई से अगस्त रहती थी। बढ़ते तापमान के कारण जल स्रोत जल्द सूख जाते हैं। बरसात भी अब कम होने लगे है मुख्य रूप से वर्तमान में बरसात जुलाई से सितम्बर में होती है। कम समय में अधिक बरसात होने से बाढ़ एवं जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है।

● बीमारी व स्वास्थ्य की स्थिति का मौसमी कलेण्डर

मौसम	जन	फर	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुला	अग	सित	अक्ट	नव	दिस
सर्दी जुखाम व खाँसी												
मलेरिया												
टायफाइड												
बुखार												
फोड़ा-फुंसी												
डायरिया व उल्टी दस्त												

इस तालिका में हम देख सकते हैं कि गांव की प्रमुख व सामान्य बीमारियां अधिकतर जून से लेकर सितम्बर के बीच सबसे अधिक है जिसमें सर्दी जुखाम, खाँसी, मलेरिया, टायफाइड, बुखार, फोड़ा-फुंसी आदि शामिल हैं। जल जमाव व बाढ़ भी इन दिनों में अधिक रहता है जो कि बीमारियों फैलाने का मुख्य कारण है।

● फसल व रोग का मौसमी कलेण्डर

फसल व रोग	जन	फर	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुला	अग	सित	अक्ट	नव	दिस
खरीफ (घान) फसल चक्र												
रोग /आपदा का प्रभाव												
रबी फसल चक्र (गेहूँ,अलू,सरसो व मटर)												
रोग /आपदा का प्रभाव												

जायद फसल चक्र (लतादार सब्जियाँ)													
रोग / आपदा का प्रभाव													

यहाँ पर खरीफ में धान की खेती होती है जो कि जून से अक्टूबर तक रहती है। इसमें लगने वाले रोग व कीट अगस्त से अक्टूबर में अधिक होता है। जैसे झुलसा, गंधी, माहो आदि अधिक लगते हैं जिसके बचाव के लिए किसान दवा का छिड़काव जैसे कावेन्डाजिम, फयूराडान, ब्यूटाक्लोरा का उपयोग करते हैं। रबी की फसल में गेहूँ, आलू, सरसों, मटर नवम्बर से मार्च/अप्रैल के मध्य तैयार होता है। इसमें रोग व कीट दिसम्बर से फरवरी में अधिक लगते हैं। इसके लिए किसान अधिकतर मैकोजेब, फयूराडान व सल्पोसल्फयूरान का छिड़काव करते हैं। जायद की फसल यहाँ कम होती है जो कि फरवरी से जून के मध्य लगाया जाता है इसमें आपदा का प्रभाव सबसे अधिक अप्रैल से जून में गर्मी के मौसम में रहता है।

आपदाओं का प्राथमिकीकरण

विभिन्न आपदा समुदाय को सर्वाधिक प्रभावित कर रही है और उससे उत्पन्न समस्याओं पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने की जरूरत है, इसे जानने के लिए समुदाय के साथ सहभागी से चर्चा कर एक मैट्रिक्स तैयार किया गया। इस मैट्रिक्स में लोग, जानवर, खेती, आजीविका, पशुचारा, मकान, सड़क आदि पर पड़ने वाले प्रभावों को देखा गया। इस हेतु समुदाय को यह स्पष्ट किया गया कि इन सभी क्षेत्रों पर आपदाओं के पड़ने वाले प्रभावों को पूर्व अनुभवों पर देखें और 01 से 10 के बीच में कोई संख्या प्राथमिकता के लिए प्रदर्शित करें। यह ध्यान रखें कि सबसे कम प्रभाव पड़ने के लिए 01 और सबसे अधिक प्रभाव के लिए 10 नम्बर प्रदर्शित करना है। समुदाय से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर निम्न तालिका तैयार की गयी-

आपदा	प्रभाव का क्षेत्र							योग
	मानव	पशु	खेती	आजीविका	पशुचारा	मकान	सड़क	
बाढ़ और जल-जमाव	10	8	10	7	8	7	7	57
सूखा	8	6	8	5	5	0	0	32
लू	7	7	4	4	4	0	0	26
शीत लहर	6	7	7	3	0	0	0	23
ओलावृष्टि	5	5	9	2	6	3	0	30
आँधी-तूफान	3	2	7	0	0	5	0	17

उपरोक्त तालिका के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि **बाढ़ और सूखा** गांव वालों के लिए सबसे बड़ी और प्रमुख आपदा है। प्राप्त अंकों के आधार पर ओलावृष्टि तीसरे, लू चौथे, शीत लहर पाँचवें और आँधी-तूफान छठवें स्थान पर प्रभावित करने वाली आपदा है। आगे चलकर उसी के आधार पर कार्ययोजना में कार्यों का प्राथमिकीकरण भी किया गया है।

नाजुकता विश्लेषण

नाजुकता विश्लेषण का यह भाग आपदा न्यूनीकरण के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि कि अलग अलग खतरे व आपदा से किस क्षेत्र में कौन कौन से वर्ग एवं समुदाय कितना और किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं। और इसके लिये हमारे क्या संसाधन हैं। इस कड़ी में ग्राम पंचायत को आपदा की दृष्टि से सुरक्षित बनाने की दिशा में नाजुकता समुदाय, नाजुक संसाधन, स्थल आदि

को जानना अति आवश्यक था, इसे जानने के लिए पुनः समुदाय में उपस्थिति आशा, आगनबाड़ी व अन्य हितभागियों अथवा ग्रामीणों की मदद से नाजुकवर्ग, स्थल एवं आपदा के कारण प्रभावित होने वाले ग्राम पंचायत में स्थित संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त की गई और उसे नीचे दर्शाया गया जो निम्नवत है-

खतरा	घर / खेती		नाजुक संवर्ग व उनकी संख्या			
			लोग / समुदाय		संसाधन	
	क्षेत्र	संख्या	वर्ग	संख्या	प्रकार	संख्या
बाढ़ और जल जमाव	खेती	सम्पूर्ण खेती	किसान	1300	नाला नहर नदी	01 01 01
	आजीविका	सम्पूर्ण गांव	आर्थिकरूप से कमजोर व मजदूर वर्ग	1200	पशु मजदूर दुकानदार	
	पेयजल	सम्पूर्ण गांव	पूरी आबादी	1420	हैण्डपम्प	15
	स्वच्छता एवं स्वास्थ्य	सम्पूर्ण गांव	बीमार वृद्ध दिव्यांग, बच्चे व महिलाएं	1420	नाली सम्पर्क मार्ग उपकेन्द्र	35 22 01
सूखा	खेती	सम्पूर्ण खेती	छोटे किसान	750	तालाब गडदे	02 20
	पेयजल	सम्पूर्ण गांव	पूरी आबादी	1420	हैण्डपम्प	15
ओलावृष्टि	फसल	सम्पूर्ण गांव	किसान	1300	-	-
	मकान	सम्पूर्ण गांव	क्वचे मकान वाले परिवार	70	-	-

उपरोक्त नाजुकता विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि यद्यपि बाढ़ और सूखा का प्रभाव सबसे अधिक है और इसका प्रभाव गांव के अलग अलग वर्गों जैसे महिला, पुरुष, वृद्ध, दिव्यांग व बीमार व्यक्तियों व समुदाय पर पड़ता है और समस्त खेती मुख्य रूप से धान व गेहूँ और आजीविका प्रभावित होता है इसके अलावा उनके रहन-सहन, पेयजल और स्वास्थ्य और स्वच्छता के क्षेत्र पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। खासतौर पर वह समुदाय व वर्ग जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं और वे खेती के अलावा खेतिहर मजदूरी पर निर्भर रहते हैं, आपदा जैसी स्थितियों से उनकी आजीविका का संकट उत्पन्न हो जाता है।

क्षमता आकलन

आपदाओं के सन्दर्भ में गांव को सुरक्षित बनाने की दृष्टि से गांव स्वयं में कितना सक्षम है इसे जानने के लिए समुदाय के साथ मिलकर समय ग्राम का क्षमता आकलन किया गया। विशेषकर संसाधनों के सन्दर्भ में किये गये क्षमता आकलन को अलग अलग भागों में देखने का प्रयास किया गया, जिसमें गांव में उपलब्ध भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों को सामाजिक मानचित्रण पर भी अंकित किया गया जब कि मानव संसाधन के बारे में समुदाय के साथ चर्चा कर सूचनाएं प्राप्त की गयीं जो निम्न प्रारूप पर दर्शाया जा रहा है।

आपदा के समय सुबिधाओं व उपलब्ध संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह सुबिधाएं आपदा के प्रभाव को कम करने में काफी सहायक होती हैं। साथ ही यह भी आवश्यक है कि इन सुबिधाओं से समुदाय लाभान्वित हो रहे हैं या नहीं और ये सुबिधाएं समुदाय की पहुँच में कितना

है। संसाधनों से जुड़े तथ्यों की यह पूरी प्रक्रिया समुदाय की सहभागिता के आधार पर खुले तौर पर प्रदर्शित होती है जिसका पूरा विवरण संकलित किया गया है।

गांव में उपलब्ध संसाधनों की सूची

संसाधन के प्रकार	उपलब्ध संसाधन	संख्या	सम्पर्क व्यक्ति का नाम व नं०	गांव से दूरी
भौतिक संसाधन	पंचायत भवन	01	श्री अरशद जमाल	0.0 किमी
	आगनबाड़ी केन्द्र	05	श्रीमती उमा, भारती	1.5 किमी
	प्राथमिक विद्यालय	02	श्री शमशाद अहमद	1.0 किमी
	जूनियर हाईस्कूल	01		1.0 किमी
	हाईस्कूल	01		1.0 किमी
	प्राइवेट स्कूल	03		1.5 किमी
	सामुदायिक शौचालय	01		1.0 किमी
	मंदिर	02		0.0 किमी
	मस्जिद	01		0.0 किमी
	कब्रिस्तान	03		1.5 किमी
उप स्वास्थ्य केन्द्र	01		1.0 किमी	
प्राकृतिक संसाधन	तालाब	02		1.5 किमी
	गड़ढे	20		0.5 किमी
	नाला	01		0.5 किमी
	नहर	01		1.5 किमी
	नदी	01		2.0 किमी
	जंगल	—		2.0 किमी
	कृषिगत क्षेत्र	—		गांव के चारों तरफ
मानव संसाधन	ग्राम प्रधान	01	श्री अरशद जमाल	0.0 किमी
	ए एन एम / सी एच डबल्यू	01		0.5 किमी
	स्थानीय प्राइवेट डाक्टर	02		0.0 किमी
	आगनबाड़ी	09	शारदा देवी	0.0 किमी
	आशा	15	मीना देवी , हियातुननिशा	0.0 किमी
	पंचायत सदस्य	13	अबू सूफियान	0.0 किमी
	शिक्षक	12		1.0 किमी
	महिला समूह	15	रीमा देवी	0.0 किमी
	सफाई कर्मी	03	विनोद	0.0 किमी
	कोटेदार / राशन की दुकान	02	बालमुकुन्द , जमील अहमद	0.5 किमी

वित्तीय संसाधन

उपरोक्त के अतिरिक्त गांव के पास वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध हैं । ग्राम पंचायत के पास वित्तीय वर्ष 2023-24 में उपलब्ध होने वाले संभावित वित्तीय संसाधनों के विवरण निम्न प्रकार होंगे-

मद का नाम	2022-23 में आवंटित धनराशि	2023-24 के लिए संभावित धनराशि
राज्य वित्त आयोग	रु. 1622901.00	रु. 2500000.00
15वां वित्त आयोग	रु. 2497453.00	रु. 3500000.00

संसाधन मैट्रिक्स /सेवा -सुबिधा चित्रण

इसी क्रम में गांव से बाहर उपलब्ध सेवा एवं सुबिधा दाताओं की सूची तैयार की गयी , जिससे आपदा के दौरान इनकी मदद से आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सके। साथ ही आपदा पूर्व तैयारी एवं आपदा के बाद की स्थिति में इनका उपयोग किया जा सके एवं आवश्यकता पड़ने पर और अधिक क्षमता युक्त किया जा सके। संसाधन मैट्रिक्स से प्राप्त सूचनाओं को निम्न प्रारूप पर दर्शाया गया है-

संसाधनों की उपलब्धता एवं गांव से उसकी दूरी

संसाधन विवरण	कुल संख्या	गांव से दूरी
स्थानीय बाजार , चौराहा	01	1.5 किमी
सहज सेवा केन्द्र	05	1.5 किमी
टयबवेल	01	1.0 किमी
जिला अस्पताल	01	09 किमी
रेलवे स्टेशन सिद्धार्थनगर	01	08 किमी
इण्टर कालेज	01	13 किमी
डिग्री कालेज	01	13 किमी
पेट्रोल पम्प	01	04 किमी
पावर हाउस	01	12 किमी
राज्य मार्ग	01	07 किमी
राष्ट्रीय मार्ग	01	75 किमी
बैंक	04	08 किमी
तहसील मुख्यालय	01	08 किमी
जिला मुख्यालय	01	08 किमी

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कोडराग्रांट की कार्ययोजना का निर्माण

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने हेतु सभी सहभागी अभ्यासों को पूरा करने के पश्चात क्षेत्र वार जानकारी प्राप्त करने के लिए समूह चर्चा की गयी। इस चर्चा के दौरान ही सभी क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न पहलुओं पर आधारित ग्राम पंचायत में वर्तमान स्थिति , उससे सम्बन्धित समस्याएं, उन समस्याओं के निराकरण हेतु विशेष कार्ययोजना के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी। उपरोक्त सूचनाओं , तथ्यों एवं ग्रामीणों से चर्चा व विचार-विमर्श के बाद क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत के सुरक्षा एवं विकास के तहत क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजना तैयार किया गया , जिसमें आपदा जोखिम, उसके कारण व समाधान के बारे में संकलन कर तैयार किया गया जो निम्नवत है।

कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	परिसम्पत्ति का स्थान	अनुमानित धनराशि	अवधि	योजना का परिव्यय
मानव विकास तथा सामाजिक सुरक्षा और साफ-सफाई एवं स्वच्छता	हैण्डपम्प रिबोर एवं प्लेटफार्म को उँचा करना	15 सरकारी हैण्डपम्प को रिबोर करवाना व उसके प्लेटफार्म को लगभग 3 फिट उँचा करना	ग्राम पंचायत के सभी टोले	08 लाख	6 माह	15वां वित्त आयोग
	सामुदायिक शौचालय का निर्माण	टिकरिया और सिहोरवा टोले में एक अतिरिक्त सामुदायिक शौचालय का निर्माण एवं प्रबन्धन करना।	टिकरिया एवं सिहोरवा	50 लाख	9 माह	15वां वित्त आयोग
	कूड़ा प्रबन्धन कार्य	सभी टोले में कम से कम 5 कूड़े दान कुल 105 कूड़ा दान रखवाना। कचरे को जैविक व अजैविक अलग अलग रखने व इकट्ठा करने का प्रबन्धन करना।	सभी 21 टोले के सभी वार्ड में	75 हजार	1 माह	15वां वित्त आयोग
	साइफन का निर्माण	जल जमाव व गंदे पानी के जल निकासी हेतु साइफन को लगवाना	नदी क्षेत्र के पास	25 लाख	6 माह	15वां वित्त आयोग व मनरेगा
	नाला व नहर की सफाई	जमुआर नाला व करौती माइनर नहर की सफाई एवं कम से कम एक मीटर गहरा करना।	जमुआर नाला व माइनर नहर	30 लाख	3 माह	15वां वित्त आयोग व मनरेगा
बुनियादी/आधारभूत संरचना एवं पर्यावरण	तालाब की खोदाई, सफाई एवं संरक्षण	02 बड़े तालाब की खोदाई, सफाई एवं संरक्षण करना व वृक्षारोपण करना।	टिकरिया व कोड़राखास	15 लाख	2 माह	15वां वित्त आयोग व मनरेगा
	वृक्षारोपण	नदी क्षेत्र में लगभग 45 एकड़ में जामुन, अशोक पौध का रोपण करना।	बानगंगा नदी का क्षेत्र फल	20 लाख		मनरेगा वन विभाग
	सम्पर्क मार्ग का उच्चिकरण एवं आर सी सी निर्माण	मुख्य सड़क से इस्लाम नगर 300 मीटर कच्ची सड़क को 2 फिट उँचा करना एवं आर सी सी निर्माण	इस्लाम नगर सम्पर्क मार्ग	5 लाख	2 माह	15वां वित्त आयोग व मनरेगा
		मिर्जापुर से करीमपुर 350 मीटर कच्ची सड़क को एक फिट उँचा करना एवं आर सी सी निर्माण	—	6 लाख	2 माह	15वां वित्त आयोग व मनरेगा
		करीमपुर से करमहवा 300 मीटर कच्ची सड़क को एक फिट उँचा करना एवं आर सी सी निर्माण	—	5 लाख	2 माह	15वां वित्त आयोग व मनरेगा
		महुववा से पक्की सड़क	—	4 लाख	2 माह	15वां वित्त

		तक 200 मीटर कच्ची सड़क को 2 फिट उंचा करना एवं आर सी सी निर्माण				आयोग व मनरेगा
	सौर उर्जा का स्थापना	सौर उर्जा प्रकाश के लिए 200 घरों के छतों पर पैनल की स्थापना करना ।	सभी टोले	35 लाख	7 माह	15वां वित्त आयोग
		असिंचित क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु पंचायत के मध्य उची जमीन पर सामुदायिक सौर उर्जा पम्प की स्थापना करना ।	टिकरिया क्षेत्र	75 लाख	9 माह	15वां वित्त आयोग
आजीविका / कृषि व पशुपालन	नर्सरी का निर्माण	समूह के माध्यम से पालीहाउस बनाकर नर्सरी का विकास करना	पंचायत क्षेत्र	5 लाख	6 माह	15वां वित्त आयोग व मनरेगा
	कम्पोस्ट पिट का निर्माण	80 वर्मी और 40 नाडेप पिट का निर्माण	सभी टोले में	10 लाख	9 माह	15वां वित्त आयोग
	पशु आश्रय स्थल का निर्माण करना	बेसहारा व छुट्टा पशुओं का स्थायी आश्रय स्थल का निर्माण करना	पंचायत क्षेत्र	75 लाख	9 माह	15वां वित्त आयोग
	खेती के तकनीकी शिक्षा जैसे जैविक खेती, स्थायी खेती आदि पर आधारित जागरूकता कार्यक्रम	जैविक उर्वरक एवं कीटनाशक तैयार करना, स्थायी खेती पद्धति अपनाने की प्रक्रिया से जोड़ना, आपदा पूर्व तैयारी व स्थानीय प्रबन्धन	ग्राम पंचायत	50 हजार	6 माह	ग्राम निधि

क्लाइमेट स्मार्ट मॉडल

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिए निम्न पांच विन्दुओं पर विशेष रूप से समुदाय के द्वारा विशेष रूप से केन्द्रित किया गया जिससे कि अपने ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट बनाने में मदद मिल सके -

1. मौसम केन्द्रित -

- मौसम के पूर्वानुमान व सम्भावनाओं के सम्बन्ध में ग्रामीणों खासतौर पर जोखिमपूर्ण स्थितियों में जीवन यापन कर रहे परिवारों की समय समय पर क्षमता निर्माण करना जिससे मौसम में हो रहे बदलाव व उसके प्रभाव को पूर्व तैयारी के द्वारा कम कर सके।
- मौसम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित कृषि सलाहकार का नियोजन करना।
- जलवायु अनुकूल फसलों को बढ़ावा देना जिससे खरीफ, रबी व जायद में इसके अनुरूप फसलों का चयन कर आपदा विशेषकर बाढ़ व सूखा से हो रहे नुकसान को कम कर सके।

2. जल केन्द्रित –

- विभिन्न तरीकों से वर्षाजल का संचयन करना जिससे जल का संरक्षण किया जा सके। और भूमि के जल स्तर में वृद्धि लाने में सहायक हो सके।
- जल संसाधनों की बेहतर सफाई व गहरा कर पानी की ठहराव को लम्बे समय के इस्तेमाल के लिए रोकना। जिससे सूखे की स्थिति में उसका उपयोग सिंचाई व पशुओं के पीने आदि में किया जा सके।
- बेकार घर से निकले पानी व मलजल का उपयोग खेती व पोषण वाटिका में करना और किसानों को पोषण वाटिका के लिये बढ़ावा देना।
- सिंचाई में नई तकनीक फुबारा विधि को अपनाना जिससे सिंचाई में लागत के साथ जल की खपत कर किया जा सके।

3. कृषि केन्द्रित

- विभिन्न तकनीकियों के द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देना , पारम्परिक खेती के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे मिश्रित खेती , फसल चक्र, लघु सिंचाई साधनों का उपयोग करना। रसायन के प्रयोग में सूक्ष्म खुराक की आपूर्ति के लिये नई तकनीक का उपयोग करना।
- दलहनी फसलों को बढ़ावा देना जिससे मिट्टी में उर्वरा शक्ति की वृद्धि किया जा सके उसके अलावा सिंचाई में जल की खपत व खर्च को कम किया जा सके।
- पालीहाउस तकनीक से सब्जी की खेती व पौध के नर्सरी का विकास करना। और अधिक से अधिक वृक्षारोपण के लिये बढ़ावा देना।
- नदी क्षेत्र में साइफन का निर्माण कर बाढ़ एवं जल जमाव की प्रमुख समस्या को जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करना जिससे धान की खेती पर पड़ने वाले प्रभाव का कम किया सके।



टीम का नाम – श्री धर्मेन्द्र कुमार

श्री प्रभाकर मिश्रा

श्री संदीप श्रीवास्तव

संस्था का नाम – शोहरतगढ़ एन्वायरन्मेन्टल सोशायटी

अनुलग्नक IV: लक्ष्य, लागत, उत्सर्जन से बचाव और अनुक्रमण क्षमता का अनुमान

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियाँ	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना				
1	वृक्षारोपण गतिविधियाँ	<p>चरण 1: वर्तमान में ग्राम पंचायत में हो रही गतिविधियों के सामान (प्रधान के साथ परामर्श के दौरान जानना अनिवार्य है)</p> <p>चरण 2: भूमि की उपलब्धता के आधार पर वृक्षारोपण लक्ष्य को 500-1000 तक बढ़ाना।</p> <p>चरण 3: भूमि की उपलब्धता के आधार पर लक्ष्य को 500-1000 तक और बढ़ाना।</p>	<p>वृक्षारोपण (तैयारी, पौधारोपण, श्रम आदि)⁸⁸ = ₹70 प्रति पेड़ (पौधे डीओईएफसीसी, उत्तर प्रदेश सरकार से निःशुल्क उपलब्ध हैं)</p> <p>ट्री गार्ड (धातु)⁸⁹ = ₹1,200 प्रति इकाई</p> <p>वृक्षारोपण का रखरखाव: ₹1.5 लाख/हेक्टेयर</p>	<p>सागौन की प्रजातियों के आधार पर अनुक्रमण क्षमता का अनुमान - प्रति पेड़ 5.6 से 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड (tCO₂e)</p>
2	आरोग्य वन	<ul style="list-style-type: none"> 300-400 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले ग्राम पंचायत के लिए, 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र के साथ एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है। लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली ग्राम पंचायत के लिए, भूमि की उपलब्धता के आधार पर 0.2-0.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है। 		<p>कृषि वानिकी के लिए वृक्षारोपण घनत्व 100 पेड़/हेक्टेयर माना जाता है</p>
3	कृषि वानिकी	<p>(यह व्यक्तिपरक हो सकता है और कृषि-वानिकी गतिविधियाँ चरण 1 से शुरू की जा सकती हैं)</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 40% ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p> <p>चरण 3: शेष कृषि भूमि ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p>	<p>कृषि वानिकी की लागत⁹⁰ = ₹40,000/हेक्टेयर⁹¹</p>	

88 वृक्षारोपण दिशानिर्देशों और ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

89 लागत बाजार भाव के अनुसार

90 कृषि वानिकी दिशानिर्देशों पर उप-मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के अनुसार लागत

91 <https://link.springer.com/article/10.1007/s42535-022-00348-9>

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	------------------------------------

सतत कृषि

1	सूक्ष्म सिंचाई- ड्रिप एवं स्प्रिंकलर (छिड़काव) सिंचाई	<p>चरण 1: कुल कृषि भूमि का 30% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 70% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	₹1 लाख प्रति हेक्टेयर	
2	बांधों का निर्माण	<p>चरण 1: सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 50%</p> <p>चरण 2: सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 100%</p> <p>चरण 3: मेड़ों का रखरखाव</p> <ul style="list-style-type: none"> - मेड़ों का निर्माण कृषि क्षेत्रों की परिधि पर किया जाता है - ग्राम पंचायत में किसानों के पास विभिन्न आकारों की भूमि होती है। अनुमान : सभी खेत वर्गाकार होते हैं। 	1 मी. मेड़बंदी के लिए ⁹² = ₹150 रुपये	
3	कृषि तालाबों का निर्माण	<p>चरण 1: 5-10 तालाब</p> <p>चरण 2: 15-20 तालाब चरण : यदि आवश्यक हो तो अधिक + तालाबों का रखरखाव</p> <p>1 कृषि तालाब की क्षमता = 300 m³</p> <p>ग्राम पंचायत में बड़े खेतों की संख्या + तालाबों की आवश्यकता पर निर्भर करता है (प्रधान से की गई बातचीत के आधार पर)</p>	1 कृषि तालाब का निर्माण ⁹³ = ₹90,000	

92 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

93 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
4	प्राकृतिक खेती अपनाना	<p>चरण 1: कुल कृषि भूमि का 15% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 2: कुल कृषि भूमि का 40% सम्मिलित किया जाना</p> <p>चरण 3: कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	<p>a. प्रशिक्षण और प्रदर्शन (3 सत्र): ₹60,000</p> <p>b. प्रमाणीकरण (विशेषज्ञ परामर्श के आधार पर): ₹33,000</p> <p>c. फसल प्रणाली का परिचय- जैविक बीज खरीद; नाइट्रोजन संचयन संयंत्र लगाना--> प्रति एकड़ लागत = ₹2,500</p> <p>d. एकीकृत खाद प्रबंधन- तरल जैव उर्वरक की खरीद और उसका उपयोग; तरल जैव कीटनाशकों की खरीद और उसका उपयोग; प्राकृतिक कीट नियंत्रण तंत्र की स्थापना; फॉस्फेट युक्त जैविक खाद---> प्रति एकड़ लागत = ₹2,500</p> <p>e. गणना (प्रति एकड़ परिवर्तन की लागत) = a + b + c + d = ₹1,00,000</p> <p>कुल लागत⁹⁴: क्षेत्र (हेक्टेयर) * e->2.471 * 1,00,000 = ₹2,47,100</p>	

94 यूपी राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी (UPSOCA_Tariff_20March.pdf (apeda.gov.in)) और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) दिशानिर्देश

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	------------------------------------

जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

1	वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाएं	<p>चरण 1: सभी सरकारी/पीआरआई भवनों में</p> <p>चरण 2: सभी पीआरआई भवनों + पुनर्भरण गड्डों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं (आरडब्ल्यूएच) की स्थापना (एचआरवीसीए में सुझाई गई)</p> <p>चरण 3: 1000 वर्ग फुट के आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना + सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को शामिल करना</p>	<p>10 m³ क्षमता वाली 1 वर्षा जल संचयन संरचना की लागत⁹⁵ = ₹35,000</p> <p>1 पुनर्भरण गड्डे की लागत = ₹35,000⁹⁶</p>	
2	जल निकायों का रखरखाव (यदि ये वृक्षारोपण समग्र हरित स्थान को बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है तो लागत की दोगुनी गणना नहीं की जाएगी)	<p>चरण 1: जल निकायों की सफाई, गाद निकालना और बाड़ लगाना + जल निकायों की परिधि के आसपास वृक्षारोपण (1000) (ट्री गार्ड के साथ)</p> <p>चरण 2: जल निकायों के आसपास अतिरिक्त 100 वृक्षारोपण (वृक्ष रक्षकों के साथ) + जल निकायों का निरंतर रखरखाव</p> <p>चरण 3: जल निकायों का निरंतर रखरखाव</p>	<p>अनुमानित लागत⁹⁷: 1. 1 तालाब का जीर्णोद्धार (सफाई, गाद निकालना, जलग्रहण क्षेत्र में वृद्धि, आदि) = ₹7 लाख</p> <p>2. 1 रिटेंशन तालाब (300 m³ क्षमता) का निर्माण = : ₹7 लाख</p> <p>3. ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण = ₹1,200 प्रति यूनिट</p> <p>4. रखरखाव की लागत:</p> <p>a. 1 तालाब/जल निकाय = ₹3,75,000</p> <p>b. 1 प्रतिधारण तालाब = ₹50,000</p> <p>c. ट्री गार्ड वाला पेड़ = ₹20 प्रति यूनिट</p>	
3	नालों के बुनियादी ढांचों का सुदृढीकरण	<p>चरण 1: मौजूदा नालियों की सफाई और गाद निकालना + जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना (नए नालों का निर्माण)</p> <p>चरण 2 और 3: चरण 1 में जारी गतिविधियाँ जारी जायें</p>	अधिकतर एचआरवीसीए दस्तावेज़ में दी गई लागतों को देखें	

95 छत पर वर्षा जल संचयन दिशानिर्देश, भारतीय मानक (IS 15797:2008)

96 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

97 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	------------------------------------

सतत और उन्नत गतिशीलता

1	मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ाना	चरण 1: सड़क मरम्मत/रख-रखाव कार्य + सड़क आरसीसी/इंटरलॉकिंग कार्य चरण 2 और 3: सड़कों का निरंतर रखरखाव	सड़क रखरखाव /मरम्मत की प्रति किमी लागत : ₹50,00,000 प्रति किलोमीटर	
2	मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाना	ग्राम पंचायत की आवश्यकतानुसार सुझावों के अनुसार ई-रिक्शा	1 ई-रिक्शा की कीमत: ~ ₹3,00,000 उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन 12,000 रुपये तक	
3	ई-वाहनों और ई-ट्रैक्टर को अपनाने हेतु बढ़ावा देना	चरण 1: डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्पों को बढ़ावा देना + किसानों को ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के बारे में जागरूक करना चरण 2 & 3: निरंतर जागरूकता	1 ई-ट्रैक्टर की कीमत = ₹6,00,000 1 कर्माशियल ई-वाहन की कीमत = ₹5 से 10 लाख	

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	------------------------------------

सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

1	अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना	<p>चरण 1:</p> <p>a. ग्राम पंचायत की घर-घर कचरा संग्रहण प्रणाली के अंतर्गत 100% घरों को शामिल करना</p> <p>b. मौजूदा कचरे का 100% एकत्र करने के लिए इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था</p> <p>c. कूड़ादानों की स्थापना</p> <p>d. अन्य हितधारकों (एसएचजी, स्थानीय स्क्रेप डीलर, स्थानीय व्यवसाय और एमएसएमई) के साथ साझेदारी बनाना</p>	<p>कुल उत्पन्न कचरा = प्राथमिक डेटा, यदि उपलब्ध नहीं है, तो ग्राम पंचायत में उत्पन्न प्रति व्यक्ति औसत कचरा लगभग 80 ग्राम प्रति दिन लें;</p> <p>बायोडिग्रेडेबल/जैविक अपशिष्ट- 58%</p> <p>गैर-बायोडिग्रेडेबल/अकार्बनिक अपशिष्ट - 42%</p> <p>आवश्यक ई-कचरा वैन की संख्या⁹⁸ =</p> <p>कुल उत्पन्न कचरा/प्रत्येक वैन की क्षमता (310 किग्रा)</p> <p>कूड़ेदानों की संख्या = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों की पहचान करके अनुमान लगाया जा सकता है</p> <p>स्थान (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि)</p>	
		<p>चरण 2:</p> <p>a. ग्राम पंचायत-स्तरीय पुनर्चक्रण और प्लास्टिक श्रेडर इकाई</p> <p>b. अतिरिक्त कूड़ादानों की स्थापना</p> <p>c. अतिरिक्त इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था</p> <p>d. मौजूदा सुविधाओं/बुनियादी ढांचे का रखरखाव</p> <p>e. साझेदारी को बढ़ाना</p>	<p>अतिरिक्त कूड़ादान = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि) की पहचान करके अनुमानित करना ।</p>	

98 लागत बाजार भाव के अनुसार

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
		चरण 3: a. रखरखाव कार्य b. साझेदारी को बढ़ाना	लागत ⁹⁹ : 1. 1 इलेक्ट्रिक कचरा वैन = ₹95,000 से 1,00,000 2. 1 कूड़ादान/कंटेनर ¹⁰⁰ = ₹15,000	
2	जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन	चरण 1: a. सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से कम्पोस्ट और वर्मी-कम्पोस्ट गड्डों की स्थापना b. पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल: 1. कम्पोस्ट का उत्पादन एवं विक्रय 2. कृषि अपशिष्ट की बिक्री	कुल उत्पन्न बायोडिग्रेडेबल/ जैविक कचरा = प्राथमिक डेटा घरों, वाणिज्यिक दुकानों, सरकारी/पीआरआई भवनों, सार्वजनिक भवनों और खुले स्थानों आदि से जैविक कचरा = xxx किलोग्राम प्रति दिन (प्राथमिक डेटा के अनुसार) संभावित खाद की मात्रा (किलो प्रति दिन) जो उत्पन्न ¹⁰¹ की जा सकती है = xxx किग्रा/दिन जैविक अपशिष्ट / 2 प्रति वर्ष __ किलोग्राम कृषि अपशिष्ट की आवधिक खाद बनाना (प्राथमिक डेटा के अनुसार)	
		चरण II और III: a. रखरखाव और कम्पोस्ट गड्डों की क्षमता बढ़ाना b. साझेदारी को बढ़ाना	लागत ¹⁰² : 1. कम्पोस्ट गड्डों की लागत संदर्भ: 30 वर्मीकम्पोस्टिंग और 15 नाडेप कम्पोस्ट गड्डे = ₹4,50,000 2. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड (जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के कचरे के लिए) लागत संदर्भ: ₹35,00,000	

99 लागत बाजार भाव के अनुसार

100 एसबीएम गाइडलाइन्स और एचआरवीसीए में इनपुट के अनुसार लागत

101 <https://www.biocycle.net/connection-co2-math-for-compost-benefits/#:~:text=In%20the%20process%20of%20making%20compost%20>

102 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
3	एकल-उपयोग-प्लास्टिक पर प्रतिबंध	चरण 1: a. सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध b. जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम c. रेस अभियान और लाइफ़ मिशन का लाभ उठाना d. पंचायत, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के बीच साझेदारी मॉडल	विनिर्माण के क्षेत्र में 100 महिलाओं की भागीदारी	
		चरण 2: a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम b. पंचायत और आस-पास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना	अतिरिक्त 200 महिलाएं	
		चरण 3: a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम b. पंचायत और आसपास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना	अतिरिक्त 300 महिलाएँ	

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
----------	----------------------	---	--	------------------------------------

स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुँच

सौर छतें	<p>चरण 1: सरकारी/पीआरआई भवन (पंचायत भवन, स्कूल, आंगनवाड़ी, पीएचसी, सीएचसी, सीएससी आदि)</p> <p>अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता</p>	<p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में) = स्थापित क्षमता (किलोवाट) * 310 (धूप वाले दिन) * 24 (घंटे) * 0.18 (सीयूएफ) (प्रत्येक पीआरआई भवन के लिए इसकी गणना करें और कुल जोड़ें)</p> <p>स्थापित क्षमता- उपरोक्त वेबसाइट से</p> <p>कुल स्थापित क्षमता=पंचायत भवन+स्कूल 1+स्कूल 2....+कोई अन्य पीआरआई भवन</p> <p>प्रति किलोवाट लागत = ₹50,000¹⁰³</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या = उत्पादित बिजली/365</p>	<p>उत्पन्न वार्षिक बिजली (किलोवाट)* 0.82/ 1000 = ___ टन CO₂</p>
----------	---	--	--

103 एमएनआरई और मौजूदा बाजार दरों के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
		<p>चरण 2 और 3: परिवार अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता मानी गई स्थापित क्षमता - 3 किलोवाट पॉवर</p> <p>चरण 2: स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 40%</p> <p>चरण 3: स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 100%</p> <p>#एमएनआरई और मौजूदा बाजार दरों के अनुसार लागत</p>	<p>प्रति परिवार औसत स्थापित क्षमता = 3 किलोवाट पॉवर</p> <p>परिवार स्तर पर स्थापित कुल क्षमता = परिवारों की संख्या * 3 किलो वाट पॉवर</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)= पारिवारिक स्तर पर स्थापित कुल क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति किलोवाट लागत[#] = ₹50,000¹⁰⁴</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p>	
2	कृषि-फोटोवोल्टिक	<p>चरण 2: उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 25%</p> <p>चरण 3: उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 50%</p> <p>उपयुक्त कृषि क्षेत्र – दलहनों और सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्र (मूल्य 10 हेक्टेयर से कम रखें)</p>	<p>प्रति हेक्टेयर 250 किलोवाट स्थापित</p> <p>कुल स्थापित क्षमता = क्षेत्रफल (हेक्टेयर) * 250 किलोवाट पॉवर</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)=कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति किलोवाट लागत¹⁰⁵ = ₹1 लाख</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p>	

104 एमएनआरई और मौजूदा बाजार दरों के अनुसार लागत

105 स्थापना/लगाने की लागत बाजार दर के अनुसार

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
3	सौर पंप	चरण 1: 20% डीजल पम्पों का बदला जाना चरण 2: 50% डीजल पम्पों का बदला जाना चरण 3: 100% डीजल पम्पों का बदला जाना	स्थापित क्षमता = 5.5 किलोवाट प्रति पंप कुल स्थापित क्षमता = बदले गए पंपों की संख्या * 5.5 किलोवाट वार्षिक स्वच्छ बिजली उत्पादन = कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) * 310 (दिन) * 24 (घंटे) * 0.18 (सीयूएफ) प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या = वार्षिक उत्पादित बिजली / 365 प्रति पंप लागत ¹⁰⁶ = ₹3 से 5 लाख	डीजल की खपत को कम करना = 390 लीटर/ प्रति/वर्ष प्रति वर्ष कम कुल डीजल खपत = बदले गए पंपों की संख्या * 390 उत्सर्जन से बचाव = प्रति पंप प्रति वर्ष 1.05 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (tCO ₂ e)
4	रसोई में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग	चरण 1: 25% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय वर्ग में 25% घरों में सौर इंडक्शन कुकस्टोव + 50% परिवार जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं उनके पास बेहतर चूल्हों की उपलब्धता चरण 2: 50% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + 50 शीर्ष आय वर्ग के % घरों में सौर इंडक्शन चूल्हे + वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले 100% घरों में बेहतर चूल्हों की उपलब्धता चरण 3: 100% घरों में बायोगैस स्थापित करने के लिए मवेशी + शीर्ष आय समूहों में 100% घरों में सौर इंडक्शन और खाना पकाने का चूल्हे की उपलब्धता	1 बायोगैस प्लांट की लागत = ₹50,000 2 से 3 m ³ बायोगैस संयंत्र की लागत, बिना बैटरी वाले डबल बर्नर वाले सोलर कुकस्टोव की लागत = ₹45,000 1 बेहतर चूल्हे की लागत = ₹3,000 ¹⁰⁷	

106 लागत बाजार दरों और पीएमकेएसवाई दिशानिर्देशकों के अनुसार

107 बाजार दर के अनुसार लागत

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/ फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
5	ऊर्जा कुशल फिक्स्चर	<p>चरण 1: सभी सरकारी/पीआरआई भवनों को सभी फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर और पंखों से बदलना + सभी परिवारों के 1 तापदीप्त/सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब से या 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदलना</p> <p>चरण 2: सभी तापदीप्त/सीएफएल बल्बों को एलईडी बल्ब से और सभी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइट से बदला जाना + सभी परिवारों में 1 पारंपरिक पंखे को ईई पंखे से बदला जाना।</p> <p>चरण 3: सभी परिवारों में सभी पंखों को ईई पंखों से बदला जाएगा</p>	<p>1 एलईडी बल्ब की लागत = ₹70</p> <p>1 एलईडी ट्यूबलाइट की लागत = ₹220</p> <p>1 ईई पंखे की लागत = ₹1,110¹⁰⁸</p>	
6	सौर स्ट्रीट लाइट	प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर हाई-मास्ट सोलर स्ट्रीट लाइट - प्रत्येक सरकारी / पीआरआई भवन, तालाब/झील, हरित स्थान/पार्क/खेल का मैदान/उद्यान/आरोग्य वन के लिए 1 (या आवश्यकता के अनुसार अधिक)।	<p>1 हाई-मास्ट की लागत = ₹50,000</p> <p>1 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट की लागत = ₹10,000¹⁰⁹</p>	

आजीविका और हृदित उद्यमशीलता को बढ़ाना

1	सौर ऊर्जा चालित कोल्ड स्टोरेज का निर्माण एवं किराये पर देना	कोल्ड स्टोरेज की स्थापना	<p>क्षमता: 1 इकाई = 5 - 10 मीट्रिक टन सब्जियों और फलों/और/या दूध और दूध उत्पादों के उत्पादन पर आधारित</p> <p>लागत¹¹⁰: ₹8-15 लाख प्रति यूनिट</p>	
---	---	--------------------------	---	--

108 विद्युत मंत्रालय द्वारा उजाला योजना दिशानिर्देशों के अनुसार लागत (<https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specialdocs/documents/2022/jun/doc202261464801.pdf>)

109 बाजार दर के अनुसार लागत

110 बाजार मानदंडों के अनुसार लागत

अनुलग्नक V: प्रासंगिक एसडीजी और लक्ष्य

एसडीजी 2: जीरो हंगर



लक्ष्य 2.3: भूमि, अन्य उत्पादक संसाधनों और इनपुट, ज्ञान, वित्तीय सेवाओं, मूल्यवर्धन और गैर-कृषि रोजगार के लिए बाजार और अवसर तक सुरक्षित और समान अभिगम सहित, छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों, विशेष रूप से महिलाओं, स्वदेशी लोगों, पारिवारिक किसानों, चरवाहों और मछुआरों की कृषि उत्पादकता और आय को दोगुना करना।

लक्ष्य 2.4: वर्ष 2030 तक, सतत खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित करना तथा लचीली कृषि पद्धतियों को लागू करना जो उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाती हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करती हैं, जो जलवायु परिवर्तन, चरम मौसम, सूखा, बाढ़ और अन्य आपदाओं के अनुकूलन की क्षमता को सुदृढ़ करती हैं एवं जो भूमि और मिट्टी की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार करती हैं।

लक्ष्य 2.a; अनुच्छेद 10.3.e.: सतत सिंचाई कार्यक्रमों का विकास

एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली



लक्ष्य 3.3: एड्स, तपेदिक, मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की महामारी को समाप्त करना तथा हेपेटाइटिस, जल-जनित रोगों और अन्य संचारी रोगों से मुकाबला करना।

लक्ष्य 3.9: खतरनाक रसायनों और वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण और संदूषण से होने वाली मौतों और बीमारियों की संख्या में काफी कमी लाना।

एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता



लक्ष्य 6.1: पीने के पानी तक सार्वभौमिक और न्यायसंगत पहुंच प्राप्त करना।

लक्ष्य 6.3: वर्ष 2030 तक, प्रदूषण को कम करके, डंपिंग को समाप्त करके और खतरनाक रसायनों और सामग्रियों की रिहाई को कम करके, अनुपचारित अपशिष्ट जल के अनुपात को आधा करके और वैश्विक स्तर पर रीसाइक्लिंग और सुरक्षित पुनः इस्तेमाल को बढ़ाकर पानी की गुणवत्ता में सुधार करना।

लक्ष्य 6.4: सभी क्षेत्रों में जल-इस्तेमाल दक्षता में पर्याप्त वृद्धि करना और स्थायी निकासी सुनिश्चित करना

लक्ष्य 6.5: सभी स्तरों पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन लागू करना

लक्ष्य 6.8: स्थानीय समुदायों की भागीदारी को समर्थन और सुदृढ़ करना

लक्ष्य 6.a : अपशिष्ट जल उपचार, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल प्रौद्योगिकियों सहित जल और स्वच्छता संबंधी गतिविधियों और कार्यक्रमों में विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण सहायता का विस्तार करना।

एसडीजी 7: किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा



लक्ष्य 7.1: किफ़ायती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक अभिगम सुनिश्चित करना।


लक्ष्य 7.2: ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना

लक्ष्य 7.3: ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक दर को दोगुना करना

लक्ष्य 7.a : नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और उन्नत और स्वच्छ जीवाश्म-ईंधन प्रौद्योगिकी सहित स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी तक अभिगम की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, और ऊर्जा अवसंरचना और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देना।

लक्ष्य 7.b: विकासशील देशों में उनके समर्थन कार्यक्रमों के अनुसार सभी के लिए आधुनिक और सतत ऊर्जा सेवाओं की आपूर्ति के लिए अवसंरचना का विस्तार और प्रौद्योगिकी का उन्नयन।

एसडीजी 8: अच्छा कार्य और आर्थिक विकास



लक्ष्य 8.3: विकास-उन्मुख नीतियों को बढ़ावा देना जो उत्पादक गतिविधियों, सही रोजगार सृजन, उद्यमिता, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देती हैं, और वित्तीय सेवाओं तक अभिगम सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों की औपचारिकता और विकास को प्रोत्साहित करती हैं।

एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और अवसंरचना



लक्ष्य 9.1: गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, टिकाऊ और लचीला बुनियादी ढाँचा विकसित करना

एसडीजी 11: संधारणीय शहर और समुदाय



लक्ष्य 11.2: सभी के लिए सुरक्षित, किफ़ायती, सुलभ और सतत परिवहन प्रणाली

लक्ष्य 11.4: विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की रक्षा और सुरक्षा के प्रयासों को सुदृढ़ करना

लक्ष्य 11.7: वर्ष 2030 तक, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित, समावेशी और सुलभ, हरे और सार्वजनिक स्थानों तक सार्वभौमिक अभिगम प्रदान करना।

एसडीजी 12: सतत खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना



लक्ष्य 12.2: प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन और कुशल इस्तेमाल प्राप्त करना

लक्ष्य 12.4: वर्ष 2020 तक, सहमत अंतरराष्ट्रीय ढांचे के अनुसार रसायनों और उनके पूरे जीवन चक्र में सभी अपशिष्टों का पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन प्राप्त करना, और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उनके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए हवा, पानी और मिट्टी में उनकी रिहाई को काफी कम करना।

लक्ष्य 12.5: वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

लक्ष्य 12.5: वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

लक्ष्य 12.8: वर्ष 2030 तक, सुनिश्चित करें कि हर जगह लोगों के पास सतत विकास और प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन शैली के लिए प्रासंगिक जानकारी और जागरूकता हो।

एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही



लक्ष्य 13.1: सभी देशों में जलवायु संबंधी खतरों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति लचीलापन और अनुकूली क्षमता को सुदृढ़ करना।

लक्ष्य 13.2: जलवायु परिवर्तन उपायों को राष्ट्रीय नीतियों, रणनीतियों और योजना में एकीकृत करना।

लक्ष्य 13.3: जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन, प्रभाव में कमी और प्रारंभिक चेतावनी पर शिक्षा, जागरूकता बढ़ाने और मानव और संस्थागत क्षमता में सुधार करना।

एसडीजी 15: भूमि पर जीवन



लक्ष्य 15.1: अंतरराष्ट्रीय समझौतों के अंतर्गत दायित्वों के अनुरूप स्थलीय और अंतर्देशीय मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र और उनकी सेवाओं, विशेष रूप से जंगलों, आर्द्रभूमि, पहाड़ों और शुष्क भूमि के संरक्षण, बहाली और सतत इस्तेमाल को सुनिश्चित करना।

लक्ष्य 15.2: वर्ष 2020 तक सभी प्रकार के वनों के स्थायी प्रबंधन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना, वनों की कटाई को रोकना, नष्ट हुए वनों को पुनर्स्थापित करना और विश्व स्तर पर वनीकरण और पुनर्वनीकरण में पर्याप्त वृद्धि करना।

लक्ष्य 15.3: वर्ष 2030 तक, मरुस्थलीकरण से निपटना, मरुस्थलीकरण, सूखे और बाढ़ से प्रभावित भूमि सहित खराब भूमि और मिट्टी को बहाल करना, और भूमि क्षरण-तटस्थ दुनिया को प्राप्त करने का प्रयास करना। लक्ष्य 15.5: प्राकृतिक आवासों के क्षरण को कम करने, जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिए तत्काल और महत्वपूर्ण कार्यवाही करना।

लक्ष्य 15.9: वर्ष 2020 तक, पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता मूल्यों को राष्ट्रीय और स्थानीय योजना, विकास प्रक्रियाओं, गरीबी उन्मूलन रणनीतियों में एकीकृत करना।

अनुलग्नक VI: वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए उपयुक्त प्रजातियाँ

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
इमारती लकड़ी के पेड़			
अकेसिया निलोटिका	फैबेसी	बबूल	गाड़ियों के फ्रेम और पहियों, उपकरणों और औजारों जैसे उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है।
फ़िक्स रिलिजियोसा	मोरेसी	पीपल	इसमें औषधीय गुण और इसका धार्मिक महत्व है।
आज़ादिराक्टा इंडिका ए. जस	मेलियासी	नीम	नीम के पेड़ के सभी भाग - पत्ते, फूल, बीज, फल, जड़ और छाल का उपयोग पारंपरिक रूप से उपचार के लिए किया जाता रहा है। इसकी लकड़ी फर्नीचर के लिए आदर्श है, क्योंकि यह मजबूत और दीमक प्रतिरोधी दोनों है।
डालबर्गिया सिस्सो	फैबेसी	शीशम	इसके कई उपयोग हैं, हवाई और समुद्री जहाज में, कोयले के रूप में भोजन को गर्म करने और पकाने के लिए, संगीत वाद्ययंत्र बनाने आदि
मधुका लॉगिफोलिया	सैपोटेसी	महुआ	यह विभिन्न उपयोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण इमारती लकड़ी प्रदान करता है।
शोरिया रोबस्टा	डिप्रोकार्पेसी	साल	इसका उपयोग रेलवे स्लीपर, जहाज और पुलों के निर्माण के लिए किया जाता है।
सिनामोमम तमाला	लौरैसी	भारतीय तेज पत्ता	यह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है और खाना पकाने में इसका उपयोग किया जाता है।
फल और जंगली खाद्य पौधे			
मैंगीफेरा इंडिका	एनाकार्डिएसी	आम (मैंगो)	इसके सभी भागों का उपयोग पारंपरिक उपचार में किया जाता है
आर्टोकार्पस हेटरोफिलस	मोरेसी	कटहल , (जैकफ्रूट)	इसकी लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। पौधे के कई हिस्से, जिनमें छाल, जड़ें, पत्तियां और फल शामिल हैं, पारंपरिक और लोक चिकित्सा में अपने औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं।
सिडियम गुजावा	मायर्टेसी	अमरूद (गुआवा)	यह विभिन्न गैस सम्बन्धी रोगों के लिए एक सामान्य और लोकप्रिय पारंपरिक उपचार है।

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
एगारिकस कैम्पेस्ट्रीस एल	एगारिकेसी	धरती का फूल	एक प्रकार का मशरूम।
अंकोलसाल्विफोलियम (एलएफ) वांग	अलंगियासी	ढेरा (एको)	इसके पके फल खाए जाते हैं।
अमोर्फोफैलस पेओनीफोलियसडेनस्ट	अरेसी	हाथीपाँव, जिमी कंद	इसे सब्जी के रूप में खाया जाता है।
क्रोटोलारियाजंशिया एल.	फैबेसी	सनई	हल्की उबली हुई कलियाँ सब्जी के रूप में खाई जाती हैं।
मणिलकारा हेक्सेंड्रा (रोक्सब) डब	सैपोएटेसी	खिरनी	इससे प्राप्त फलों से अचार और सॉस बनाया जाता है।
यूजेनिया जाम्बोलाना	मायर्टेसी	जामुन	इसकी जड़, पत्तियाँ, फल और छाल में असंख्य औषधीय गुण होते हैं।
एगल मार्मेलोस	रूटेसी	बेल	कच्चे फल, जड़, पत्ती और शाखा का उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है।
मोरस रूबरा	मोरेसी	शहतूत	शहतूत को कच्चा खाया जा सकता है और इसका उपयोग जैम, प्रिजर्व, पाई बनाने के लिए भी किया जाता है। इनमें औषधीय गुण भी होते हैं।

औषधीय गुणों वाले पेड़

विथानियासोमिफेरा	सोलानेसी	अश्वगंधा	यह विभिन्न प्रकार के रोगों में उपयोगी है।
बकोपा मोनिएरी	प्लांटैगिनेसी	ब्राह्मी	इसका उपयोग विभिन्न सांस रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
एंड्रोग्राफीस पैनिकुलता	एकैथेसी	कालमेघ	यह प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है और इसका उपयोग सामान्य सर्दी, साइनसाइटिस और एलर्जी के लक्षणों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
राउवोल्फिया सर्पेन्टिना	एपोसिनेसी	सर्पगंधा	इसका उपयोग कई अलग-अलग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है।

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
औषधीय गुणों वाले लुप्तप्राय पेड़			
एकौरस कैलमस एल.	अरेसी	बाख, बाल, घोर्बच	ब्रोंकाइटिस, खांसी और सर्दी के इलाज के लिए एक उपयोगी जातीय औषधीय पौधा।
ऐस्पैरैगस ऐडसेंडेसरोक्सबी	लिलिएसी	शतावरी	हार्मोन असंतुलन से संबंधित स्थितियों के उपचार में मदद करता है।
सेलास्ट्रस पैनिकुलैटस वाइल्ड ।	सेलास्ट्रेसी	उमजैन , मुजहानी , मलकांगनी, ककुंदन	विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार में उपयोगी है।
अन्य पेड़			
पोपुलस सिलियाटा	सैलिकैसी	सेमल, कपोक	इसकी पत्तियों का उपयोग पशुओं के चारे और हर्बल चाय के लिए किया जाता है।
यूकेलिप्टस ग्लोब्युलस	मायर्टेसी	तैलपत्र	खांसी और सामान्य सर्दी के उपचार के लिए दवाओं में उपयोग किया जाता है और आवश्यक तेल बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है।



